सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर

सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका

विषय	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का परिचय		
परिचय	1 से 5	1-7
अध्याय-I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन		
परिचय	1.1	9-10
राज्य में विद्युत की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति	1.2	10-11
विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	1.3	11-16
सरकारी कम्पनियों का निवेश प्रतिफल	1.4	16-18
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की परिचालन दक्षता	1.5	18-20
निवेश का वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	1.6	20-23
उदय योजना का कार्यान्वयन	1.7	23-24
अध्याय-II		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन		
परिचय	2.1	25-27
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	2.2	27-33
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश पर प्रतिफल	2.3	34-37
राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	2.4	37-39
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचालन दक्षता	2.5	39-43
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद होना	2.6	43-44

अध्याय-III		
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	3.1	45
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	3.2	45
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.3	45-48
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	3.4	48-49
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम	3.5	49-57
लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों की अनुपालना न करना	3.6	57-58
प्रबंधन पत्र	3.7	58
अध्याय-IV		
निगम की शासन-प्रणाली		
निगम की शासन-प्रणाली	4.1	59-60
निदेशक-मण्डल की संरचना	4.2	60-62
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य-प्रणाली	4.3	62
निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समिति की बैठक	4.4	63-67
लेखापरीक्षा समिति	4.5	67-71
कंपनी सचिव की नियुक्ति	4.6	71-72
व्हिसल ब्लोअर नीति	4.7	72
असूचिबद्धता प्रक्रिया को पूरा करने में असाधारण विलंब	4.8	73-74
आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा	4.9	74-75
निष्कर्ष		75-76
सिफारिश		76

अध्याय-V		
नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व		
परिचय	5.1	77-78
लेखापरीक्षा उद्देश्य	5.2	78-79
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कवरेज	5.3	79
लेखापरीक्षा मापदंड	5.4	79
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	5.5	79-90
निष्कर्ष		90-91
सिफारिश		91
अध्याय-VI		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव		
परिचय	6.1	93
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन	6.2	93-94
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	6.3	94-96
भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने की समीक्षा	6.4	96-97
चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव	6.5	98-104
भारतीय लेखांकन मानकों का अपालन	6.6	104
निष्कर्ष		105

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	**विषय**	**पृष्ठ संख्या**
परिशिष्ट-I	नवीनतम वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	107-108
परिशिष्ट-II	31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के नाम, निगमन का माह एवं वर्ष (उनके संक्षिप्त विवरण सहित) को दर्शाने वाला विवरण	109-111
परिशिष्ट-III	31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में किए गए निवेश व दीर्घकालिक ऋणों को दर्शाने वाला विवरण	112-113
परिशिष्ट-1.1	राज्य सरकार द्वारा 2007-08 से 2019-20 तक राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	114
परिशिष्ट-2.1	01 अप्रेल 1999 तक व 1999-2000 से 2019-20 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	115-117
परिशिष्ट-3.1	वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के सभी कार्यशील/ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में वित्तीय विवरणियों के प्रमाणीकरण के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अवधि को दर्शाने वाला विवरण	118
परिशिष्ट-3.2	31 दिसंबर 2020 तक बकाया लेखाओं को दर्शाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	119
परिशिष्ट-3.3	राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की गई	120
परिशिष्ट-3.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनियों द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखांकन मानक की अनुपालना न करने की सूचना दी	121

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-4.1	31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उनके प्रशासनिक विभाग एवं निगमन का माह/वर्ष दर्शाने वाला विवरण	122-123
परिशिष्ट-4.2	पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर कंपनी सचिव को नियुक्त करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम दर्शाने वाला विवरण	124
परिशिष्ट-4.3	आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का व इसकी आवृत्ति दर्शाने वाला विवरण	125
परिशिष्ट-5.1	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व में अंशदान हेतु पात्र राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए औसत निवल लाभ की वर्ष-वार स्थिति	126
परिशिष्ट-6.1	31 मार्च 2020 तक प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानक की सूची	127

प्रस्तावना

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 व उसके तहत बनाये गए विनियमनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गए सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टेड अकाउंटेंट) ऐसी कंपनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं, जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जानी हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर टिप्पणियां अथवा अनुपूरक जारी करते है। कंपनी अधिनियम, 2013 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीके के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी करने के अधिकार देता है।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हिमाचल पथ परिवहन निगम नाम के एक निगम के सम्बन्ध में एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 37(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से, कंपनी के अंशधारकों (शेयरहोल्डर्स) द्वारा नियुक्त किये गए लेखापरीक्षकों द्वारा निगम की सांविधिक लेखापरीक्षा के पश्चात् अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त है। राज्य सरकार को इन निगमों के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग-अलग अग्रेषित किये जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के समीक्षा किये गए लेखाओं में वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लेखाओं को (अधिकतम सीमा तक प्राप्त) सम्मिलित किया गया है। राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में, जहां किसी वर्ष विशेष के लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए, वहां अन्तिम लेखापरीक्षित लेखाओं से आंकड़े लिए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में संदर्भित सभी 'सरकारी कंपनियों/निगमों अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' को, जब तक अन्य का सन्दर्भ न लिया जाएं, 'राज्य सरकार की कंपनियां/निगम' समझा जाएं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय निहित है, अर्थात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका, निगम की शासन-प्रणाली, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व चरण II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव।

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना जनता के कल्याण के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से की गई थीं तथा यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं 25 विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में से तीन सरकारी कंपनियां तथा एक अन्य कंपनी सरकार के नियंत्रणाधीन थीं। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम तथा अन्य चार सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियां थीं। सरकारी 19 कंपनियों में से दो कंपनियां एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी अकार्यशील थीं।

I राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 तक राज्य में राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम थे। राज्य के इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में दो उत्पादन (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड), एक उत्पादन व वितरण (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) दोनों में तथा शेष एक संचरण (ट्रांसमिशन) में संलिप्त थे। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

(परिच्छेद 1.1)

31 मार्च 2020 तक राज्य के चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में किया गया कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹14,212.31 करोड़ था तथा 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹1,313.09 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

(परिच्छेद 1.3)

II राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में किया गया कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹1,616.89 करोड़ था तथा 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹140.71 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋण का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) था 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹11.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

(परिच्छेद 2.2)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र सात ही लाभांश की घोषणा करने के पात्र थे। यद्यपि राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹2.25 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया तथा राज्य के शेष लाभ अर्जित करने वाले चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.34 करोड़ के लाभांश का भुगतान/प्रावधान नहीं किया।

(परिच्छेद 2.3.1)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियाँ 31 दिसम्बर 2020 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार क्रमशः ₹1,090.67 करोड़ एवं ₹1,726.85 करोड़ था जिसके कारण नेटवर्थ ऋणात्मक ₹636.18 करोड़ में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.4.1)

टर्नओवर, परिसंपत्तियां एवं नियोजित पूंजी

2017-18 से 2019-20 के दौरान टर्नओवर में मामूली वृद्धि पाई गई। कुल परिसंपत्तियां ₹3,342.62 करोड़, (2017-18) से बढ़कर ₹3,629.19 करोड़ (2019-20) में परिणत हुई जबकि नियोजित पूंजी में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विगत तीन वर्षों के दौरान हुई हानियों के कारण वर्ष-दर-वर्ष गिरावट पाई गई।

(परिच्छेद 2.5.1)

III नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में राज्य के 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें से सभी सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन

अन्य कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे बकाया थे, सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) को छोड़ कर, जो 2000-01 से परिसमापनाधीन थी।

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 तक 10 सरकारी कंपनियों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के दो लेखे) तथा सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों के 14 लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सांविधिक निगमों सहित) के सन्दर्भ में 62 लेखे अन्तिम रूप देने हेतु लम्बित थे।

(परिच्छेद 3.3.2 व 3.3.3)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

13 कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों में अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्धन संगत वर्षों के लेखाओं में ₹125.52 करोड़ के लाभ/हानि तथा ₹544.38 करोड़ की परिसंपत्तियों/ देयताओं के परिवर्तन के रूप में था।

{परिच्छेद 3.5.1 (i) एवं 3.5.2}

IV निगम की शासन-प्रणाली

स्वतंत्र निदेशक

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। तथापि, 2015-20 के दौरान राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपेक्षित संख्या में निदेशकों को नियुक्त किया तथा राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए।

(परिच्छेद 4.2.1)

लेखापरीक्षा समिति की प्रयोज्यता

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति का गठन करने के पात्र थे। यद्यपि राज्य के मात्र छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

(परिच्छेद 4.5.1)

V नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की रुपरेखा

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने हेतु पात्र राज्य के सभी पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने जून 2014 व जुलाई 2018 के मध्य नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समितियों का गठन किया।

राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संस्तुतियों के आधार पर एवं निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन से नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निरुपित की थीं। यद्यपि, एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने कोई भी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निरुपित नहीं की थी (अगस्त 2021)।

(परिच्छेद 5.5.1.1 व 5.5.1.3)

निधियों का आवंटन एवं प्रयुक्ति

2014-20 की अवधि के दौरान राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों हेतु अलग से निधियां आवंटित नहीं की थीं। पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने के निर्धारित मापदंड के प्रति 2014-20 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹262.19 लाख की राशि खर्च की जानी अपेक्षित थीं, तथापि राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹221.12 लाख व्यय किए।

- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति द्वारा अपेक्षित ₹69.37 लाख खर्च नहीं किए।
- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति मात्र ₹1.50 लाख खर्च किए।

(परिच्छेद 5.5.2.1)

VI राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व चरण II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव

कर पश्चात लाभ पर प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक के तहत समायोजन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के लाभ में वृद्धि (₹0.54 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की हानियों में वृद्धि (₹67.23 करोड़) पाई गई।

(परिच्छेद 6.5.1)

राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के बाद राजस्व में समायोजन किए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के राजस्व में वृद्धि (₹16.80 करोड़) विशेष एवं असाधारण मदों को राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई।. हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के राजस्व में वृद्धि (₹69.76 लाख) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों से हुई आय के समायोजन के कारण हुई, जिसे राजस्व में लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में राजस्व में हुई हानि (₹149.98 करोड़) अन्य आय के उलटाव (रिवर्सल) के कारण हुई।

(परिच्छेद 6.5.2)

परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

₹25.20 करोड़ एवं ₹0.72 करोड़ की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट का शुद्ध प्रभाव क्रमशः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में ₹0.54 करोड़ की परिसंपत्ति के कुल मूल्य में वृद्धि का शुद्ध प्रभाव देखा गया।

(परिच्छेद 6.5.3)

नेटवर्थ पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने नेटवर्थ में (-)₹0.72 करोड़ की गिरावट दर्ज की। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत संचित हानि में कमी के कारण नेटवर्थ में वृद्धि (₹0.54 करोड़) हुई।

(परिच्छेद 6.5.4)

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की कार्यप्रणाली

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

1 सामान्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। 31 मार्च 2020 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते है। इनमें 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) एवं चार विद्युत क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से, 19 सरकारी कंपनियां, दो[1] सांविधिक निगम एवं चार[2] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। 19 में से दो[3] कंपनियों व चार में से एक सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी[4] अकार्यशील है। राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) में से तीन[5] सरकारी कंपनियां हैं, व एक[6] सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। वर्ष 2019-20 में दो[7] नए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) निगमित हुए। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य परिणाम **परिशिष्ट-I** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2020 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के आधार पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन को समाविष्ट किया गया है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति एवं प्रस्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं।

---

1 *हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।*

2 *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी)।*

3 *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

4 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

5 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।*

6 *हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

7 *श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड और रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।*

तालिका-1: प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	अक्तूबर 2019 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि के दौरान प्राप्त लेखों की संख्या						31 दिसम्बर 2020 तक कुल बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
		लेखा 2019-20	लेखा 2018-19	लेखा 2017-18	लेखा 2016-17	लेखा 2015-16	कुल	
सरकारी कम्पनियाँ	22	-	7	2	1	1	11	22(52)
साविधिक निगम	2	-	1	-	-	-	1	2(3)
सरकार के नियंत्राधीन अन्य कम्पनिया	4	-	2	1	-	-	3	4(7)
कुल कार्यशील उद्यम	**28**	**-**	**10**	**3**	**1**	**1**	**15**	**28 (62)**

स्रोत: *कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश में प्राप्त वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित। हिमाचल प्रदेश वस्टेड मिल्स लिमिटेड पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह परिसमापन के अधीन है।*

सभी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (29) ने ₹270.79 करोड़ की समेकित हानि उठाई, जैसा कि **परिशिष्ट-1** में वर्णित है। हालांकि, 13 उद्यमों ने 31 दिसंबर 2020 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ₹45.73 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा नौ उद्यमों ने ₹316.52 करोड़ का घाटा उठाया। शेष सात उद्यमों में से तीन[8] ने अपना पहला लेखा तैयार नहीं किया, ब्यास वैली पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया तथा तीन[9] के लिए आय से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य था।

2 लेखादायित्व की रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013) की धारा 139 व 143 में सरकार की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित किया गया हो तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल हो, जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) व (7) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी से सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनियां सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी

8 *श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड और शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

9 *शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड और धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) साथ में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक यदि चाहें तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनियों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन्हें सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी या अन्य किसी कंपनी की लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[10] में से हिमाचल सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक, एकमात्र लेखापरीक्षक है तथा हिमाचल प्रदेश के वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड

[10] *हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।*

अकाउंटेंट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

4 सांविधिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

4(i) समय पर अंतिम रूप देने तथा लेखों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 व 395 के अनुसार एक सरकारी कंपनी के कार्यचालन एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक के तीन महीने के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होते ही शीघ्रातिशीघ्र उस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई टिप्पणी या अनुपूरक के साथ विधायिका अथवा विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाए। संबंधित अधिनियमों में सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लगभग एक समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि में से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 की अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक पिछली/आखिरी/पिछले शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के 15 महीने के भीतर आयोजित की जाती है।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार उक्त वार्षिक आम बैठक में संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानो की गैर-अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, कारावास एवं अर्थदंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

4(ii) सरकार तथा विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के मामलों पर नियंत्रण रखती है। सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमण्डल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश के उपयोग एवं लेखांकन की निगरानी करता है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत राज्य की सरकारी कम्पनियों के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सांविधिक नियमों के सम्बन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका के समक्ष रखे जाए। भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाता हैं।

5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बहुत अधिक वित्तीय अंश निहित है। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं:

- **शेयर पूंजी एवं ऋण** - शेयर पूंजी योगदान देने के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर राज्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** - हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज सहित चुकाने की गारंटी भी देती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सभी सरकारी कंपनियों/सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष, उनका प्रशासनिक विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गये कुल निवेश का उद्यमों-वार सारांश **परिशिष्ट-III** में वर्णित है तथा 31 मार्च 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे **तालिका-2** में दिया गया है:

तालिका-2: हिमाचल प्रदेश सरकार की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनिया	सांविधिक निगम	कुल	निवेश		
				इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	4	0	4	1,890.59	6,961.18	8,851.77
वित्त	3	1	4	134.05	81.78	215.83
सेवा	10	1	11	872.42	0.30	872.72
अवसंरचना	4	0	4	55.83	0.00	55.83
अन्य	6	0	6	83.59	138.25	221.84
कुल	**27**	**2**	**29**	**3,036.48**	**7,181.51**	**10,217.99**

स्रोत: *सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।*

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत् क्षेत्र पर था। विद्युत् क्षेत्र को कुल निवेश ₹10,217.99 करोड़ में से ₹8,851.77 करोड़ (86.63 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में दिया गया है। तथापि, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के अलावा अन्य संसाधनों से विभिन्न क्षेत्र में निवेश सहित कुल निवेश नीचे **चार्ट-I** में दिखाया गया है:

चार्ट 1: 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

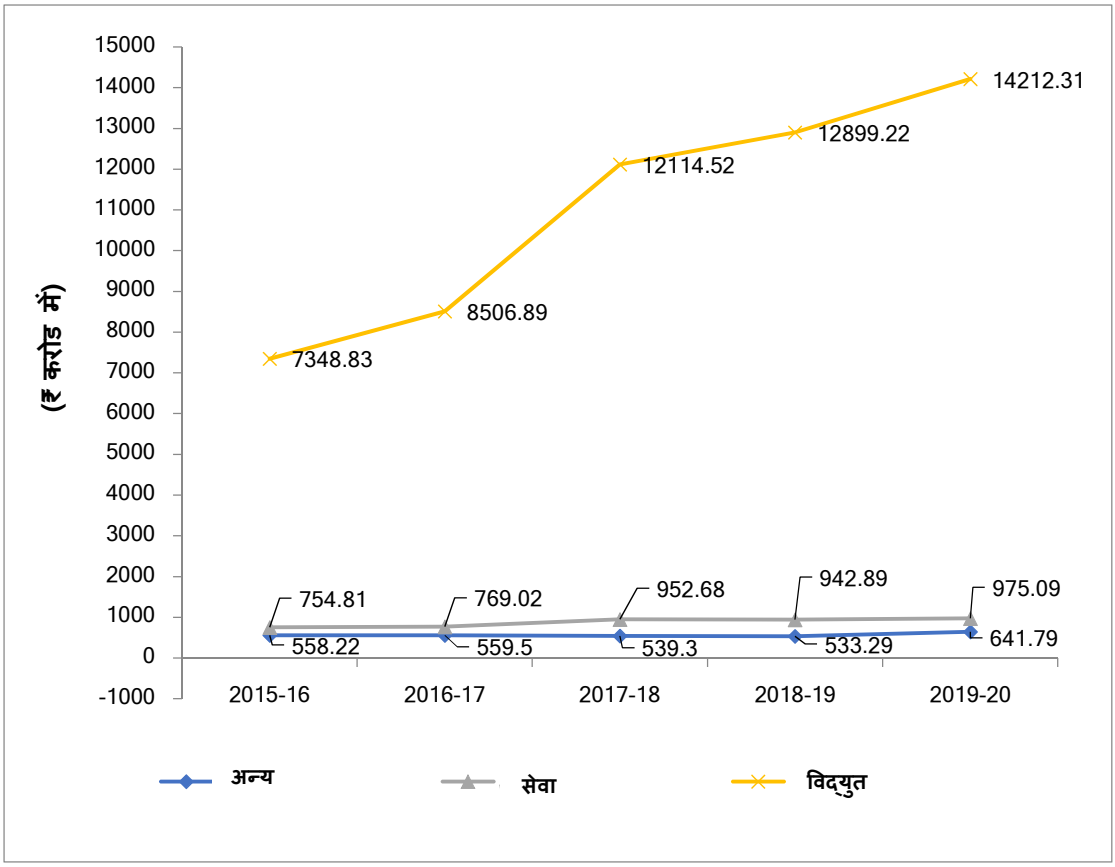

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम अध्याय-I में राज्य के विद्युत क्षेत्र के चार उद्यमों का शब्दचित्रण प्रस्तुत कर रहे है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय है:

अध्याय-I: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-II: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-III: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

अध्याय-IV: निगम की शासन प्रणाली

अध्याय-V: नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय-VI: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखा मानकों (चरण I एवं II के तहत) के कार्यान्वयन का प्रभाव।

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

1.1 परिचय

31 मार्च 2020 तक राज्य में चार[11] विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। सभी चार कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उद्यम नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन आते है। चार कार्यशील उद्यमों में दो उत्पादन में (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड तथा ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड), एक दोनों क्रमश: उत्पादन एवं संचरण में (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) तथा शेष एक संचरण (हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) क्षेत्र में है। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इस खंड में राज्य के विद्युत क्षेत्र में सभी चार कार्यशील उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन सम्मिलित किया गया है। दो उद्यमों[12] के वित्तीय विवरणों को वर्ष 2017-18 तक तथा राज्य के अन्य दो विद्युत क्षेत्र के उद्यमों[13] को वर्ष 2018-19 तक के वित्तीय विवरणियों को 31 दिसम्बर 2020 तक नवीनतम अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

31 दिसम्बर 2020 तक विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं तक के वित्तीय विवरणों का सारांश

उद्यमों की संख्या	4
लेखापरीक्षा में सम्मिलित उद्यमों की संख्या	4
प्रदत्त पूंजी	₹3,142.57 करोड़
हिमाचल प्रदेश सरकार की इक्विटी निवेश	₹1,415.95 करोड़
दीर्घावधि ऋण	₹8,444.55 करोड़
शुद्ध लाभ (एक उद्यम)	₹3.66 करोड़
शुद्ध हानि (दो उद्यम)	₹120.04 करोड़
विद्युत क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने प्रथम लाभ एंव हानि लेखे तैयार नहीं किये	एक
लाभांश घोषित किया	कोई नहीं
कुल सम्पतियाँ	₹19,336.49 करोड़
टर्नओवर	₹6,622.45 करोड़
नेटवर्थ*	₹1,438.45 करोड़
संचित हानियां	₹1,704.12 करोड़

स्रोत: *31 दिसम्बर 2020 तक विद्युत क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जानकारी*

नेटवर्थ= प्रदत्त पूंजी का अंश + मुक्त भंडार व अधिशेष - संचित हानियाँ - अस्थगित राजस्व व्यय

---

11 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड और ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

12 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

13 *हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड और ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उद्यमों की योगदान गतिविधियों को दर्शाता है। मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र के उद्यमों एवं हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के टर्नओवर का विवरण नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1: विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
टर्नओवर	5,093.79	5,599.56	5,993.79	6,325.56	6,622.45
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845	1,65,472
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर की प्रतिशतता	4.46	4.46	4.33	4.11	4.00

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों एवं हिमाचल प्रदेश सरकार।*

पिछले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 4.69 प्रतिशत व 9.93 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.56 प्रतिशत व 11.20 प्रतिशत के बीच रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि-दर विभिन्न समयावधियों में विकास दर मापने की एक उपयोगी पद्धति होती है। विगत पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 9.71 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि-दर के प्रति विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में 6.78 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि-दर दर्ज हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन विद्युत क्षेत्र के उद्यम की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्नओवर की हिस्सेदारी 2015-16 में 4.46 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 4.00 प्रतिशत रही।

1.2 राज्य में विद्युत की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति

2015-16 से 2019-20 के दौरान विद्युत की अधिकतम मांग, उसकी उपलब्धता एवं राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन[14] व वितरण सेवा, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा भागीदारी नीचे **तालिका-1.2** में दी गई है।

[14] *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अलावा, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड भी विद्युत उत्पादन कर रहा है। हालांकि, उत्पादित अधिकांश विद्युत की आपूर्ति राज्य को नहीं की जाती है। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।*

तालिका-1.2: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विद्युत उत्पादन का विवरण

वर्ष	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की स्थापित क्षमता	अधिकतम मांग	विद्युत की उपलब्धता	कुल विद्युत आपूर्ति	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा आपूरित विद्युत	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का कुल आपूर्ति में हिस्सा
	(मेगावाट में)			(मिलियन यूनिट में)		*(प्रतिशत में)*
2015-16	487.45	1,488	1,488	8,758	1,455	17
2016-17	487.45	1,499	1,499	8,779	1,491	17
2017-18	487.45	1,594	1,594	9,345	1,837	20
2018-19	487.45	1,700	1,700	9,618	1,956	20
2019-20	487.45	1,786	1,786	10,353	2,122	20

स्रोतः *केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विद्युत के वार्षिक लेखों की लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट।*

राज्य अपनी अधिकतम मांग की पूर्ति अनुबंधों (विद्युत खरीद अनुबंध), पावर ग्रिड के माध्यम से अनिर्धारित इन्टरचेंज (UI)[15] के तहत् विद्युत की खरीद व आहरण के द्वारा कर सका। साथ ही, बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति करने के लिए अपनी स्थापित क्षमता में बढ़ौतरी[16] न होने के कारण राज्य में विद्युत की कुल आपूर्ति में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की भागीदारी लगभग स्थिर रही।

1.3 विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

31 मार्च 2020 तक चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी व ऋण में कुल निवेश **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	1,635.95	6,393.82	8,029.77	1,890.59	6,961.18	8,851.77
राज्य सरकार की कंपनिया/कारपोरेशन	430.77	-	430.77	430.77	-	430.77
वित्तीय संस्थान एंव अन्य	1,295.86	3,142.82	4,438.68	1,295.86	3,633.91	4,929.77
कुल	**3,362.58**	**9,536.64**	**12,899.22**	**3,617.22**	**10,595.09**	**14,212.31**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	48.65	67.04	62.25	52.27	65.70	62.28

स्रोत: *विद्युत क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त संकलित जानकारी।*

---

15 *वास्तविक आहरण घटा कुल अनुसूचित आहरण।*

16 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा 2017-18 द्वारा बढ़ी हुई बिजली आपुर्ति का कारण भाभा एचईपी को उसकी इष्टतम क्षमता की बहाली के कारण था जो जनवरी 2016 में आग में क्षतिग्रस्त हो गया था।*

31 मार्च 2020 तक चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹14,212.31 करोड़ था तथा इसमें 31 मार्च 2019 की तुलना में ₹1,313.09 करोड़ की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में उल्लेखनीय निवेश (₹165.00 करोड़) किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों हेतु विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय बहिर्गमन का सारांशित विविरण **तालिका-1.4** निम्नवत है:

तालिका-1.4: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उद्यम को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[17]	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**	
	विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	**राशि**	**विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की संख्या**	**राशि**	**विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की संख्या**	**राशि**
इक्विटी पूंजी	3	182.11	3	250.00	3	254.64
दिए गए ऋण	1	262.68	1	365.00	1	567.36
अनुदान/ सब्सिडी प्रदान की गई	1	6.00	2	24.00	1	20.00
कुल निकास		**450.79**	**-**	**639.00**	**-**	**842.00**
ऋण पुर्नभुगतान को बट्टे खाते में भेजना	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटियां	1	-	-	-	2	565.00
गारंटी प्रतिबद्धता बकाया	1	3,715.50	-	-	2	1,250.91

स्रोतः *वर्ष 2019-20 में राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी एवं अंतिम रुप दिए लेखाओं के आधार पर संकलित।*

[17] *राशि केवल राज्य के बजट से दी जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के बजट से ब्यास वैली पॉवर* कारपोरेशन *लिमिटेड को राज्य द्वारा कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई थी।*

1.3.1 इक्विटी में निवेश

वर्ष 2019-20 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के चारों उद्यमों में किए गए निवेश में ₹254.64 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा विद्युत क्षेत्र के उद्यमों मे विगत तीन वर्षों में किए गए इक्विटी निवेश को **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी में निवेश

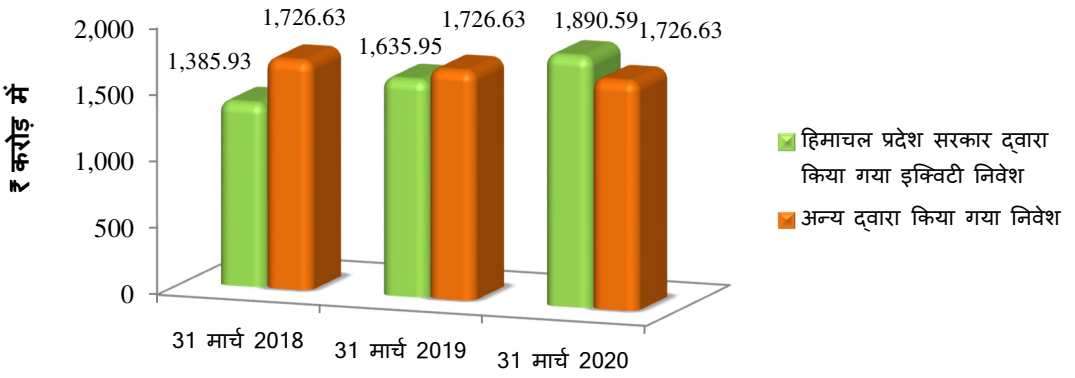

स्रोतः *विद्युत क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त संकलित सूचना के आधार पर।*

1.3.2 राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को दिये गये ऋण

1.3.2.1 31 मार्च 2020 को बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2020 तक राज्य के चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में सभी स्रोतों से कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹10,595.09 था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-III** में है। 31 मार्च 2020 तक राज्य के इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के दीर्घावधि ऋण में 31 मार्च 2019 की तुलना में ₹1,058.45 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का बकाया दीर्घावधि ऋण का वर्ष-वार विवरण **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.2: विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का बकाया दीर्घावधि ऋण

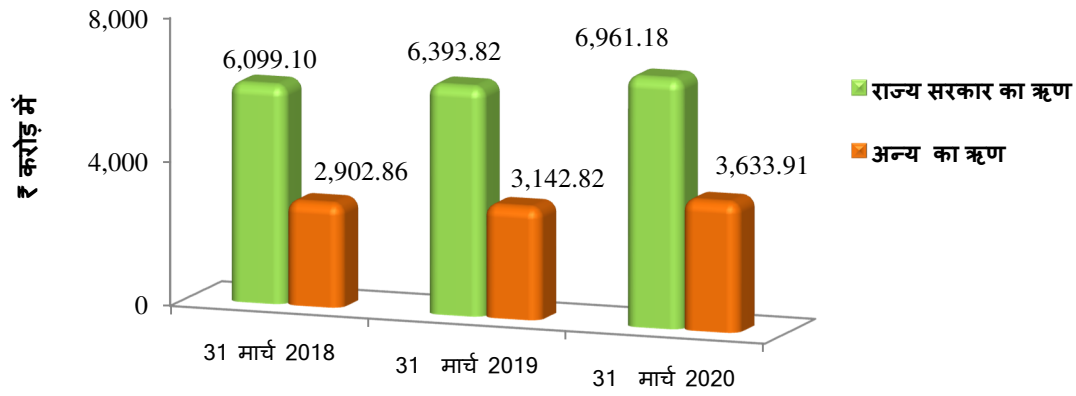

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त संकलित सूचना।*

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण सकल दीर्घावधि ऋण का 65.70 प्रतिशत (₹6961.18 करोड़) था। जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं से 34.30 प्रतिशत (₹3,633.91 करोड़) का दीर्घावधि ऋण लिया गया। दीर्घावधि ऋण वर्ष 2017 -18 में ₹9,001.96 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹10,595.09 करोड़ हो गया।

1.3.3 ऋण देयताओं का निर्वहन करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल कर्ज/ऋणों का अनुपात यह निर्धारित की विधियों में से एक हैं की क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (साल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋणों वाले राज्य के चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घावधि ऋण का कवरेज **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	*सम्पतियाँ*	*दीर्घावधि ऋण*	*सम्पतियों का दीर्घावधि ऋणों के साथ अनुपात*
	(₹ करोड़ में)		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	9,209.36	4,719.12	1.95:1
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	1,966.24	1,145.80	1.72:1
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	6,414.55	1,181.72	5.43:1
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	1,746.34	1,397.91	1.25:1
कुल	**19,336.49**	**8,444.55**	**2.29:1**

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों से संकलित।*

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य के सभी विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की सकल संपत्तियों का मूल्य सकल ऋणों/ उधारों की तुलना में अधिक था।

1.3.4 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज की भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसकी गणना ब्याज एवं कर से पहले कम्पनी के उपार्जन को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा कम्पनी की कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है तो कम्पनी ब्याज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान जिन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ब्याज का भार था उनका ब्याज कवरेज अनुपात नीचे **तालिका-1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.6: राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के ब्याज कवरेज़ अनुपात का विवरण

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	ब्याज लागत	ब्याज एंव कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज एंव कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज एंव कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	518.55	508.04	0.98	503.35	459.14	0.91	457.06	460.72	1.01
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	(-) 17.92	-	-	(-) 32.35	-	96.23	17.11	0.18
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	(-) 11.30	-	-	(-) 8.02	-	9.13	(-) 31.79	(-) 3.48

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।*

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि केवल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक है। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम पाया गया जो कि राज्य इन विद्युत क्षेत्रों के उद्यमों के ऋणों की शोधन क्षमता के उच्चतम जोखिम को दर्शाता है। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड का व्यावसायिक परिचालन आरंभ नहीं होने के कारण ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन नहीं है।

1.3.5 राज्य सरकार के ऋण पर बकाया देय ब्याज की वर्ष-वार विश्लेषण

31 दिसम्वर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ व हानि लेखे बना रहे राज्य के तीनों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹523.55 करोड़ का ब्याज देय था। राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज का वर्ष-वार विश्लेषण **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7: राज्य सरकार के ऋणों पर देय ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर देय ब्याज	राज्य सरकार के ऋण पर एक वर्ष से कम का ब्याज	राज्य सरकार के ऋण पर एक वर्ष से अधिक का ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	36.91	0.02	36.89
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	193.72	75.77	117.95
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	292.92	292.92	-
	कुल योग	**523.55**	**368.71**	**154.84**

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।*

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 31 दिसम्बर 2020 तक अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹523.55 करोड़ का उपार्जित ब्याज देय है जिसमें ₹154.84 करोड़ की राशि एक वर्ष से अधिक की देय है।

1.4 सरकारी कम्पनियों का निवेश प्रतिफल

1.4.1 राज्य के विद्युत क्षेत्रों के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

31 दिसम्बर 2020 तक अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में से एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) द्वारा ₹3.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया, राज्य के दो विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) ₹120.04 करोड़ की हानि हुई तथा अन्य एक उद्यम (ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) ने अभी लाभ एवं हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं।

राज्य के विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमों की गतिविधि अनुसार अर्जित किए गए लाभ अथवा हानि में योगदान का ब्यौरा 31 दिसम्बर 2020 तक अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **तालिका-1.8** में दिया गया है।

तालिका-1.8: 31 दिसम्वर 2020 तक राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों तथा नवीनतम अंतिम रुप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभ अर्जित करने/ हानि उठाने की गतिविधि-वार भागीदारी

गतिविधि	राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	शुद्ध लाभ अर्जित	शुद्ध घाटा हुआ
		(₹ करोड़ में)	
उत्पादन	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	40.92
संचरण	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	79.12
वितरण एंव संचरण	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	3.66	-

स्रोत: *31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।*

राज्य के प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार तीनों उद्यमों में ₹116.38 करोड़ की समेकित शुद्ध हानि हुई।

1.4.2 राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में निवल मूल्य (नेटवर्थ) का क्षरण

नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेटवर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ₹3,142.57 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रति चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानियां

₹1704.12 करोड़ थी जैसाकि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है, जो ₹1,438.45 करोड़ के नेटवर्थ में परिणत हुई जैसाकि **तालिका 1.9** में दिया गया है। इन चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में नेटवर्थ पूर्णत: समाप्त हो गई तथा उसके नवीनतम अंतिम रुप दिए लेखाओं के अनुसार (-)₹864.49 करोड़ था।

तालिका 1.9 राज्य के विद्युत क्षेत्रों के सभी उद्यमों की 2017-20 के दौरान नेटवर्थ को दर्शाती है।

तालिका 1.9: वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र के चारों उद्यमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	नेटवर्थ
2017-18	
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-1,396.34
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	1,526.18
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	253.34
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	300
कुल	**683.18**
2018-19	
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-1,390.57
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	1,634.03
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	274.31
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	300
कुल	**817.77**
2019-20	
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-864.49
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	1,729.56
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	273.38
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	300
कुल	**1,438.45**

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखो के अनुसार।*

राज्य सरकार द्वारा इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को पूंजीगत कार्य हेतु तथा इनकी नकदी को बेहतर बनाने के लिए 2017-20 तक की अवधि के दौरान इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमेटेड ने 2019-20 के दौरान (वर्ष 2017-18 के बैलेंस शीट) पूर्व के राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित ₹505.13 करोड़ की हानियों को समायोजित किया। परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र की कम्पनी की संचित हानियाँ 2017-18 में ₹2,064.03 करोड़ से घटकर ₹1,704.12 करोड़ हो गई।

राज्य के चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में से वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान एक[18] उद्यम का नेटवर्थ ऋणात्मक तथा अन्य तीन[19] उद्यमों का नेटवर्थ सकारात्मक रहा।

1.4.3 राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारित (अप्रैल 2011) की गई है कि राज्य के सभी लाभ अर्जित करने वाले विद्युत क्षेत्र के सभी उद्यम (कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र को छोड़ कर) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक करेंगे। वर्ष 2019-20 तक अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार केवल विद्युत क्षेत्र के एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने ₹3.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया परंतु जिसे उपयोगिता क्षेत्र में होने के कारण लाभांश भुगतान करने की आवश्कता नहीं है।

1.4.4 राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी[20] पर प्रतिफल किसी कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन का माप है जिसकी गणना शेयरधारकों की इक्विटी से आय (अर्थात कर के पश्चात् कुल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। 2017-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों की इक्विटी प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि इन तीन विचारणीय वर्षो में सभी विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की या तो निवल आय अथवा नेटवर्थ ऋणात्मक थी। 31 दिसंबर 2020 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की निवल आय धनात्मक थी, परन्तु उसका नेटवर्थ उस वर्षो के दौरान ऋणात्मक था।

1.5 राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की परिचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीनों उद्यमों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां एवं नियोजित पूंजी[21] का सार **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है:

---

18 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड।*

19 *हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड और ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

20 *इक्विटी पर रिटर्न = (कर के पश्चात शुद्ध लाभ/इक्विटी) x 100, जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।*

21 *नियोजित पूंजी = चुकता पूंजी + मुक्त भंडार + लंबी अवधि के ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।*

चार्ट-1.3: उत्पादन, परिसंपतियाँ एंव नियोजित पूंजी का मूल्य

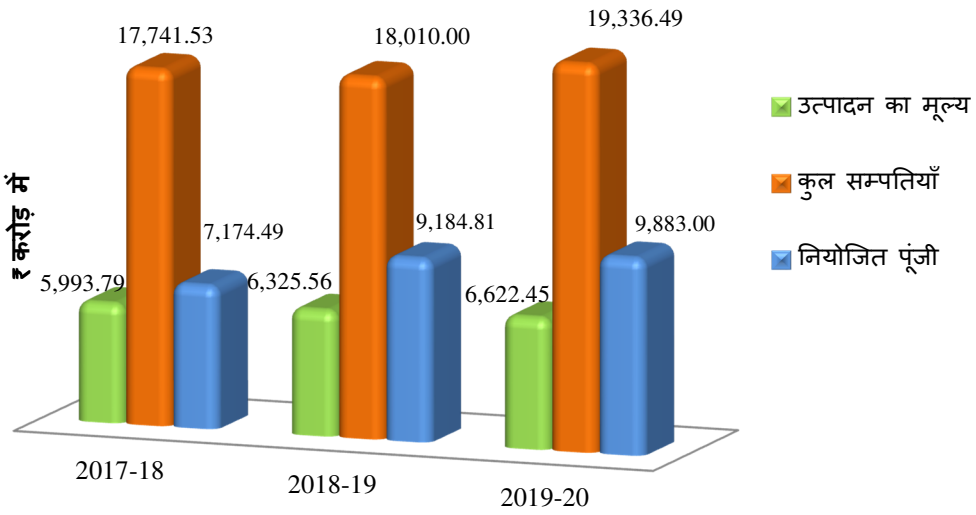

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार सूचना।*

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन का मूल्य, कुल सम्पत्ति व नियोजित पूंजी का विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका-1.10: वर्ष 2017 -18 से 2019-20 के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन का मूल्य, कुल संपत्ति और नियोजित पूंजी का उनके अंतिम रुप दिए लेखाओं के अनुसार वर्ष 2017-19 के दौरान प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर एवं वर्ष 2019-20 के दौरान 31 दिसम्बर 2020 तक का मूल्य

(₹ करोड़ में)

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
2017-18			
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	5,980.02	9,651.99	1,850.49
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	1.65	5,679.51	3,274.42
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	12.12	1,042.04	711.36
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0	1,367.99	1,338.22
कुल	**5,993.79**	**17,741.53**	**7,174.49**
2018-19			
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	6,291.54	9,061.76	3,171.07
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	14.71	6,054.63	3,558.10
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	19.31	1,400.63	1,002.44
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0	1,492.98	1,453.20
कुल	**6,325.56**	**18,010.00**	**9,184.81**
2019-20			
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	6,520.76	9,209.36	3,854.63
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	83.36	6,414.55	2,911.28

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नाम	उत्पादन का मूल्य	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूंजी
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	18.33	1,966.24	1,419.18
ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0	1,746.34	1,697.91
कुल	**6,622.45**	**19336.49**	**9,883.00**

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार।*

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन मूल्य, संपत्तियों तथा नियोजित पूंजी के मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है। उत्पादन तथा संपत्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के व्यवसायिक परिचालन शुरू होने तथा भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बहाली के कारण हुई जो 2015-16 के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी।

1.5.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी प्रतिफल की गणना, ब्याज एवं कर के पूर्व कंपनी के उपार्जन को नियोजित पूंजी से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नीचे दी गई **तालिका-1.11** में दिया गया है।

तालिका-1.11: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज एवं कर से पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत में)
2017-18	478.82	7,174.49	6.67
2018-19	418.77	9,184.81	4.56
2019-20	446.04	9,883.00	4.51

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ब्याज व कर पूर्व उपार्जन 2017-18 में ₹478.82 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹446.04 करोड़ हो गया और इन कंपनियों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत भी 2017-18 में 6.67 से घटकर 2019-20 में 4.51 हो गया।

यद्यपि 2018-19 की तुलना में 2019-20 में परिचालन राजस्व अधिक था, परन्तु वर्ष के दौरान अधिक पूंजी नियोजित होने के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिफल कम था।

1.6 निवेश का वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

सरकार द्वारा राज्य के तीन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए राज्य सरकार इस तरह के निवेश पर आवश्यक रूप से वास्तविक प्रतिफल की दर की प्रत्यापेक्षा करती है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारम्परिक गणना निवेश प्रतिफल की पर्याप्तता का एक सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं

वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, इसके अलावा वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

निवेश की एतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-बार औसत दर सम्बन्धित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती है। इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेशों के वर्तमान मूल्य को इक्विटी के रूप में (परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु व्याज रहित ऋण या अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई थी) गणना की गई थी।

31 मार्च 2020 तक समाप्त प्रत्येक वर्ष पर निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य में लाने के लिए राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई थी।

- जहां विद्युत क्षेत्र के उद्यमों को ब्याज रहित ऋण दिए गए थे और बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे वहां इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से काटकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[22] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा किए गए लागत का प्रतिनिधित्व करते है और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- सकल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

1.6.1 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक इक्विटी एवं ऋण के रूप में तीनों विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की कम्पनीवार स्थिति **परिशिष्ट 1.1** में इंगित की गई है। यद्यपि 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त/किए गए कोई ब्याज रहित ऋण इक्विटी/अनुदान/ सब्सिडी/विनिवेश में परिवर्तित नहीं हुए।

---

[22] *सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + वर्तमान वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2]*100.*

31 मार्च 2020 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से तीनों विद्युत क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका-1.12** में दर्शाई गई है।

तालिका-1.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्ष बार विवरण तथा 2007-08 से 2019-20 तक सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/ सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश (viii=i+vii)	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत कुल निवेश का वर्तमान मूल्य (x={viii*(1+ ix)/ 100})	वर्ष हेतु निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल xi={viii*ix/100 }	वर्ष[23] के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल (xiii= xii/x*100
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
2007-08	-	80.11	-	-	-	-	80.11	80.11	9.09	87.39	7.28	-	-
2008-09	87.39	252.32	-	-	-	-	252.32	339.71	9.19	370.93	31.22	-	-
2009-10	370.93	288.11	-	-	-	-	288.11	659.04	8.59	715.65	56.61	-	-
2010-11	715.65	532.28	-	-	-	-	532.28	1247.93	7.78	1345.02	97.09	-152.62	-
2011-12	1345.02	98.05	-	-	-	645.85	-547.80	797.22	7.80	859.41	62.18	-152.62	-
2012-13	859.41	257.96	-	-	-	-	257.96	1117.37	8.08	1207.65	90.28	-315.94	-
2013-14	1207.65	219.75	-	-	-	-	219.75	1427.40	7.71	1537.45	110.05	-512.76	-
2014-15	1537.45	294.27	-	-	-	550.00	-255.73	1281.72	7.91	1383.11	101.38	-356.72	-
2015-16	1383.11	174.04	-	-	-	-	174.04	1557.15	7.95	1680.94	123.79	-156.88	-
2016-17	1680.94	202.78	-	-	-	-	202.78	1883.72	7.60	2026.88	143.16	-129.32	-
2017-18	2026.88	182.11	-	-	-	-	182.11	2208.99	7.71	2379.30	170.31	-39.73	-
2018-19	2379.30	250.00	-	-	-	-	250.00	2629.30	8.32	2848.06	218.76	-83.28	-
2019-20	2848.06	254.66					254.66	3102.72	7.97	3350.01	247.29	-116.38	-
		3,086.44[24]	**-**	**-**		**1,195.85**	**1890.59**						

स्रोत: *राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों एवं नवीनतम अंतिम रुप दिए लेखाओं से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।*
नोट: *परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार से कोई अनुदान/सब्सिडी नहीं मिली।*

राज्य सरकार का इन कम्पनियों में 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश ₹1890.59 करोड़ था जो कि राज्य सरकार द्वारा किये गये विनिवेश के ₹1195.85 करोड़ के समायोजन {हिमाचल

---

[23] *वर्ष के लिए कुल कमाई उन तीन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित वर्ष के लिए कुल शुद्ध कमाई (लाभ/हानि) दर्शाती है जहां राज्य सरकार द्वारा धन का उपयोग किया गया था।*

[24] *इसमें 2011-12 और 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए ₹1,195.85 करोड़ का विनिवेश शामिल है।*

प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ₹537.15 करोड़ (2011-12) ₹550.00 करोड़ (2014-15) एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ₹108.70 करोड (2011-12)} के पश्चात् था। राज्य सरकार केवल इक्विटी के रूप में निवेश किया गया तथा इस अवधि के दौरान परिचालन एवं प्रशासनिक व्ययों के प्रति कोई भी अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध नहीं करवाई गई। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹3,350.01 करोड़ था। तीनों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों का शुद्ध अर्जन वर्ष 2019-20 के दौरान (-)₹116.38 करोड़ था। अतः वर्ष 2019-20 के दौरान इन उद्यमों का वास्तविक प्रतिफल की दर (-)3.47 प्रतिशत थी। उपरोक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2010-11 से लगातार कुल अर्जन ऋणात्मक रहा है जो यह दर्शाता है कि निवेशित पूंजी पर प्रतिफल उत्पन्न करने के स्थान पर, ये उद्यम पूंजी की लागत भी वसूल करने में सक्षम नहीं थी।

1.6.2 ऐतिहासिक लागत एवं निवेश के वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹1,890.59 करोड़ का निवेश किया था। यद्यपि **तालिका 1.12** से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2020 तक सभी वर्षों में राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा।

1.7 उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) का कार्यान्वयन

'उदय' योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

1.7.1 वित्तीय बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को 'उदय' योजना का लाभ उठाने के लिए सैद्धांतिक सहमति (18 अगस्त 2016) दी। तत्पश्चात ऊर्जा मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं राज्य डिस्काम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 08 दिसम्बर 2016 को हस्ताक्षर किए गए। 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्काम से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹3,854.00 करोड़) में से कुल ₹2,890.50 करोड़ के ऋण अधिग्रहण किया।

उदय योजना के अन्तर्गत ब्याज सहित ऋण के माध्यम से उपलब्ध से करवाई गई ₹2,890.50 करोड़ की राशि को 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है।

1.7.2 परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत राज्य डिस्काम से सम्बन्धित (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) विभिन्न परिचालनात्मक मापदण्डों के तहत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति **तालिका 1.13** में दी गई है:

तालिका-1.13: 30 सितम्बर 2020 तक मापदण्ड वार उपलब्धियों की परिचालन प्रदर्शन के लक्ष्य से तुलना

उदय योजना के मापदंड	उदय योजना के तहत लक्ष्य	उदय योजना के तहत प्रगति	उपलब्धियाँ (प्रतिशत में)
फीडर मीटरिंग संख्या में (संख्या में)	मीटर पहले से स्थापित है।		
वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटरिंग (संख्या में)	-	-	-
शहरी	मीटर पहले से स्थापित है।		
ग्रामीण	7,921	865	10.92
ग्रामीण फीडर लेखा परीक्षा (संख्या में)	पहले से की गई ऊर्जा लेखा परीक्षा		
घर जो बिजली से वंचित है (संख्या लाख में)	0.18	0.67	372
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)	पहले से ही वितरित		
सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (प्रतिशत में)	12.75	9.47	100
औसत आपूर्ति लागत व औसत वसूली योग्य राजस्व - (₹ प्रति इकाई)	(-)0.05	0.03	92.38

स्रोत: *भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वेबसाईट के अनुसार उदय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड।*

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम का प्रदर्शन ग्रामीण फीडरों की ऊर्जा लेखापरीक्षा, बिना बिजली के परिवारों को बिजली देने में उत्तम रहा तथा समग्र तकनीकी व वाणिज्यिक हानि में कमी एवं औसत आपूर्ति लागत व औसत वसूली योग्य राजस्व अंतर में कमी का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया गया परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग करने में प्रदर्शन निराशाजनक था।

डिस्काम ने अन्य वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर फरवरी 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹683.34 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7.49 व 8.19 प्रतिशत ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए गए।

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

2.1 परिचय

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) थे। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 19 सरकारी कंपनियां, दो[25] सांविधिक निगम एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार[26] अन्य कंपनियां सम्मिलित है। 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां[27] एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी[28] अकार्यशील हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो नए उद्यमों[29] का गठन किया गया था।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन एवं इनकी प्रकृति **तालिका-2.1** में दर्शाई गई हैं।

तालिका-2.1: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रकृति एवं कवरेज

राज्य के सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रकृति	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल संख्या	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल संख्या					सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या जिनके प्रथम लेखें प्राप्त नहीं हुए अथवा परिसमापनाधीन है
		लेखे				कुल	
		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 तक एवं विगत वर्षों के लेखे		
सरकारी कंपनियां	19	6	3	2	5	**16**	3[30]
सांविधिक निगम	2	1	1	0	0	**2**	0
कुल	**21**	**7**	**4**	**2**	**5**	**18**	**3**
सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	4	2	0	1	0	**3**	1[31]
सकल योग	**25**	**9**	**4**	**3**	**5**	**21**	**4**

नियंत्रक-लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली सभी सरकारी कंपनियां/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं संविधानिक निगमों के नाम, साथ ही निगमन का माह व वर्ष, प्रशासन विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया हैं।

---

25 *हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।*

26 *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑरगनाईजेशन लिमिटेड। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (अकार्यशील कंपनी)।*

27 *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

28 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

29 *श्री नैनादेवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।*

30 *श्री नैनादेवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

31 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (अकार्यशील कंपनी)।*

इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम लेखाओं के आधार पर उनके परिणाम सम्मिलित किये गए है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नियंत्रित करते है। इसलिए इन विभागों (क्षेत्रों) के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति का विभाजन एवं विश्लेषण किया गया हैं।

31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अन्तिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) के वित्तीय निष्पादन का सारांश

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	25
सम्मिलित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	25
प्रदत्त पूंजी (राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1,090.67 करोड़
हिमाचल प्रदेश सरकार का इक्विटी निवेश (राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1,056.24 करोड़
दीर्घावधि ऋण (राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹431.63 करोड़
समेकित लाभ/हानि (राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	(-) ₹154.41 करोड़
निवल लाभ (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹42.07 करोड़
निवल हानि (राज्य के 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	(-) ₹196.48 करोड़
राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई या जिन्होंने अब तक उनके प्रथम लेखे / लाभ व हानि के लेखे नहीं बनाए	छः
लाभांश का भुगतान/ घोषित किया गया (राज्य के 03 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹2.25 करोड़
राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित नहीं किया (राज्य के 04 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)	₹1.34 करोड़
कुल परिसंपत्तियां	₹3,629.19 करोड़
टर्नओवर	₹3,290.26 करोड़
नेटवर्थ	(-) ₹636.18 करोड़
संचित हानि	₹1,726.85 करोड़

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार

सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर तथा हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे **तालिका-2.2** में दिया गया है।

तालिका-2.2: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर	2,471.95	2,743.10	2,821.02	3,400.40	3,290.26
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलु उत्पाद (चालू मूल्यों पर)	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845	1,65,472
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलु उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर की प्रतिशतता	2.16	2.18	2.04	2.21	1.99

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का टर्नओवर 2015-16 से 2018-19 तक स्थिर रहा परन्तु 2018-19 में रुपए 3,400.40 करोड़ से थोड़ा घटकर 2019-20 में ₹3,290.26 करोड हो गया। 2015-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 2.84 प्रतिशत से 20.54 प्रतिशत के मध्य रही, परन्तु विगत वर्ष अर्थात 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में 3.24 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.56 प्रतिशत से 11.20 प्रतिशत के मध्य रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि-दर विभिन्न समयावधियों में विकास दर मापने की एक उपयोगी पद्धति होती है। हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विगत पांच वर्षों में 9.71 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 9.71 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर के प्रति राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने विगत 5 वर्षों के दौरान 7.41 प्रतिशत की कम का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर दर्ज की। इसके परिणामस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के टर्नओवर का अंश 2015-16 के 2.16 प्रतिशत से 2019-20 में 1.99 प्रतिशत घट गया।

2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संचालित करने वाले विभागों के आधार पर किये गए महत्वपूर्ण वर्गीकरण के तहत उनकी स्थिति का विभाजन एवं विश्लेषण किया गया हैं। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य सरकार ने राज्य के केवल 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश किया एवं राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों[32] में कोई राशि निवेशित नहीं की गई। 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी एवं ऋण में निवेश की गई राशि के विवरण **परिशिष्ट-III** में तथा **तालिका-2.3** में दिया गया हैं।

[32] *हिमाचल कंसल्टेंसी ऑरगनाईजेशन लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

तालिका-2.3: राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
केंद्र सरकार	19.03	29.77	20.57	19.03	1.54	20.57
राज्य सरकार	1,064.64	209.22	1,273.86	1,145.89	220.33	1,366.22
केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियां	6.18	0	6.18	6.18	63.57	69.75
अन्य	8.67	138.67	147.34	9.22	151.13	160.35
योग	**1,098.52**	**377.66**	**1,476.18**	**1,180.32**	**436.57**	**1,616.89**
राज्य सरकार का सकल इक्विटी/ऋण में अंश (प्रतिशत में)	96.92	55.40	88.11	97.08	50.47	84.50

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश (इक्विटी व दीर्घावधि ऋण) ₹1,616.89 करोड़ था, जिसने 31 मार्च 2019 से ₹140.71 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में उल्लेखनीय इक्विटी निवेश (₹79.39 करोड़) किया।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) था एवं 31 मार्च 2019 की अपेक्षा ₹11.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में समय-समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के सन्दर्भ में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, ऋण को बट्टे-खाते में डालना एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण के रूप में बजटीय बहिर्गमन (बजटरी आउटगो) का संक्षिप्त विवरण **तालिका-2.4** में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[33]	**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	**राशि**	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या**	**राशि**	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या**	**राशि**
इक्विटी पूंजी	2	50.80	3	62.85	4	81.25
दिए गए ऋण	1	5.44	1	4.10	1	3.90
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	6	423.63	9	416.36	8	671.15
कुल बहिर्गमन		**479.87**		**483.31**		**756.30**
बट्टे-खाते में डाला गया ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटी	5	192.65	5	115.60	5	108.60
गारंटी प्रतिबद्धता/बकाया	5	277.98	1	0.60	6	196.24

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

2.2.1 इक्विटी में निवेश

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी के अंकित मूल्य पर कुल निवेश में ₹81.25 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा किया गया इक्विटी में निवेश **चार्ट-2.1** में दर्शाया गया है।

[33] *राशि केवल राज्य के बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।*

चार्ट-2.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी के रूप में निवेश

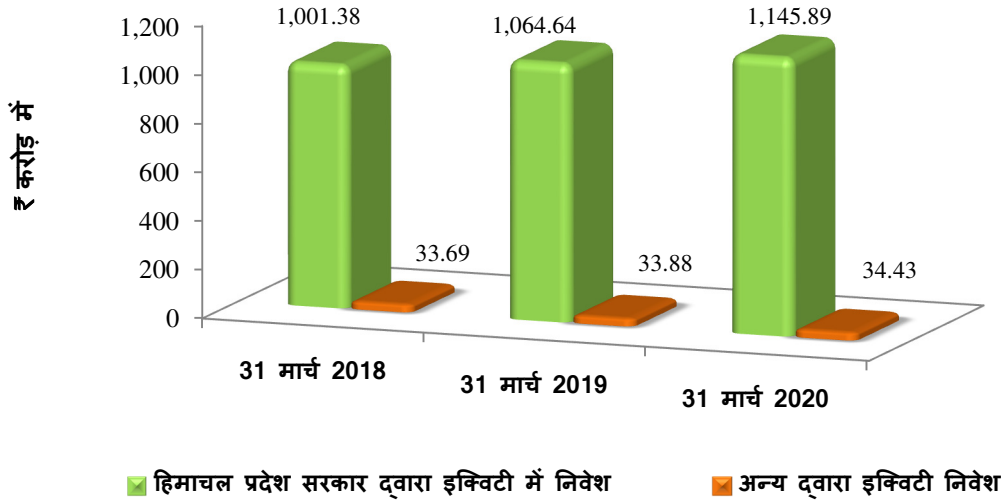

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

31 मार्च 2020 तक कुल इक्विटी में 2017-18 की तुलना में ₹145.25 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा ₹144.51 करोड़) की वृद्धि हुई जो 31 मार्च 2018 से 14.03 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि 2018-20 के दौरान अन्य द्वारा इक्विटी निवेश लगभग स्थिर रहा।

31 मार्च 2020 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त-पूंजी में राज्य सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी (₹25 करोड़ से अधिक का निवेश) में किये गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण **तालिका-2.5** में दिया गया है।

तालिका-2.5: राज्य सरकार द्वारा किये गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	राशि
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	31.20
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	उद्योग	92.98
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	25.00
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	30.82
हिमाचल पथ परिवहन निगम	यातायात	842.10

2.2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण

2.2.2.1 31 मार्च 2020 तक बकाया दीर्घावधि ऋण की गणना

31 मार्च 2020 तक के राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में सभी स्रोतों के बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹436.57 करोड़ था।

31 मार्च 2018 की तुलना में, 31 मार्च 2020 तक राज्य के इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दीर्घावधि ऋण में ₹20.34 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में बकाया दीर्घावधि ऋण का वर्ष-वार विवरण **चार्ट-2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का बकाया दीर्घावधि ऋण

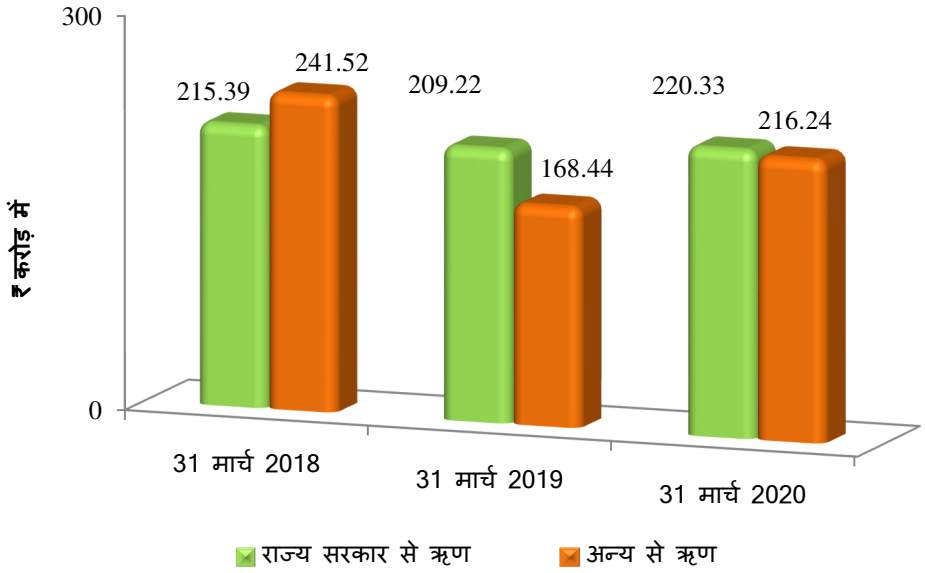

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से प्राप्त जानकारी के आधार पर

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 49.53 प्रतिशत (₹216.24 करोड़) भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य से प्राप्त किए गए थे।

2.2.2.2 ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल कर्ज/ऋणों का अनुपात यह निर्धारित की विधियों में से एक हैं की क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (साल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋणों वाले राज्य के दस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घावधि ऋण का कवरेज अनुपात **तालिका-2.6** में दिया गया है।

तालिका-2.6: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	धनात्मक कवरेज			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्तियां	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्ति-ऋण अनुपात
	(₹ करोड़ में)			
सांविधिक निगम	2	1,173.62	236.49	4.96:1
सरकारी कंपनियां	8	566.17	195.14	2.90:1
योग	**10**	**1,739.79**	**431.63**	**4.03:1**

स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर संकलित।

राज्य के दस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक अकार्यशील उद्यम (एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड) में संपत्ति ऋण अनुपात एक से कम था (0.02:1), क्योंकि कुल संपत्ति मूल्य (₹1.33 करोड़) बकाया ऋण (₹60.15 करोड) से कम था। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का परिसंपत्ति-ऋण अनुपात सर्वोच्च होने का (206.10:1) मुख्य कारण कम ऋण राशि होना था।

2.2.2.3 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कंपनी के अर्जित लाभांश को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा कंपनी की ऋण का ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम पर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है, कि कंपनी अपने ब्याज के खर्चे का पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं कर रही है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनक क्षेत्र के उद्यमों का धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका-2.7** साथ में दिया गया है।

तालिका-2.7: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व् कर पूर्व अर्जन (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक के बराबर या अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या
	सांविधिक निगम				
2017-18	29.86	(-) 100.77	2	0	2
2018-19	33.66	(-) 124.07	2	0	2
2019-20	27.52	(-) 132.78	2	0	2
	सरकारी कंपनियां				
2017-18	5.19	13.23	10	8	2[34]
2018-19	7.04	4.96	10	8	2[35]
2019-20	7.90	(-)9.96	10	7	3[36]

स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) का समीक्षा के तीनों वर्षों में ब्याज व कर पूर्व अर्जित लाभांश उनकी ब्याज देयताओं से कम था।

2.2.2.4 सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों में निवेश

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार[37] कंपनियों पूंजी निवेश **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों में पूंजीगत अंश का संघटन (₹ करोड़ में)

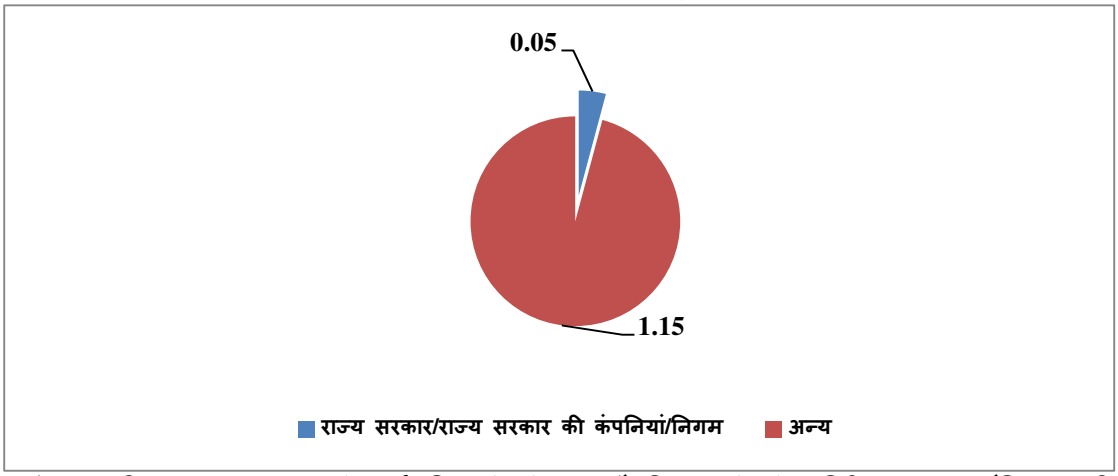

स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

---

34 *हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।*

35 *हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास लिमिटेड।*

36 *हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड।*

37 *शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

2.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल, वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जिसका मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात- कर के बाद का निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। यह प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी उस कंपनी के लिए की जा सकती है, जिसकी निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों संख्या धनात्मक हो।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि अथवा नेट वर्थ की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तिया बेच दी जाये एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

31 दिसंबर 2020 तक कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित (₹42.07 करोड़) करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 25 में से 12 थीं तथा राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹196.48 करोड़ की हानि हुई थीं जैसा कि **चार्ट-2.4** में दर्शाया गया है। राज्य के छः[38] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने या तो उनके प्रथम लेखे/लाभ व हानि लेखा नहीं बनाया था अथवा उनके आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थीं।

---

[38] *राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने उनके प्रथम लेखे नहीं भेजे: i) शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ii) श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड एवं iii) रोपवे व रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड।*
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनका व्यय आधिक्य राज्य द्वारा प्रतिपूरित किया गया: i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एवं iii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड।

चार्ट 2.4: 31 मार्च 2020 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या तथा उनकी इक्विटी पर प्रतिफल

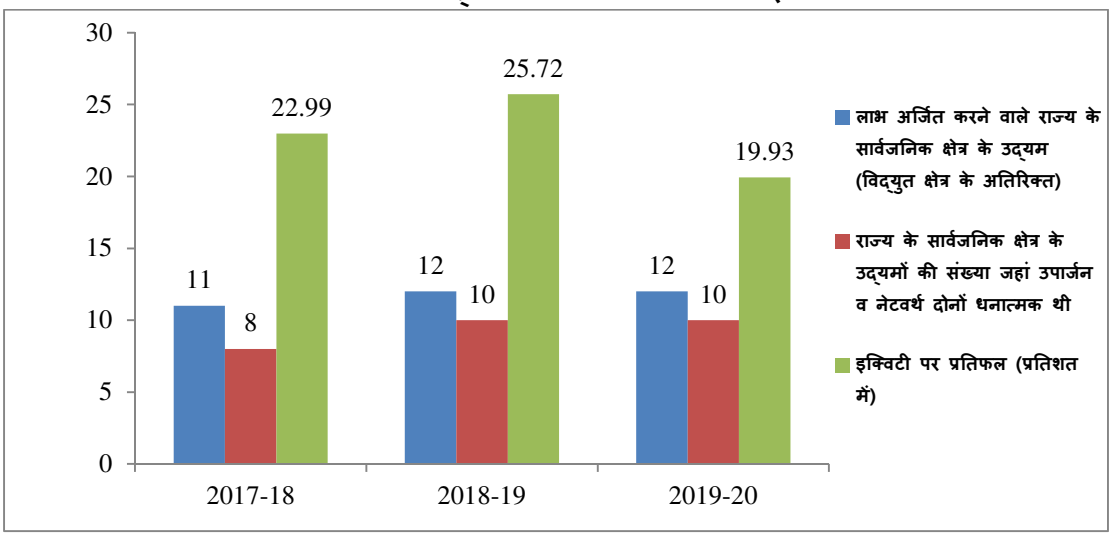

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 दिसम्बर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार दो सरकारी कंपनियां,जिन्होंने सर्वाधिक लाभ का योगदान दिया, **तालिका-2.8** में सारांशित की गई हैं।

तालिका 2.8: 31 दिसंबर 2020 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ का योगदान देने वाली दो सरकारी कंपनियां

क्र.सं.	राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत (₹42.07 करोड़) जिन्होंने नवीनतम अंतिम रूप लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	13.90	33.04
2	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	6.97	16.57
	योग	**20.87**	**49.61**

स्रोत: 31 दिसंबर 2020 तक राज के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक वित्तीय विवरणियों के आधार पर संकलित

सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में, हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड में उसके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हानि हुई, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 हेतु उसकी प्रथम वित्तीय विवरणी लाभ व हानि लेखाओं के बिना तैयार की, हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से अकार्यशील थी एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के संबंध में आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई।

2.3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सभी सार्वजनक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं जनउपयोगी क्षेत्र को छोड़कर) राज्य सरकार द्वारा दी गई (अंशदत्त) प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात 50 प्रतिशत लाभ की सीमा तक पर करेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक उनके नवीनतम अंतिम रुप दिए लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने ₹32.58 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया (अकार्यशील राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड को छोड़ कर) जिसमें से राज्य के केवल सात[39] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश घोषित करने हेतु योग्य थे, यद्यपि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹2.25 करोड़ के लाभांश की घोषणा की/भुगतान किया तथा राज्य के शेष चार लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.34 करोड़ के लाभांश का भुगतान/प्रदान नहीं किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभ अर्जित करने तथा लाभांश घोषित करने/भुगतान करने तथा भुगतान न करने का विवरण **तालिका-2.9** में दिया गया है।

तालिका-2.9: 31 दिसंबर 2020 तक अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित अर्जित लाभ व लाभांश

श्रेणी	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	लाभांश घोषित करने योग्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	कर व ब्याज के पश्चात् निवल लाभ	लाभांश घोषित /भुगतान करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	लाभांश घोषित /भुगतान करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	नीति के अनुसार घोषित /भुगतान न किया गया लाभांश
				(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	25	11	7	85.61	28.28	3	2.25	4	1.34
योग	**25**	**11**	**7**	**85.61**	**28.28**	**3**	**2.25**	**4**	**1.34**

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य सरकार को ₹3.51 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर 10 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित/ भुगतान किया (₹0.35 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने प्रदत्त पूंजी पर 5 प्रतिशत की दर से क्रमश ₹1.54 करोड़ व ₹0.36 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। 31 दिसंबर 2020 तक राज्य के चार सार्वजनिक

[39] *हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।*

क्षेत्र के उद्यमों[40] ने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹1.34 करोड़ के लाभांश का राज्य सरकार को घोषित/भुगतान नहीं किए।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक बोर्ड में उसके नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से लाभांश का भुगतान न करने के मामले को उठाएं।

2.3.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल[41] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जिसका मूल्यांकन शेयरधारकों की इक्विटी से निवल आय को विभाजित करके किया जाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र-वार इक्विटी पर प्रतिफल **तालिका-2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.10: क्षेत्र-वार इक्विटी पर प्रतिफल

क्र.सं.	क्षेत्र	2017-18 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल	2018-19 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल	2019-20 के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल
1	**कृषि**	(-) 3.04	(-) 6.77	(-) 17.43
2	**वित्त**	(-) 10.56	(-) 15.31	(-) 11.88
3	**अवसंरचना**	17.52	18.66	13.07
4	**विनिर्माण**	43.60	32.42	19.67
5	**सेवा**	(-) 21.64	(-) 20.87	(-) 24.87

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित

2.4 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण **तालिका-2.11** में दिया गया है।

---

40 हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड।

*41 इक्विटी पर प्रतिफल = (कर एवं ग्राह्य लाभांश के पश्चात् निवल लाभ /इक्विटी)*100 जहां इक्विटी =प्रदत्त पूंजी +मुक्त भंडार-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय।*

तालिका-2.11: 30 सितम्बर 2018 व 2019 तथा 31 दिसंबर 2020 तक विगत तीन वर्षों के दौरान हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ[42]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम (क)				
2017-18	2	100.77	1,280.47	(-) 510.41
2018-19	2	124.07	1,399.04	(-) 578.98
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
सरकारी कंपनियां /सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (ख)				
2017-18	5	5.66	217.25	(-) 148.12
2018-19	5	14.38	231.72	(-) 162.42
2019-20	5	36.18	267.85	(-) 198.55
योग (क+ख)				
2017-18	**7**	**106.43**	**1,497.72**	**(-) 658.53**
2018-19	**7**	**138.45**	**1,630.76**	**(-) 741.40**
2019-20	**7**	**196.48**	**1,821.69**	**(-) 873.33**

स्रोत: ***राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित***

वर्ष 2019-20 में राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हुई ₹196.48 करोड़ की कुल हानि में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹154.80 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, ₹34.43 करोड़ की हानि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कारण हुई।

2.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेटवर्थ दर्शाता है कि मालिकों का संपूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत निवेश एवं संचित घाटा क्रमश ₹1,090.67 करोड़ एवं ₹1,726.85 करोड़ थे, जो ₹636.18 करोड़ के ऋणात्मक नेटवर्थ में परिणत हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है।

अनुवर्ती **तालिका-2.12**, 2017-20 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में प्रत्यक्ष निवेश किया गया, उनकी कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित हानियां एवं नेटवर्थ को दर्शाती है।

---

[42] *नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी अंश एवं मुक्त भंडार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष, मुक्त भंडार से अर्थ है वे सभी आरक्षित निधियां जो लाभ से व प्रीमियम अंश खाते से सृजित की गई।*

तालिका-2.12: 2017-20 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार उनका नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत पर प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत पर संचित हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2017-18	976.46	(-) 1,445.90	-	(-) 469.43
2018-19	1,038.41	(-) 1,553.07	-	(-) 514.66
2019-20	1,090.67	(-) 1,726.85	-	(-) 636.18

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार जानकारी

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 31 दिसम्बर 2020 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹1,876.11 करोड़ थीं। राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से पांच में 31 दिसंबर 2020 तक उनके अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹195.99 करोड़ की हानि हुई तथा राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोई हानि नहीं हुई, यद्यपि उनकी संचित हानियां ₹53.38 करोड़ थीं। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से छः या तो नव निगमित (तीन) थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई (तीन)।

राज्य के 25 सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में से आठ का नेटवर्थ संचित हानियों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार राज्य के इन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ, ₹969.73 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹890.32 करोड़ था तथा बकाया सरकारी ऋण ₹389.13 करोड़ था। इनमे से राज्य के दो[43] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

राज्य के 25 में से दो[44] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय कमजोरी का परिचायक हैं।

2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचालन दक्षता

2.5.1 टर्नओवर, सम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी

तीन साल[45] की अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का टर्नओवर, कुल परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सारांश **चार्ट-2.5** प्रदर्शित है।

---

43 हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम।

44 हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

45 31 दिसंबर 2020 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार।

चार्ट 2.5: टर्नओवर, परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी

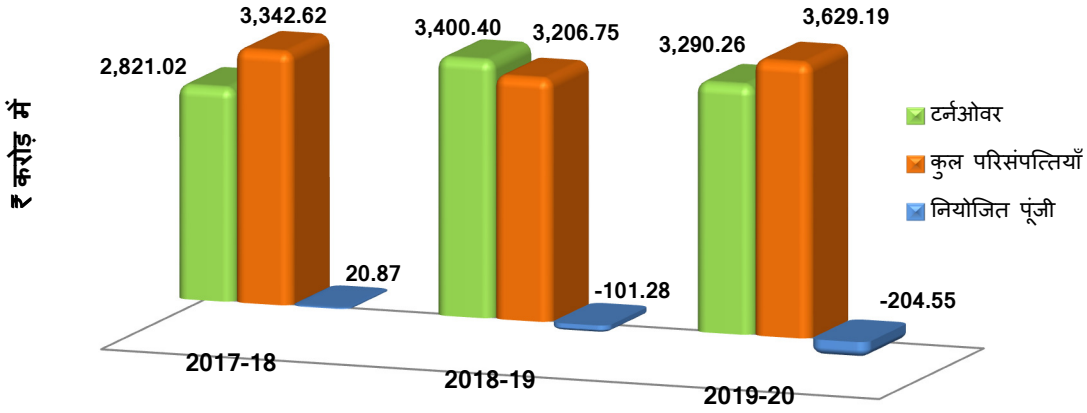

स्रोत: 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

2017-18 से 2019-20 में टर्नओवर में मामूली वृद्धि पाई गई। विगत तीन वर्षों के दौरान, कुल परिसंपत्तियाँ में ₹3,342.62 करोड़ (2017-18) से ₹3,629.19 करोड़ (2019-20) वृद्धि हुई, जैसा की **परिशिष्ट-I** में वर्णित है तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वर्ष-दर वर्ष समेकित निवल हानियों के कारण नियोजित पूंजी में गिरावट हुई।

2.5.2 विद्युत क्षेत्र के उद्यमों के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता तथा उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना, ब्याज व करों के पूर्व कंपनी के अर्जित लाभांश को नियोजित पूंजी[46] से विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का विवरण **तालिका-2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर के पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(*प्रतिशत*)
2017-18	(-) 69.77	20.87	(-) 334.31
2018-19	(-) 84.69	(-) 101.28	लागू नहीं
2019-20	(-) 103.11	(-) 204.55	लागू नहीं

स्रोत: नवीनतम अन्तिमिकृत लेखाओं के अनुसार जानकारी।

[46] *नियोजित पूंजी=प्रदत्त पूंजी का अंश+मुक्त भंडार व अधिशेष +दीर्घावधि ऋण -संचित हानियाँ- आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्षों के अनुसार है जिनके लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।*

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्राथमिक रूप से ऋणात्मक था, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संचित घाटे में क्रमशः ₹154.80 करोड़ व ₹34.43 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.5.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कंसल्टेंसी ऑरगनाईजेशन लिमिटेड एवं हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड को छोड़कर) में किए गए महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक प्रतिफल की दर महत्वपूर्ण है। निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा कर देती हैं। इसलिए, इसके अतिरिक्त, वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर चक्रवृद्धि किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः 31 मार्च 2020 तक इन कंपनियों के संचालन एवं प्रशासनिक व्यय की पूर्ति करने हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई।

31 मार्च 2020 तक, ऐतिहासिक मूल्य को प्रत्येक वर्ष के अंत पर उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विगत निवेश/वर्ष-वार निधियों के निवेश की गणना निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर की गई:

- जहां राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ब्याज रहित ऋण दिए गए थे एवं बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे, वहां इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से काट कर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया।
- सम्बंधित वित्तीय वर्ष[47] के लिए सरकारी उधार ब्याज की औसत दर को वर्तमान

[47] *सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर सम्बंधित वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार) से अपनाया गया है जिसमें चुकाए गए ब्याज की औसत दर की गणना =ब्याज भुगतान/[(गत वर्ष की राजकोषीय देयता की राशि =चालू वर्ष की राजकोषीय देयता की राशि)2]*100।*

मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा किए गए लागत का प्रतिनिधित्व करते है इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटा दिया गया है।

2.5.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2020 तक इक्विटी एवं ऋण के रूप में राज्य के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति **परिशिष्ट-2.1** में दर्शाई गई हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कोई ब्याज रहित ऋण अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गए विनिवेश इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में परिवर्तित नहीं हुए।

वर्ष 1999-2000 से 2019-20 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका-2.14** में इंगित की गई है।

तालिका-2.14: राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं 1999-2000 से 2019-20 की अवधि हेतु सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/ सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
							ज = ग + घ - ङ + च - छ	झ = ख + ज		ट = झ *(1+ ञ /100)	ठ = झ * ञ /100		ढ = ड / ट *100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.71	36.65	-49.50	-
2001-02	397.71	13.01	-	-	-	-	13.01	410.72	11.06	456.15	45.43	-36.70	-
2002-03	456.15	12.43	-	-	-	-	12.43	468.58	10.37	517.17	48.59	-29.19	-
2003-04	517.17	28.60	-	-	-	-	28.60	545.77	10.98	605.70	59.93	-31.10	-
2004-05	605.70	16.06	-	-	-	-	16.06	621.76	10.60	687.66	65.91	-43.44	-
2005-06	687.66	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.40	9.20	765.93	64.53	-30.72	-
2006-07	765.93	14.30	-	-	-	-	14.30	780.23	9.40	853.57	73.34	-62.08	-
2007-08	853.57	38.31	2.25	-	-	-	40.56	894.13	9.09	975.41	81.28	-46.66	-
2008-09	975.41	53.97	-0.10	-	-	-	53.87	1,029.28	9.19	1,123.87	94.59	-33.88	-
2009-10	1,123.87	117.16	-	-	-	-	117.16	1,241.03	8.59	1,347.64	106.60	-55.92	-
2010-11	1,347.64	34.61	-	-	-	-	34.61	1,382.25	7.78	1,489.79	107.54	-38.15	-

क	ख	ग	घ	इ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
2011-12	1,489.79	26.94	9.50	-	-	-	36.44	1,526.23	7.80	1,645.27	119.05	-72.06	-
2012-13	1,645.27	45.76	5.00	-	-	-	50.76	1,696.03	8.08	1,833.07	137.04	-88.46	-
2013-14	1,833.07	67.49	2.54	-	-	-	70.03	1,903.10	7.71	2,049.83	146.73	-112.41	-
2014-15	2,049.83	44.93	-	-	-	-	44.93	2,094.76	7.91	2,260.46	165.70	-98.97	-
2015-16	2,260.46	43.27	14.54	-	-	-	57.81	2,318.27	7.95	2,502.57	184.30	-175.83	-
2016-17	2,502.57	48.04	10.07	-	-	-	58.11	2,560.68	7.60	2,755.29	194.61	23.85	0.87
2017-18	2,755.29	50.80	8.00	-	-	-	58.80	2,814.09	7.71	3,031.06	216.97	-84.08	-
2018-19	3,031.06	62.85	10.00	-	-	-	72.85	3,103.91	8.32	3,362.15	258.24	- 100.71	-
2019-20	3,362.15	81.25	-	-	114.89	-	196.14	3,558.29	7.97	3,841.89	283.60	- 154.41	-
योग:		**1,145.89**	**63.95**	**-**	**114.89**	**-**	**1,324.73**				**2,517.17**		

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यकीय जानकारी एवं नवीनतम अन्तिमिकृत लेखाओं के अनुसार

2019-20 की समाप्ति तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 1999-2000 में ₹300.04 करोड़ से बढ़कर ₹3,841.89 करोड़ हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने ₹1,145.89 करोड़ इक्विटी के रूप में, ₹114.89 करोड़ परिचालन तथा प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी तथा ₹63.95 करोड़ ब्याज रहित ऋण के रूप में निवेश किया। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों की लागत की पूर्ति करने के कारण इन सभी वर्षों का कुल अर्जन ऋणात्मक या अपेक्षित न्यूनतम से कम ही रहा। 1999-2000 से 2019-2020 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों ने मात्र 2016-17 के दौरान लाभ अर्जित किया (₹23.85 करोड़) तथा इन्होंने शेष वित्तीय वर्षों में हानियां उठाई।

2.5.5 ऐतिहासिक लागत एवं निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश का प्रतिफल

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने ऐतिहासिक लागत[48] के आधार पर ₹1,324.73 करोड़ का निवेश किया था। धनात्मक प्रतिफल केवल 2016-17 में प्राप्त हुआ। 2016-17 में ऐतिहासिक लागत पर निवेश पर प्रतिफल 2.39 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर यह 0.87 प्रतिशत था।

2.6 राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद होना

राज्य के 25 सार्वजनिक उद्यमों में तीन अकार्यशील कंपनियां थी जिनमें 31 मार्च 2020 तक ₹19.64 करोड़ (₹17.72 करोड़ एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड में एवं ₹0.92 करोड़ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड और ₹1.00 करोड़ हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड) का कुल निवेश था, 31 मार्च 2020 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या **तालिका-2.15** में दी गई है।

---

48 वर्ष के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत इक्विटी व परिचालन व प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेशित कुल संचित निधियां हैं।

तालिका-2.15: राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	2	2	2	3	3

स्रोत: संबंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) में सम्मिलित जानकारी

हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रियाधीन थी, जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बेवेरेजेस लिमिटेड के सम्बन्ध में परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी हैं। राज्य सरकार राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लें।

अध्याय-III

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

अध्याय-III

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणियां या अनुपूरक जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता हैं।

3.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। परिशिष्ट 3.1 में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2019 से जनवरी 2020 के मध्य उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षाओं की नियुक्ति की थी।

3.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के 3 माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियम में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी विचारार्थ उक्त आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के प्रावधानों की अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल है, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। उपरोक्त के बावजूद 31 दिसंबर 2020 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित है।

3.3.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 22 सरकारी कंपनियां तथा सरकार के नियंत्रणाधीन पांच[49] अन्य कंपनियां थी। इनमें से हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-2001 से परीसमापन प्रक्रिया में थी, के अतिरिक्त सभी कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे बकाया थे। 31 दिसंबर 2020 तक या उसके पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु 10 सरकारी कंपनियों तथा सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों ने 14 वार्षिक लेखे[50] प्रस्तुत किए, हालांकि किसी भी सरकारी कंपनी/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक या उसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उनके लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया। 31 दिसंबर 2020 तक सभी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। यद्यपि कंपनी के अनुरोध (1994) एवं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने कंपनी को सूची से हटाने की सहमति प्रदान की। हालांकि, कंपनी को सूची से हटाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

27 कंपनियों (सरकारी कंपनियां: 22 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: 5) के प्रस्तुत करने में बकाया लेखाओं के विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिए गए हैं :

तालिका 3.1: कंपनियों की संख्या, 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियां (22)	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (5)	कुल (27)
31.03.2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आई कंपनियों की कुल संख्या	22	5	27
01.10.2019 तक बकाया लेखाओं की संख्या	41	6	47
गिरावट: 2000-01 से परिसमापनाधीन कंपनी	-	1	1
कंपनी के लेखाओं की संख्या जो 31.12.2020 (2019-20) तक बकाया थे	22	4	26

[49] *हिमाचल कंसल्टेंसी* ओर्गनाइज़ेशन *लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।*

[50] *हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से दो लेखे प्राप्त हुए (2017-18 व 2018-19)।*

विवरण	सरकारी कंपनियां (22)	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (5)	कुल (27)
लेखापरीक्षा हेतु बकाया लेखाओं की कुल संख्या	**63**	**10**	**73**
01 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	10	3	13
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	11	3	14
31 दिसंबर 2020 तक बकाया लेखाओं की संख्या	52	7	59
गिरावट: परिसमापनाधीन कंपनी (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड)	-	1 (2001-02)	-
31 दिसम्बर 2020 तक बकाया लेखाओं का समय-वार विश्लेषण			
एक वर्ष	10 (10)	2(2)	12 (12)
दो व तीन वर्ष	7 (16)	2(5)	9 (21)
तीन वर्ष से अधिक	5* (26)	-	5 (26)
कुल	**22 (52)**	**4 (7)**	**26 (59)**

* *हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड।*

बकाया लेखाओं वाली इन कंपनियों के नाम **परिशिष्ट-3.2** में दर्शाए गए हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के अभाव में संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

बकाया लेखाओं का मामला संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के साथ उठाया गया हैं। यद्यपि अभी भी पांच ऐसी कंपनियां हैं जिनके लेखे 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

अतएव वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार करने एवं अंतिम रूप देने की अनुशंसा की जाती है।

3.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[51] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र

[51] *हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।*

लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट (सनदी लेखापाल) द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 हेतु सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए थे। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लेखे तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2019-20 के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित थे।

3.4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

3.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

3.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन इस शक्ति के प्रयोग से किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके, एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

3.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

किसी कंपनी के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार

करना है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं कि सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत उन्हें आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

3.5 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

31 दिसम्बर 2020 तक 22 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार अन्य कंपनियों से वर्ष 2019-20 की कोई वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त नहीं की गई। यद्यपि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में 10 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों के बकाया लेखाओं की समीक्षा की गई।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2015-16 (1) 2016-17 (1) 2017-18 (3) एवं 2018-19 (9) के लिए 13 सरकारी कंपनियों/ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों के 14 लेखाओं (दो खातों में से एक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम) की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत है:

(i) अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन हुए जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों (क्वालिफिकेशन) का प्रभाव **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1: 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को दर्शाते विवरण

(₹ करोड़ में)

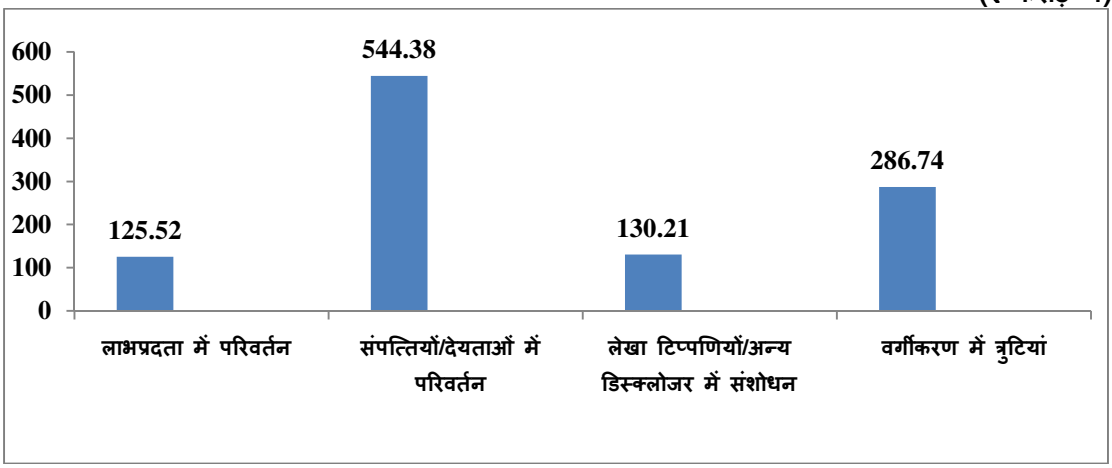

(ii) सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा (1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त की गई: 2018-19 तक के वर्ष हेतु) के पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य के उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में जिन की वित्तीय विवरणियों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा की थी, उन पर टिप्पणियां प्रबंधन को प्रेषित की गई। जारी की गई कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां **तालिका 3.2** में दी गई है:

तालिका 3.2: जारी की गई उल्लेखनीय टिप्पणियां

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	टिप्पणियां
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	रॉयल्टी एवं विस्तार फीस पर ब्याज का प्रावधान न होने के कारण वन विभाग को देय राशि एवं हानि में ₹4.88 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। वन विभाग को हुई हानि एवं देय राशि में ₹9.24 करोड़ की अत्योक्ति मुख्यतः इन कारणों से हुई: • विगत 20 वर्षों से वन विभाग को बकाया ₹2.89 करोड़ की देय राशि बट्टे-खाते में न डालना; एवं • फॉरेस्ट वर्किंग डिवीजन, शिमला के सम्बन्ध में लकड़ी व रेजिन रॉयल्टी पर ₹6.35 करोड़ का अधिक प्रावधान होना। 31 मार्च 2017 तक चार इकाइयों के 283 कर्मियों के सम्बन्ध में ₹10.91 करोड़ के सेवानिवृत्त लाभ, उनके खाते में अर्जित अवकाश जमा होने के कारण प्रदान नहीं किये गए। इसके

		परिणामस्वरुप ₹10.91 करोड़ के 'अल्पावधि प्रावधान' एवं 'हानि' की न्यूनोक्ति हुई।
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18)	सामान्य भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज की कम बुकिंग (कम दर्ज होना) के कारण ₹11.09 करोड़ के लाभ का अल्प लेखांकन हुआ था (₹82.25 करोड़ के बजाय ₹71.16 करोड़)। इसके परिणामस्वरूप भी अन्य इक्विटी की न्यूनोक्ति हुई। भारतीय लेखांकन मानक में है, कि कोई संस्था सबसे नवीनतम वित्तीय विवरणियों में पूर्व अवधि (अवधियों) की पूर्वव्यापी महत्वपूर्ण त्रुटियों को पिछली अवधियों की तुलनात्मक राशियों से पुनःस्थापित करके सुधार करेंगी। कंपनी के पास वर्ष 2008-2012 से सम्बंधित वसूली योग्य राशि थी। तथापि, कंपनी ने उसके पूर्व अवधि के आंकड़ें संशोधित नहीं किए, जिससे वर्ष 2017-18 में ₹12.78 करोड़ के लाभ की अत्योक्ति हुई। लाभ की अत्योक्ति तथा 'व्यापार पर देय राशि -विद्युत की खरीद' की न्यूनोक्ति इतनी हुई: • हिमाचल प्रदेश सरकार को देय राशि एवं विद्युत की लागत का लेखांकन न करने के कारण ₹12.15 करोड़। • हिमाचल प्रदेश को, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंशदान की देय राशि का प्रावधान न होने के कारण ₹1.21 करोड़, जो उसके जल-विद्युत परियोजनाओं के कुल उत्पादन का एक प्रतिशत है। वित्तीय परिसम्पतियाँ-हिमाचल प्रदेश सरकार से संचालन प्रभार पर प्राप्ति योग्य व्यापार को बट्टे-खाते में न डालने के कारण विविध देनदार (संड्रीडेटर) एवं लाभ में ₹42.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई। कम्पनी को इस तरह के प्रभार लगाने के लिए संगत विनियमन में प्रावधान विद्यमान न होने एवं राज्य सरकार द्वारा भी उसका दावा अस्वीकृत करने के कारण वसूली योग्य उपरोक्त मूल्य में हानि के सम्बन्ध में वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन के पहले जानकारी थी, इसलिए इसे बट्टे-खाते में लिखा जाना चाहिए था।
3.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2018-19)	निगम ने क्रमशः 2017-18 व 2018-19 के दौरान अनुदान की अप्रयुक्ति राशि पर अर्जित ₹1.01 करोड़ एवं ₹2.51 करोड़ के ब्याज की आय को उसकी स्वय की आय मान लिया जिसके परिणाम स्वरुप ₹2.51 करोड़ की 'व्यय से अधिक आय' एवं ₹1.01 करोड़ की 'आरक्षित व अधिशेष - सामान्य आरक्षित' की अत्योक्ति तथा ₹3.52 करोड़ की 'अन्य वर्तमान देयताएं-अप्रयुक्त सहायता अनुदान' की न्यूनोक्ति हुई।
4.	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	वर्तमान देयताओं एवं हानि में वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय विद्युत ग्रिड निगम को देय ₹20.77 करोड़ के अधिभार (सरचार्ज) के विलंबित भुगतान के कारण ₹2.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
5.	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	भारतीय लेखांकन मानक 23 की शर्तानुसार, कार्यचालन में व्यवधान अवधि (श्रमिक अशांति, लोगों के द्वारा उत्पन्न व्यवधान इत्यादि के कारण) के दौरान उधार पर ब्याज राशि को

		लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना में कार्मिक हड़ताल के कारण 105 दिनों का व्यवधान हुआ था। तदनुसार, उस अवधि हेतु ₹10.41 करोड़ राशि का ब्याज 'लाभ व हानि लेखा' के अंतर्गत 'वित्तीय लागत' के रूप में लेखांकित किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः 'हानि' की न्यूनोक्ति हुई 'प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में ₹10.41 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	चालू परिसंपत्ति-स्टॉक, साथ ही वन विभाग को देय राशि में, वन विभाग को देय रायल्टी, जो वर्ष 2016-17 में खेप के लिए नामित थी, को शामिल न करने कारण, ₹64.36 लाख की न्यूनोक्ति हुई। यद्यपि इन खेपों का स्वामित्व 2015-17 के दौरान लिया गया था, परन्तु लेखा-बहियों में लेखांकित नहीं किया गया था।
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19)	'प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य' एवं 'विविध लेनदार (संड्रीक्रेडिटर) में, जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि हेतु 'हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड स्वचालन प्रक्रिया योजना (एच पी एम सी प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट)' के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त सेवा/संचालन सेवा/आपदा से बहाली सेवा हेतु विभिन्न पार्टियों (पक्षों) से प्राप्त सेवा बिलों का लेखांकन न होने के कारण, ₹3.80 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
3.	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	कम्पनी ने लेखांकन मानक 15[52] के 'कर्मचारी लाभ' में निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार सेवानिवृत्त लाभ (अर्जित अवकाश एवं ग्रेज्युटी) के लिए प्रावधान नहीं बनाए। उपरोक्त देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 'अन्य वर्तमान देयताओं' तथा 'अधिशेष' के ऋणात्मक आंकड़ों में ₹4.03 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2018-19)	लोक मित्र केन्द्रों/ सुगम केन्द्रों से वसूली योग्य राशि में, विद्युत की बिक्री (₹11.89 करोड़) तथा परिसमापन नुकसान (₹10.15 करोड़) का लेखांकन न होने के कारण, ₹22.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। यह गलती उपरोक्त शीर्ष में ₹22.16 करोड़ क्रेडिट होने तथा यही राशि अंतर-इकाई लेनदेन (इंटर-यूनिट ट्रांजेक्शन) को डेविट करने के कारण हुई। एक मध्यस्थ निर्णय में कम्पनी ने ₹10.26 करोड़ की राशि का भुगतान ठेकेदार को किया था। पार्टी को सौपें गए कार्य की राशि

[52] *लेखांकन मानक 15 के परिच्छेद 53 के अनुसार,इकाई न केवल परिभाषित लाभ योजना की औपचारिक शर्तों के तहत उसके वैधानिक दायित्वों हेतु लेखांकन करे बल्कि उद्योग के अनौपचारिक कार्यों से उत्पन्न अन्य दायित्वों का भी लेखांकन करे।*

		का भुगतान कंपनी को करने के निर्देश देते हुए मध्यस्थ निर्णय दिनांक 18.10.1016 के माध्यम से इस देयता का कार्यान्वयन हुआ। हालांकि, देयता का प्रावधान नहीं बनाया गया था इसे अभी भी न्यायालय में प्रस्तुत दर्शाया जा रहा है। परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमा तथा अन्य इक्विटी की ₹10.26 करोड़ की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुई।
5.	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के साथ ही चालू देयताओं में, जुलाई 2018 से मार्च 2019 की अवधि में वांग टू से एल0एंड0टी कंस्ट्रक्शन पॉवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक 400/220/66 किलोवाल्ट गैस इंसुलेटेड सह केंद्र के निर्माण हेतु देय मूल्य विचलन को शामिल न करने के कारण ₹1.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
6.	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में, शोंगटोंग-कड़च्छम जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के उत्खनन बिलों (संशोधित) का लेखांकन न होने के कारण, ₹2.82 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
7.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (19.06.2018 से 31.03.2019)	कंपनी को जून 2018 में निगमित किया गया था। जलापूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम से सम्बंधित सभी संपत्तियां एवं देयताएं कंपनी को हस्तांतरित की गई थीं। कंपनी ने शिमला नगर निगम द्वारा जून 2018 से पूर्व जारी पानी के बिलों से प्राप्त राशि की गणना हिमाचल प्रदेश सरकार को देय के रूप में की, जो कि निगम की आय के रूप में ली जानी चाहिए थीं। इसके कारण 'चालू देयताओं' की अत्योक्ति एवं 'आरक्षित व अधिभार' में ₹8.22 करोड़ की न्यूनोक्ति में परिणत हुई। 2018-19 के दौरान भौतिक परिसंपत्तियों में ₹9.25 करोड़ (₹0.08 करोड़ के मूल्यह्रास की कटौती के बाद) की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने क्रेगनैनो से ढली तक ग्रेविटी पाइप बिछाने पर ₹10.35 करोड़ का व्यय किया तथा कार्य पूर्ण किया (दिसम्बर 2018)। सम्पूर्ण व्यय को पूंजीगत प्रकृति के रूप में मानने के बजाय केवल ₹1.02 करोड़ को पूंजीकृत किया गया तथा ₹9.33 करोड़ के शेष व्यय को परिचालन एवं रखरखाव खर्च के रूप में गलत प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' एवं 'परिचालन व रखरखाव-खर्च' में ₹9.33 करोड़ की अत्योक्ति हुई तथा तदोपरांत 'अचल संपत्तियां- भौतिक संपत्ति' एवं 'आरक्षित व अधिशेष- पूंजीगत आरक्षित' में ₹9.25 करोड़ न्यूनोक्ति भी हुई।
8.	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	जल विद्युत नीति, 2006 के अनुसार, पांच मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना की

	(2018-19)	कुल लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में दिया जाएगा। जल विद्युत परियोजना ऊहल, चरण-III का कुल व्यय ₹1,746.34 करोड़ था तथा तदनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में उसका योगदान ₹26.20 करोड़ होना चाहिए था। यद्यपि कम्पनी ने ₹16.19 करोड़ खर्च किए एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹3.03 करोड़ का प्रावधान रखा। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में ₹6.98 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
डिस्क्लोसर (प्रकटीकरण) पर टिप्पणियां		
1.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम(2015-16)	निगम ने उसकी लेखांकन नीतियों में कहा कि नकदी-रहित प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव से उत्पन्न निवल अधिशेष को समायोजित करने के लिए नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करते हुए बताया गया था। निगम के संचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों में हुए नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पृथक किया गया; यद्यपि वर्ष 2015-16 हेतु ऐसा कोई नकदी-प्रवाह विवरण तैयार नहीं किया गया था।
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18)	कंपनी ने निम्न पर गलत डिस्क्लोसर किया; • 31 मार्च 2018 तक एशियन विकास बैंक ऋण के तहत बकाया राशि (₹12.90 करोड़ के बजाय ₹8.40 करोड़)। • एशियन विकास बैंक ऋण के प्रति ब्याज का प्रावधान (किसी भी प्रकार का प्रावधान बनाने का उल्लेख नहीं किया गया जबकि ₹1.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था)। कम्पनी ने दिनांक 22.01.2015 को भाभा पॉवर हॉउस में आग लगाने की घटना से क्षतिग्रस्त पॉवर हॉउस सामग्री की हानियों को (₹18.44 करोड़) बट्टे-खाते में डालने का अलग से प्रकटीकरण नहीं किया गया।
3.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (19.06.2018 से 31.03.2019)	निम्नलिखित तथ्यों को लेखाओं में उजागर नहीं किया गया : • ₹14.77 करोड़ मूल्य के पूर्ण हुए कार्यों (सं.9) का निगम बिना औपचारिक हस्तांतरण के उपयोग कर रहा था, एवं • ₹143.63 करोड़ के प्रक्रियाधीन कार्यों (सं.16) को हस्तांतरित किया जाना अभी शेष था। • अन्यंत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति के आधार पर तैनात कर्मचारियों का खर्च ₹11.02 करोड़ निगम द्वारा वहन नहीं किया गया। 2005-06 एवं 2008-09 के मध्य सृजित परिसंपत्तियों हेतु कम्पनी ने लेखांकन नीतियों का उल्लंघन करते हुए 2005-06 एवं 2008-09 के मध्य सृजित परिसंपत्तियों (उनके निगमन की तिथि के पूर्व) के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया। परिसंपत्तियों

		पर उनके पूर्ण होने की तिथि से मूल्यह्रास का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 'पूंजीगत आरक्षित' व 'अचल संपत्तियों' में ₹136.34 करोड़ की अत्योक्ति हुई।
4.	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	ठेकेदार को देय अतिवृद्धि प्रभार के कारण ऊहल-III जल विद्युत परियोजना पर हुई व्यय में वृद्धि (₹12.77 करोड़) को लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किया गया।
स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निम्न विसंगतियां पाई गई: • कर्मचारी समूह ग्रेज्युटी स्कीम हेतु एलआईसी द्वारा उठाई गई मांग में कमी को ₹76.72 करोड़ के बजाय ₹75.22 करोड़ बताया गया। • 20 लाख की संशोधित सीमा के बजाय ₹10 लाख की ग्रेज्युटी सीमा पर मांग आधारित होने का उल्लेख किया गया था। यद्यपि संशोधित सीमा 29 मार्च 2018 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर प्रयोज्य थी। • खेप 2013-14 के अंतर्गत दो बार रॉयल्टी राशि प्रदान न करने की सूचना दी गई जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित वित्तीय प्रभाव में ₹93.45 लाख की अत्योक्ति हुई। प्रतिवेदन में कंपनी द्वारा रेजिन रॉयल्टी पर अधिक प्रावधान किये जाने पर गलत प्राक्कलन (₹92.98 लाख के बजाय ₹57.42 लाख) प्रतिवेदित किया गया था।
2.	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स विकास कोरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि कम्पनी के पक्ष वाले अचल संपत्तियां के स्वत्वाधिकार-विलेख है, जोकि सही नहीं है। मेहली स्थित नवनिर्मित भवन का निवास-स्थान सरकार को आवंटित किया गया था (सितम्बर 2013) तथा उसका स्वत्वाधिकार - विलेख अब तक कम्पनी के नाम पर नहीं था।
3.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2017-18)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने टिप्पणी दी थी कि 2017-18 के दौरान प्राप्त अनुदान में कोई व्यपवर्तन (डाइवर्जन) नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4.00 करोड़ के पूंजीगत अनुदान का राजस्व व्यय में डाइवर्जन किया गया था।

3.5.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा करने के पश्चात्, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राज्य की सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य सरकार की सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों, जिनका निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹125.52 करोड़[53] एवं परिसंपत्तियों /देयताओं पर ₹544.38 करोड़ था, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां जारी की गई।

3.5.3 वह सांविधिक निगम, जहाँ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है

उन सांविधिक निगमों पर, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है, जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे वर्णित हैं:

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1.	हिमाचल पथ परिवहन निगम (2018-19)	हरियाणा राज्य पथ कर को देय ₹12.38 करोड़ की राशि के प्रति निगम ने 31.03.2019 तक ₹10.55 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹1.83 करोड़ की शेष राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप यात्री एवं माल कर- हरियाणा सरकार कर साथ ही हानि में ₹1.83 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निगम के कर्मचारियों को देय ₹1.39 करोड़ की अंतरिम राहत हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाए गए थे; निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को देय बकाया पेंशन के अल्प प्रावधान (₹56.00 करोड़ के बजाय ₹25.58 करोड़) के कारण 'विविध देयताएं-पेंशन निधि ट्रस्ट' एवं 'हानि' में ₹30.42 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। वाहनों पर मूल्यह्रास के अल्प-प्रभार के कारण 'हानि' में न्यूनोक्ति एवं अचल-संपत्ति-वाहन' में ₹1.50 करोड़ की अत्योक्ति हुई। किराए के अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त यात्री दुर्घटना बीमा को शामिल करने के कारण यात्री आय में ₹2.76 करोड़ की अत्योक्ति हुई। निदेशक-मण्डल ने यात्री दुर्घटना बीमा कोष सृजित करने का निर्णय लिया था (जनवरी 2010); अतः निगम की प्रत्येक इकाई को पृथक लेखा रखना था। यद्यपि निगम ने यात्रियों से एकत्र बीमा प्रभार उसकी आय में शामिल कर लिए थे। यह भी 'यात्री दुर्घटना बीमा आय' की राशि की न्यूनोक्ति में परिणत हुई।

[53] *अत्योक्ति:{लाभ (₹74.19 करोड़) व हानि (₹20.57 करोड़) तथा न्यूनोक्ति: {हानि (₹19.24 करोड़) व लाभ (₹11.52 करोड़)}।*

वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी		
		हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला से वसूली योग्य राशि एवं चालू देयताओं में हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला की ओर से निगम द्वारा किये गए समायोजित व्यय के कारण ₹45.41 लाख की न्यूनोक्ति हुई तथा इसे प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि से समायोजित किया गया। लेखा शीर्षों के गलत वर्गीकरण के कारण पेंशन कोष (ट्रस्ट) से वसूली योग्य राशि में अत्योक्ति हुई एवं 'सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि' में ₹2.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
लेखों पर नोट्स		
		निगम ने 'चालू परिसम्पतियाँ`` शीर्ष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला से ₹20.86 करोड़ की वसूली योग्य राशि दर्शाई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन, बस स्टैंड प्रबंधन व विकास प्राधिकरण ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उस वर्ष के उनके लेखाओं के अनुसार मात्र ₹18.06 करोड़ ही स्वीकार किए। इस प्रकार, ₹2.80 करोड़ का अंतर पाया गया। बतौर महत्वपूर्ण तथ्य, इसे लेखा कि टिप्पणी के रूप में सही ढंग से उजागर किया जाना था। निगम ने उसकी टिप्पणियों में बताया कि 1981-2005 से सम्बंधित सोलन के सम्बन्ध में: ₹0.81 लाख, मंडी: ₹0.68 लाख एवं कुल्लू: ₹3.67 लाख की रेलवे विभाग से वसूली योग्य राशि अभिलेखों के अभाव में डूबत ऋण के रूप में ली गई थी परन्तु इक्विटी निगम के पास है। अतः वसूली योग्य राशि का प्रकटीकरण यहां किया गया था ताकि इक्विटी के निपटान का सवाल उठने पर उसका समायोजन किया जा सके। यह कथन सही नहीं था क्योंकि रेलवे विभाग की कोई इक्विटी निगम के पास नहीं थी, इसलिए लेखों की टिप्पणियां में कमियाँ थीं।

3.6 लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कंपनी अधिनियम की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 एवं 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 व 9 से 29 निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त**,** केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि आठ कंपनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थी जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में वर्णित किया गया है -

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देखा कि इन कंपनियों ने लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थीं जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था :

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक-8 : लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों व त्रुटियों में परिवर्तन किया गया।	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18)	एक पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटी में सुधार नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक-36 : परिसंपत्तियों की खराबी	-तदैव-	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खराबी से नुकसान को परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग को उजागर नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक-3 : नकदी प्रवाह विवरण	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2015-16)	नकदी प्रवाह विवरण संलग्न नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक-10 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयुक्त एवं नष्ट करने के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों को उजागर नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक-15 : कर्मचारी लाभ	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कोरपोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने लेखों की टिप्पणियों में उजागर किया कि सेवानिवृत्ति लाभ को सेवानिवृत्ति/ त्याग-पत्र/मृत्यु के समय दिया जाता था जो के लेखांकन मानक 15 के अनुरुप नहीं था।

3.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक एवं निगम इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर संवाद स्थापित करना हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की। ये कमियां सामान्यतः निम्न से सम्बंधित थीं:

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; एवं
- कुछ जानकारियों की अपर्याप्तता या उन्हें उजागर न करना जिन पर सम्बंधित सांविधिक निगम ने आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

वर्ष के दौरान राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) एवं एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) को प्रबंधन-पत्र जारी किये गए थे।

अध्याय-IV

निगम की शासन-प्रणाली

अध्याय-IV

निगम की शासन-प्रणाली

4.1 निगम की शासन-प्रणाली

4.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित कर 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं प्रशासन, निदेशकों की योग्यता एवं नियुक्ति, बोर्ड की बैठकों तथा उनकी शक्तियों एवं लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया। कंपनी नियम सहित कंपनी अधिनियम 2013 निगम की शासन-प्रणाली हेतु एक मजबूत ढांचा प्रदान करता हैं। इसमें अन्य बातों के साथ इन अपेक्षाओं का प्रावधान हैं:

- स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण हेतु उनके कर्तव्यों एवं दिशा-निर्देशों सहित उनकी योग्यता {कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149 (6)}।
- मंडल (बोर्ड) में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 49 (1) में प्रावधान हैं की प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो; अथवा जिसका टर्नओवर ₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मण्डल (बोर्ड) में नियुक्त करें।
- लेखापरीक्षा समिति का अनिवार्य रूप से गठन {धारा 177 (1)}। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {178(1)} तथा हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति {धारा 178(5)}।
- प्रति वर्ष निदेशक-मण्डल की कम से कम चार बैठकों का इस तरह आयोजन की बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173 (1)}।

4.1.2 निगम की शासन-प्रणाली पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) के दिशा-निर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगम की शासन-प्रणाली के प्रावधानों के साथ सूचीकरण-करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 49 को क्रमबद्ध करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमन के साथ संशोधित किया (अप्रैल व सितम्बर 2014)।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने, आगे, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक समान लिस्टिंग एग्रीमेंट फोर्मेट जारी किया जिसमें सूचीबद्ध संस्था से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज

बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सूचीकरण दायित्व एवं डिस्क्लोसर आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना अपेक्षित हैं। इन विनियमनों में समय-समय पर संशोधन किये गए थे।

4.1.3 राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निगम की शासन-प्रणाली के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

31 मार्च 2020 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, जिनमें से राज्य का एक[54] सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम 2000-01 से परिसमापनाधीन था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची, जिसमें उनके प्रशासनिक विभाग तथा निगमित होने का माह व वर्ष शामिल है, **परिशिष्ट-4.1** में दी गई है। समीक्षा करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर आंकलन रूपरेखा बनाई गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देश/विनिमय भी आंकलन रूपरेखा में दर्शाए गए थे।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु की गई समीक्षा में राज्य का एक ऋण की सूची में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम[55] तथा राज्य के 25 असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सूची के हटाने की प्रक्रियाधीन राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[56] तथा राज्य के दो अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[57] सहित) सम्मिलित हैं। 2000-01 से परिसमापनाधीन राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4.2 निदेशक-मण्डल की संरचना

बोर्ड, निर्वाचित अथवा नियुक्त किए गए व्यक्तियों का शासी निकाय है, जो संगठन की गतिविधियों की निगरानी एवं निगम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ निर्धारित करने हेतु नियमित अंतराल पर मिलते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) में परिभाषित है की 'किसी कंपनी के सम्बन्ध में 'निदेशक-मण्डल' या 'मण्डल (बोर्ड)' का तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के सामूहिक निकाय से है।

4.2.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र मत देने में समर्थ स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को मोटे तौर पर शेयरहोल्डर एवं स्टेकहोल्डर के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की शर्तानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक के रूप में तथा असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों[58] से कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित परिस्थितियों में निश्चित रूप से नियुक्त करना आवश्यक है :

---

54 *हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।*

55 *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केवल बांड्स को बाज़ार के माध्यम से जारी किया गया)।*

56 *हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।*

57 *एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।*

58 *कंपनी (निदेशक की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार।*

(i) यदि प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹10 करोड़ से अधिक हो;

(ii) यदि टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक हो; तथा

(iii) यदि सभी बकाया ऋण, डिबेंचर व निक्षेप का योग ₹50.00 करोड़ से अधिक हो।

यह आंकलन किया गया की राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य के 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) एवं विनियमन 17 (1) (बी) की परिधि में आते हैं। आठ में से राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थीं जैसा की **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका-4.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या हैं/नहीं हैं

क्र.सं	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	निदेशक-मण्डल में निदेशकों की संख्या	निदेशक-मण्डल में अपेक्षित न्यूनतम स्वतंत्र निदेशक	निदेशक-मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	14-15	2	1 (2018-20)
2.	ब्यास वेली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	7-10	2	0 (2015-18) 2 (2018-20)
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड	9-13	2	2 (2015-20)

उपरोक्त से स्पष्ट है, मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने 2015-20 के दौरान न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी।

राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित था, हालाँकि निदेशक-मण्डलों में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए, जैसा की **तालिका-4.2** के दिया गया है।

तालिका-4.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र.सं	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	वह अवधि जिसके दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2015-20
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2015-20
3.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2015-20
4.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2017-20
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	2015-20

4.2.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) में प्रावधान हैं की प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो ; अथवा जिसका टर्नओवर

₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मण्डल (बोर्ड) में नियुक्त करें।

इस प्रावधान की शर्तानुसार, राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महिला निदेशकों की नियुक्ति की जानी थीं। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2015-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था। ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2018-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था। हिमाचल सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने भी 2018-20 के दौरान एक महिला निदेशक को नियुक्त किया था, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं था।

4.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्य-प्रणाली

4.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिसमें नियुक्ति के नियम व शर्तें निर्धारित होंगी। यह देखा गया की **तालिका-4.1** में उल्लिखित सभी कंपनियों ने स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति-पत्र जारी किए थे।

4.3.2 आचार-संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (8) में स्वतंत्र निदेशकों के व्यवसायिक आचरण हेतु अनुसूची IV में निर्धारित संहिता निर्देश निहित हैं। यह पाया गया कि **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिन्होंने उनके निदेशक -मण्डल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किये, उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति-पत्र के नियम व शर्तों में आचार-संहिता को सम्मिलित नहीं किया था।

4.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (परिच्छेद III(1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को उचित आरंभिक प्रशिक्षण (इंडक्शन) लेना होगा एवं कंपनी के साथ उनके कौशल, ज्ञान व परिचय को नियमित रूप से अपडेट (अद्यतन) एवं ताज़ा करना होगा। कंपनी से भी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकार, कंपनी के प्रति उनकी जिम्मेदारी, कंपनी में संचालित गतिविधियों, कंपनी के बिजनेस मॉडल आदि से परिचय करने हेतु उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

यद्यपि यह देखा गया की **तालिका-4.1** में सूचीबद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2020 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोर्ड में पदासीन स्वतंत्र निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

4.4 निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समिति की बैठक

4.4.1 निदेशक बोर्ड की बैठक

निदेशक-बोर्ड शासन की नीतियों का कार्यान्वयन करने वाली एक एजेंसी होता है। यह आवश्यक है कि बोर्ड निगम की शासन प्रणाली पर समुचित ध्यान दे तथा इसके सदस्य नियमित रूप से मिले। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्धारित है कि बोर्ड वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करें तथा दो लगातार बैठकों के मध्य अधिकतम 120 दिनों का ही अंतराल हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के निगमित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र दो[59] (26 में से) ने 2018-20 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक-बोर्ड की बैठकें आयोजित की थी। यद्यपि वे कंपनियां जिन्होंने वर्ष के दौरान अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक बोर्ड की बैठकें नहीं की उनका विवरण **तालिका-4.3** में दिया गया है।

तालिका-4.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां 2015-20 के दौरान चार से कम बैठकें हुई अथवा राज्य के नए निगमित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में अपेक्षित न्यूनतम संख्या से कम बैठकों का वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-बोर्ड की बैठकों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	3	-	-
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	3	-	-	-	3
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	3	3
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2	2	1	1	1
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	-	2	2	शून्य	शून्य
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अव-संरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	2
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (अगस्त 2016 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	3	-	3	3
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	-	3	-
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	-	-	-	-	3
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2	2	2	3	3

[59] *शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित व श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड।*

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-बोर्ड की बैठकों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	3	2
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	-	-	3	2	1
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	1	2	1	1	1
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	-	-	-	2	3
18	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	3	-	3
19	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	3
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	3	3	-	-
21	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	3	-	-
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	1	2	2	2	2
23	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड (अप्रेल 2016 में निगमित)	लागू नहीं	-	3	-	-
24	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम एच.पी. लिमिटेड (जुलाई 2019)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1

हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (फरवरी 2021) कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम के सभाध्यक्ष (चेयरमेन) द्वारा दी गई तिथि, समय एवं स्थान के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2015-17 के दौरान निगम ने चार के बजाय दो बैठकें ही आयोजित की थी तथा 2017-20 के दौरान कोई बैठक नहीं रखी गई। राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) ने कहे गए तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 2021 व अगस्त 2021 के मध्य)।

4.4.2 स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की उन सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। यद्यपि कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया, जैसा कि **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.4: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बोर्ड/समिति की कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	बोर्ड की बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति की संख्या	बोर्ड समिति (लेखापरीक्षा समिति) की कुछ बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2 (2015-16)	1	-	-
		1 (2015-16)	1		
		1 (2016-17)	3		
		1 (2017-18)	1		
		2 (2017-18)	1		
		1 (2018-19)	3		
		1 (2019-20)	1		
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	1 (2015-16)	1	1 (2015-16)	1
		1 (2016-17)	3	1 (2017-18)	1
		1 (2019-20)	1	-	-

प्रत्युत्तर में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों ने 2015-16 व 2016-17 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लिया था। उत्तर तथ्य-परक नहीं था क्योंकि दो में से एक स्वतंत्र निदेशक ने 29 मार्च 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग नहीं लिया था तथा 2016-17 के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक ने तीन बैठकों में भाग नहीं लिया था।

4.4.3 आम वार्षिक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य बैठकों के अतिरिक्त, अपनी आम वार्षिक बैठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी तथा बैठक को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेंगी। कंपनी की एक आम वार्षिक बैठक की तिथि व आगामी आम वार्षिक बैठक की तिथि के मध्य 15 माह से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। परन्तु आम वार्षिक बैठक के प्रथम बार होने के मामले में उसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा।

2015-20 के दौरान अथवा उनके निगमन की तिथि से 31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आयोजित की गई आम वार्षिक बैठकों के विवरण **तालिका-4.5** दिए गए हैं।

तालिका 4.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां आम वार्षिक बैठकें आयोजित की गई/नहीं की गई, का वर्ष-वार विवरण

क्र.	कंपनी का नाम	आम वार्षिक बैठक आयोजित किये जाने का वर्ष (हाँ/ नहीं)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अव-संरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2016 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	लागू नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
17	हिमाचल *कंसल्टेंसी ऑरगनाईजेशन लिमिटेड*	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (जुलाई 2018 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
19	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
21	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
22	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
23	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	नही	नही	हाँ	नही	नहीं
24	हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड (अप्रेल 2016 में निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
25	श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड (अप्रेल 2019 के दौरान निगमित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट निगम एच.पी. लिमिटेड (जुलाई 2019)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[60] 2019-20 के दौरान नव निगमित हुए थे तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[61] ने 2015-20 के दौरान कोई आम वार्षिक बैठक आयोजित नहीं की थीं। राज्य के 14 सार्वजनिक

[60] *श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड व रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कोरपोरेशन एचपी लिमिटेड।*

[61] *हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम।*

क्षेत्र के उद्यमों ने 2015-20 के दौरान अपेक्षित संख्या में आम वार्षिक बैठकों का आयोजन किया तथा राज्य के शेष नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उपरोक्त मानदंडों की समय-समय पर (कई बार) अनुपालना नहीं की।

हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम ने उसके प्रत्युत्तर में बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम के सभाध्यक्ष (चेयरमेन) द्वारा दी गई तिथि, समय एवं स्थान के अनुसार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निगम ने 2016-20 के दौरान कोई आम वार्षिक बैठक का आयोजन नही किया जबकि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एवं हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड) ने तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 2021 व अगस्त 2021 के मध्य)।

4.4.4 कंपनी की आम वार्षिक बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समितियों की उन सभी आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। **तालिका-4.6** राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दर्शाती है, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी की आम वार्षिक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका-4.6: आम वार्षिक बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशक

क्र.स.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	निदेशक-बोर्ड के स्वतंत्र निदशकों की संख्या	स्वतंत्र निदशकों की संख्या, जिन्होंने आम वार्षिक बैठक में भाग नहीं लिया	अवधि
1.	**हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित**	2	1	2015-16
		2	2	2016-17
		2	2	2017-18
		1	1	2018-19
		1	1	2019-20

4.5 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति, कंपनी में निगम की शासन-प्रणाली तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा डिस्क्लोज़र (खुलासे) की निगरानी का प्रभार सौंपा गया है। यह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठ, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहित करती है। यह लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावशीलता की समीक्षा व निगरानी करती है। यह वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है।

4.5.1 लेखापरीक्षा समिति की प्रयोज्यता

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियों) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 177 में निर्धारित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बोर्ड एवं कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
- सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर ₹100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं;
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या ऋण पत्र (डिबेंचर) या जमा राशि ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

पिछली लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों की तिथि में प्रदत्त पूंजी अंश या टर्नओवर या बकाया ऋण, या उधार या डिबेंचर या निक्षेप, जिस किसी भी मामले के रूप में विद्यमान हो, उन्हें इस नियम के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति गठित करने के लिए पात्र थे, हालांकि राज्य के केवल छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड सहित जिन्होंने स्वेच्छा से लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, हालांकि यह अनिवार्य नहीं था) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, **तालिका-4.7** में दिए गए हैं।

तालिका-4.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया

क्रमांक	उन कंपनियों के नाम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
3	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
5	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

तालिका-4.8 में राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दिए गए हैं जहां उपरोक्त नियमों के अनुपालन में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका-4.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था

क्रमांक	उन कंपनियों के नाम जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
6	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड

4.5.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) व (2) में निर्धारित हैं कि कम से कम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति हो, जिसके दो-तिहाई स्वतंत्र सदस्य निदेशक हों।

तालिका-4.7 में उल्लिखित राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से किसी ने भी यह मानदंड पूरा नहीं किया।

4.5.3 समिति की बैठक

लेखापरीक्षा समिति का गठन करने वाले राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सभी ने 2015-20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की थी, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर, जिसने जनवरी 2009 में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था परन्तु अब तक किसी बैठक का आयोजन नहीं किया। 2016-17 एवं 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की।

4.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के खंड 5 में कहा गया है कि लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के लिए बुला सकती है एवं कंपनी के आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि **तालिका-4.7** में उल्लेखित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा नियुक्त किसी भी लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों व जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया।

4.5.5 सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की धारा 5 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि **तालिका-4.9** में दिए गए राज्य के छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के ऐसे निष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा नहीं की गई थी।

तालिका-4.9: राज्य सार्वजिक क्षेत्र के उद्यम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई/ नहीं की गई

क्रमांक	ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई	ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों व आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
3	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम की लेखा परीक्षा समिति ने वित्तीय विवरणियों (ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड सहित) को समय पर अंतिम रूप देने एवं लेखाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने की सिफारिश की। इसने वार्षिक आम बैठकों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं को अपनाने या वार्षिक आम बैठक आयोजित कराने के लिए समय बढ़ाने की भी सिफारिश की। हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक (वित्त) को बाद के वर्षों में कंपनी के लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने की सलाह दी, परन्तु प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई। वर्ष 2019-20 व उसके बाद की वित्तीय विवरणियां बकाया (मई 2021) ही रही।

4.5.6 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/ दस्तावेजों की समीक्षा

राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वैधानिक अधिदेश के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणियों एवं उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का उत्तरदायित्व था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा समिति गठित करने के लिए पात्र राज्य के छ: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित, जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से लेखापरीक्षा समिति गठित की, हालांकि अनिवार्य नहीं) में से, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की थी।

4.5.7 अन्य समितियां

(i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1), कंपनी (बोर्डो की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
- सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर ₹100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं;
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या ऋण पत्र (डिबेंचर) या जमा राशि ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करने के पात्र थे, हालांकि, केवल राज्य के दो[62] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित की। राज्य के शेष सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई थी जिसका विवरण **तालिका-4.10** में दिया गया है।

तालिका-4.10: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था

क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
6	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड

4.6 कंपनी सचिव की नियुक्ति

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके शासन को सशक्त बनाने एवं कंपनी पर लागू होने वाले अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, के पास एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि **परिशिष्ट-4.2** में दिए गए विवरण के अनुसार 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करने के पात्र थे, हालांकि, केवल चार[63] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया एवं शेष 10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अंशकालिक कंपनी सचिव के माध्यम से काम किया जा रहा था जैसा कि **तालिका-4.11** में विवरण दिया गया है।

---

62 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

63 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका-4.11: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जहां कंपनी सचिव को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया था

क्र.	कंपनी का नाम	लेखे की अवधि	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	क्या कंपनी सचिव की अपेक्षित था (10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी)	कंपनी सचिव (पूर्णकालिक/ अंशकालिक
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	18.85	हाँ	अंशकालिक
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2017-18	38.77	हाँ	अंशकालिक
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.00	हाँ	अंशकालिक
4	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	12.51	हाँ	अंशकालिक
5	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.02	हाँ	अंशकालिक
6	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	25.00	हाँ	अंशकालिक
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	30.82	हाँ	अंशकालिक
8	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2015-16	12.30	हाँ	अंशकालिक
9	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	286.45	हाँ	अंशकालिक
10	एग्रो इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	हाँ	अंशकालिक

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने बताया (फरवरी 2021) कि कंपनी सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार की सेवा समिति के अनुमोदन के बाद की जाएगी। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था, क्योंकि निगम ने कभी भी राज्य सरकार के साथ मामला नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त तथ्यों की पुष्टि (फरवरी 2021) की।

4.7 व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) एवं कंपनी (बोर्डों की बैठक एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 का नियम 7 निर्धारित करता है, कि कंपनी निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगी जिससे वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की सुचना दे सकें। तथापि, यह देखा गया कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल तीन[64] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

[64] *हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड।*

4.8 असूचिबद्धता प्रक्रिया को पूरा करने में असाधारण विलंब

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य में एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी; हालांकि, 1976 से इसके शेयरों का लेन-देन नहीं किया गया था। कंपनी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर को असूचीबद्ध करने का अनुरोध (दिसंबर 1994) किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अनुरोध पर (सितंबर 2002) अर्जनकर्ता द्वारा अर्जित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या के सम्बन्ध में सूचीबद्धता करार के खंड 40 ए(ii) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियमन 1997 के विनियम 21 (3) के अनुपालन के अधीन कंपनी को असूचीबद्ध करने के लिए सहमति (सितंबर 2002) प्रदान की। 2012 तक असूचीबद्ध करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 30 मई 2012 के परिपत्र के माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त/गैर-परिचालनगत स्टॉक एक्सचेंजों की निकासी एवं विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरधारकों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के डाइल्यूटेड लिस्टिंग मानदंडों का पालन करने के बाद देशव्यापी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति देकर निकासी की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसे नहीं करने पर वह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं रह जाएगी एवं इसे डीसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिपत्र दिनांक 22 मई, 2014 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त/गैर-परिचालनगत स्टॉक एक्सचेंजों पर विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के मौजूदा असूचिबद्धता मानदंडों का पालन करके स्वैच्छिक असूचिबद्धता का विकल्प भी चुन सकते हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि यदि विशिष्ठ रूप से सूचीबद्ध कंपनियों इसका अनुपालन करने में विफल रहती हैं, तो वे सूचीबद्ध कंपनियां नहीं रहेंगी एवं उन्हें डीसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने 10 अक्टूबर 2016 के परिपत्र में निवेशकों को निकासी की प्रक्रिया का वर्णन किया। नामित स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से प्रमोटर नामित स्टॉक एक्सचेंज के विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में से एक 'स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता' नियुक्त करेगा। यदि निर्धारित उचित मूल्य सकारात्मक है, तो कंपनी के प्रमोटर सार्वजनिक शेयरधारकों से ऐसी कंपनियों के शेयरों को मूल्यांकक द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके प्राप्त करेंगे। प्रमोटर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता/नामित स्टॉक एक्सचेंज के पक्ष में एक एस्क्रो खाता खोलेगा एवं उसमें निकास मूल्य एवं बकाया सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या के आधार पर कुल अनुमानित राशि जमा करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है एवं इसके प्रमोटर राज्य सरकार (इक्विटी: ₹7.04 करोड़) एवं अन्य (इक्विटी: ₹0.12 करोड़) हैं, इसलिए, कंपनी ने राज्य सरकार से निकास प्रस्ताव को अपनाकर शेयरों को असूचीबद्ध करने के लिए एवं सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर शेयरधारकों को भुगतान के लिए ₹1.47 करोड़ की मंजूरी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए जून 2020 के दौरान उपरोक्त राशि स्वीकृत की है। तत्पश्चात, कंपनी ने उद्योग निदेशक,

हिमाचल प्रदेश से अनुरोध किया (दिसंबर 2020) कि कंपनी के निजी शेयर को असूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार खोले गए एस्क्रो खाते में उस राशि को स्थानांतरित/जमा करें एवं इसे उद्योग निदेशक से एस्क्रो खाते में प्राप्त होने के बाद कंपनी द्वारा जमा (मार्च 2021) किया गया था। हालांकि, 26 साल बीत जाने के बाद भी, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगस्त 2021 तक असूचिबद्धता प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहे।

4.9 आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

4.9.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचय एवं महत्व

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों के वित्तीय प्रदर्शन एवं प्रभावशीलता की निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन की सहायता के रूप में मान्यता दी गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा यह भी उचित आश्वासन प्रदान करती है कि संचालन/कार्य प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से किया जाता है, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्ट एवं संचालन के आंकड़ों एवं लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

4.9.2 कानूनी ढांचा

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, कुछ वर्ग की कंपनियों से आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है। कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 13 निर्धारित करता है कि निम्नलिखित कंपनियों को आंतरिक लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म नियुक्त करना अपेक्षित है :

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी।

(ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास निम्नलिखित हो :

(i) प्रदत्त शेयर पूंजी: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50.00 करोड़ या उससे अधिक; या

(ii) टर्नओवर (आय): पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹200.00 करोड़ या उससे अधिक; या

(iii) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹100.00 करोड़ या उससे अधिक से ज्यादा; या

(iv) बकाया जमा राशि: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹25.00 करोड़ या उससे अधिक

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, राज्य के पांच[65] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक

---

[65] *हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड में पाँच आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त रुप से संचालित की गई जो अनिवार्य नही थी।*

लेखापरीक्षकों या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म को नियुक्त करना अपेक्षित था। राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वयं के स्टाफ द्वारा की जा रही है। शेष चार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, जैसा कि **तालिका-4.12** में दिया गया है, आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन के बाद आंतरिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की नियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

तालिका-4.12: (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जहां चार्टेड अकाउंटेंट की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है)

क्र.	कंपनियों के नाम जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है
1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
4	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

4.9.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 में राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण की गई थी। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एक वर्ष, राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में दो वर्ष एवं राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तीन वर्ष से आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-4.3)**। यह देखा गया कि राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, जहां आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, चार नए निगमित थे एवं राज्य के दो[66] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने न तो आंतरिक लेखापरीक्षा की एवं न ही इसके लिए आवृत्ति तय की।

निष्कर्ष

समीक्षा किए गए राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पात्र थे, तथापि केवल राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए, जिनमें से राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने 2015-20 के दौरान आवश्यक न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी।

प्रावधानों के अनुसार, राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से महिला निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित थी, यद्यपि, 2015-20 के दौरान केवल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने एक महिला निदेशक की नियुक्ति की थी एवं 2018-20 के दौरान ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने एक महिला निदेशक की नियुक्ति की थी।

---

[66] *हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम एवं एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (अकार्यशील)।*

राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) जिन्होंने अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया, आचार संहिता सम्मिलित नहीं की एवं स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया। कुछ स्वतंत्र निदेशक भी कुछ निदेशक-बोर्ड/बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुए। राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति का गठन करने के लिए पात्र थे, हालांकि, केवल छ: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ऐसी लेखापरीक्षा समिति (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड सहित जिन्होंने स्वेच्छा से एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, हालांकि अनिवार्य नहीं था) नियुक्त की।

राज्य के छ: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा नहीं की गई थी। राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 23 में कोई व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। राज्य के पात्र 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल चार में पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया गया**,** राज्य के शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कंपनी सचिव का कार्य अंशकालिक कंपनी सचिव द्वारा किया जा रहा था।

सिफारिश

हिमाचल प्रदेश सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों पर प्रभाव बनाएं ताकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निगम की शासन-प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।

अध्याय-V

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय-V

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

5.1 परिचय

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) का तात्पर्य, व्यवसाय में नीतिपूर्वक व्यवहार करने तथा बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन-स्तर में सुधार लाते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की सतत प्रतिबद्धता। यह बड़े पैमाने पर उसके हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों तथा उसके सामान्य समुदाय की धारणीयता, नैतिकता एवं समाज पर उसके प्रभाव को पहचानता है। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की संकल्पना आदान-प्रदान की विचारधारा पर टिकी है। कंपनी समाज से संसाधनों को कच्चे माल एवं मानव संसाधन आदि के रूप में प्राप्त करती है। कंपनियां नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के निर्वहन द्वारा समाज को कुछ वापस सौंप रही हैं।

चार्ट-5.1

कंपनी का हित

भारत, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है, जहां कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII तथा धारा 135, अप्रैल 2014 में लागू की गयी। कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 कंपनियों द्वारा समाज पर खर्च को अनिवार्य एवं विनियमित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) अधिदेश को शामिल करना सरकार के विकास के लाभ को समान रूप से वितरित करने तथा निगम-क्षेत्र को राज्य के विकास एजेंडे के साथ जोड़ने के प्रयत्नों को सहारा देने का प्रयास है।

क़ानूनी रूपरेखा: कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 135 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के विषय से सम्बंधित है एवं जिन कंपनियों से नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल

रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियां का संचालन अपेक्षित है, उनके लिए किसी वित्तीय वर्ष[67] के दौरान नेट वर्थ, टर्नओवर व निवल लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड तथा अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक-बोर्ड द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन व निगरानी हेतु बोर्ड के विशिष्ठ तौर-तरीकों को प्रस्तुत करता है। कंपनी द्वारा उसकी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति में शामिल की जा सकने वाली गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध की गई हैं। अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII के प्रावधान सभी कंपनियों पर, जिनमे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं, पर प्रयोज्य हैं। इस अधिनियम में किसी भी कंपनी के लिए नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती लगातार तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिकलित) का कम से कम 2 प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के प्रावधानों की अनुपालना अर्थात नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का निरूपण तथा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर निर्धारित राशि को व्यय करना अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ।

फरवरी 2014 में, कोरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 जारी किया। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 1 अप्रैल 2014 से सभी कंपनियों पर पूर्ण प्रभाव से लागू किया गया।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों की अनुपालना लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि अधिनियम, कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रयासों का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नवत मामलों की जाँच की:

- क्या नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के गठन, नीति के प्रतिपादन व अनुपालन, निष्पादन की योजना-चरणों की अनुपालना की गई है;

---

[67] *कंपनी अधिनियम, 2017 के संशोधन 37 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष पर अस्पष्टता को हल करने के लिए,'किसी भी वित्तीय वर्ष' को ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के रुप में बदल दिया गया है । यह अधिनियम 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी है।*

- क्या विनिर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या कार्यान्वयन एवं रिपोर्टिंग से सम्बंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई हैं।

5.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

लेखापरीक्षा ने 2014-20 के दौरान राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (दो सांविधिक निगमों[68] को छोड़ कर राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से), जो अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र थे, की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों की समीक्षा की थी। राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन[69] लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) तथा दो[70] राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम थे। दो में से एक का टर्न ओवर ₹1000 करोड़ से अधिक का था (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) जबकि दूसरे (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) का नेटवर्थ ₹500 करोड़ से ज्यादा था।

5.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया गया:

- अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII में निहित प्रावधान; एवं
- कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के गठन, नीति निरूपण व उनकी अनुपालना, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों की कार्ययोजना एवं निष्पादन से संदर्भित अधिनियम के प्रावधानों की अधिकतम अनुपालना तथा उन पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की निगरानी व रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए है।

---

68 हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम।

69 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

70 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

5.5.1 कार्ययोजना

5.5.1.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र प्रत्येक कंपनी को तीन या तीन से अधिक निदेशकों से युक्त बोर्ड की नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन करना होगा। अधिनियम की धारा 135 (1) व (3) के अनुसार बोर्ड एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की भूमिका **चार्ट-5.2** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन करने हेतु पात्र राज्य के सभी पांचों[71] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गठित समिति (जून 2014) का सितम्बर 2018 में अस्तित्व समाप्त हो गया था, यद्यपि कंपनी ने इसका पुनर्गठन (जनवरी 2021) कर दिया था।

चार्ट-5.2

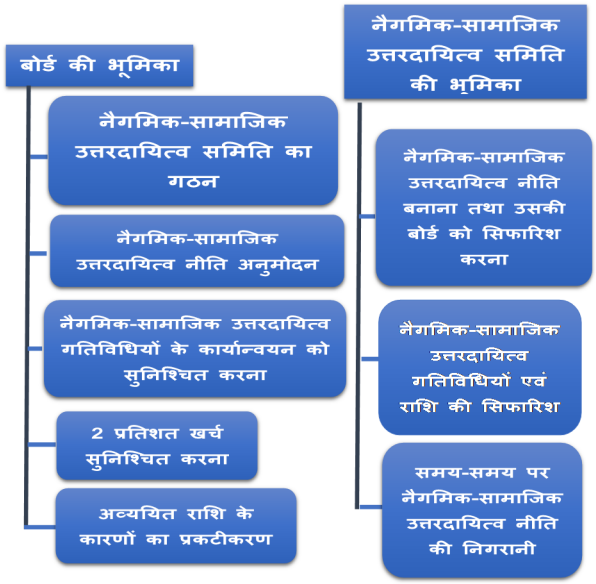

5.5.1.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनमें समिति का गठन हुआ, दो उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) ने कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के नियम का पालन किया। राज्य के शेष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड,

---

[71] *राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) अर्थात; हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (जून 2014), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जून 2016), हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (जुलाई 2018) और दो विद्युत क्षेत्र के उद्यम, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जून 2014) व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (जुलाई 2014) क्रमशः।*

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) के संदर्भ में कोई स्वतंत्र निदेशक मनोनीत नहीं किया गया।

5.5.1.3 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का निरूपण

अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति निरुपित करें एवं बोर्ड से उसकी अनुशंसा करें। राज्य के चार[72] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की अनुशंसा एवं बोर्ड के अनुमोदन पर नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति बनाई। विद्युत क्षेत्र के राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने अब तक कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति नहीं बनाई।

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरशन लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2015 व जुलाई 2015 में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः जून 2016 व सितम्बर 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति बनाई थीं। यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने जून 2016 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति तैयार की, परन्तु इसे 2014-15 से तैयार करना अपेक्षित था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने 2016-18 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के अनुमोदन के बिना ₹1.50 लाख खर्च किए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने अधिनियम के प्रावधानानुसार पात्र होने के बावजूद 2015-16 से पूर्व नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों शुरू नहीं की थी।

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य के चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नीति एवं उसकी अनुपालना के सम्बन्ध में नियम 6[73] आवश्यकता नीचे दी गई है:

---

[72] *हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2015), हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (जुलाई 2015), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (जून 2016) और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (सितंबर 2018)।*

[73] *नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व का नियम 6 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन परियोजनाओं की सूची शामिल होगी जिन्हें एक कंपनी कार्यान्वयन के तंत्र के साथ शुरू करने की योजना बना रही है, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यवसाय लाभ एवं उसकी निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा।*

तालिका-5.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नीतियों के संबंध में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम संख्या 6 की अनुपालना

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम संख्या 6 की आवश्यकता	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों दवारा अनुपालना	
अन्य बातों के साथ शामिल करने हेतु नीति	**हां**	**नहीं**
कार्यान्वयन का ध्यानकेन्द्रित क्षेत्र	4*	0
कायार्न्वयन का तरीका	3	1 (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड)
यह घोषणा कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट/गतिविधि से प्राप्त अधिशेष व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा	0	4
निगरानी रुपरेखा	3	1 (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड)

**** हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास कोई नीति नहीं थी।***

5.5.1.4 वार्षिक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) कार्ययोजना तथा बजट

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की भूमिका, बोर्ड को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों तथा वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना है। बोर्ड को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। इसमें नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों की कार्ययोजना तथा बजट अनुमोदन शामिल हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट व बजट को हर वर्ष 31 मार्च तक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के माध्यम से सर्वोत्तम प्रणालियों के रूप में बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड), जिन्हें नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों के उनके निवल औसत लाभ का दो प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अपेक्षित था, ने न तो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु बजट तैयार किया न ही उनकी कोई वार्षिक नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) योजना थीं।

उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि कंपनी ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति अनुमोदित की थी (जून 2021) तथा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों के उसके औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत निर्धारित किया था। उत्तर तथ्य-परक नहीं है। कंपनी द्वारा 2014-20 के दौरान ₹127.55 लाख खर्च करना अपेक्षित था जबकि मात्र ₹77.24 लाख का व्यय किया गया तथा कोविड-19 से पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में कंपनी द्वारा किया गया अंशदान (₹3.48 करोड़) अनुमत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) व्यय नहीं था।

5.5.2 वित्तीय घटक

5.5.2.1 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार किसी भी कंपनी को पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य है तथा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करती है। इस प्रकार से परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत, किया गया आवंटन तथा 2014-15 से 2019-20 की अवधि में लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में किया गया वास्तविक व्यय अनुवर्ती तालिका में दिया गया है।

तालिका- 5.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार खर्च की जाने वाली तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ववर्ती तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा-198 के अनुसार)	दो प्रतिशत की दर से किया गया आवंटन	वास्तविक खर्च का राशि
2014-15	1,491.87	29.84	-
2015-16	1,588.71	31.77	14.00
2016-17	1,829.90	36.60	21.22
2017-18	2,490.56	49.82	35.01
2018-19	2,863.67	57.28	0.15
2019-20	2,842.98	56.87	150.74*
	योग:	**262.19**	**221.12**

****कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए गए ₹75 लाख के व्यय को शामिल किया गया है।***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु अलग से निधियों का आवंटन नहीं किया था। यद्यपि दो प्रतिशत के निर्धारित नियमानुसार, ₹262.19 लाख राशि खर्च की जानी अपेक्षित थी, तथापि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों

₹221.12 लाख (2019-20 के दौरान कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹146.12 लाख अंशदान के अतिरिक्त) का व्यय किया। वर्ष 2014-20 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार व्यय का विवरण **परिशिष्ट-5.1** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार अपेक्षित ₹69.37 लाख खर्च नहीं किए।
- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति मात्र ₹1.50 लाख ही खर्च किए।
- 2014-15 व 2018-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर अपेक्षित ₹21.62 लाख के प्रति मात्र ₹0.15 लाख का व्यय किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि 2014-19 के दौरान कंपनी ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति ₹3.48 करोड़ का व्यय किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राशि का अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया जो अनुमत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) व्यय का भाग नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 के दौरान कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष दिए गए ₹75 लाख भी अनुमत नहीं थे।

5.5.2.2 राज्य के ऋणात्मक निवल लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

31 दिसम्बर 2020 तक के अन्तिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार 2014-18 के दौरान दो विद्युत क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (-) ₹17.00 करोड़ से (-)₹196.60 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड: (-) ₹6.10 करोड़ से (-) ₹43.10 करोड़) का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के तहत परिकलित) ऋणात्मक ही रहा। इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र के दोनों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर किसी प्रकार का व्यय करने की आवश्यकता नहीं थीं।

5.5.2.3 अव्ययित राशि का लेखांकन

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु लेखांकन पर भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी (गाइडेंस नोट्स) के अनुसार, अव्ययित राशि का खुलासा केवल बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाए तथा अव्ययित राशि के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाए। यद्यपि यदि कोई कंपनी पहले से ही नैगमिक-सामाजिक

उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की कुछ गतिविधियां कर चुकी है, जिसके लिए संविदात्मक देयताएं खर्च की गई तो पूर्ण की गई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए प्रावधान की गई राशि को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखा-बहियों दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः 2015-19 के दौरान ₹84.04 लाख एवं ₹11.00 लाख (2017-18 के दौरान) की सीमा तक की अव्ययित राशि आगे स्थानांतरित करने के लिए प्रावधान बनाए। यह नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु लेखांकन पर गाइडेंस नोट्स का उल्लंघन है।

उत्तर (जून 2021) में, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने आंशिक रूप से आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि चर्चा के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो बाद की वित्तीय विवरणियों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने उसके उत्तर में (जून 2021) आपत्तियों को स्वीकार किया तथा भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

5.5.3 प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

5.5.3.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट/ गतिविधियों का चुनाव

बुनियादी सर्वेक्षण का संचालन एवं आंकलन: राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से किसी ने भी अलग से बुनियादी सर्वेक्षण नहीं किया था।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जून 2021) कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति/निदेशक-बोर्ड के परामर्श एवं अनुमोदन से बाद के वर्षों में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

5.5.3.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

कंपनी (नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी)) नियम, 2014 का नियम 4 उस शैली से सम्बंधित है जिसमें धारा 135 (1) के तहत नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियां संचालित की जानी हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) की गतिविधियों के कार्यान्वयन के तरीके निम्नवत है:

- प्रत्यक्ष/आतंरिक : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹7.52 लाख के दो प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष/आतंरिक रूप से कार्यान्वित किए गए थे (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक

आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹7.18 लाख व ₹0.34 लाख)।

- बाह्य एजेंसी के द्वारा: ₹60.95 लाख के आठ प्रोजेक्ट (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹60.70 लाख व ₹0.25 लाख) सरकार/बाह्य एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए।

5.5.3.3 ध्यानकेन्द्रित क्षेत्र

2015-16 से 2019-20 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर हुए ₹221.12 लाख के कुल व्यय का मुख्य केंद्र-बिंदु ग्रामीण विकास (₹45.89 लाख), खेल (₹14.15 लाख), भूख निवारण (₹7.18 लाख), शिक्षा एवं कौशल विकास (₹1.50 लाख) कोविड-19 हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान (₹1.50 करोड़) तथा दान/सहायता (₹2.40 लाख) रहे। इस अवधि के दौरान राज्य के पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अन्य शीर्षों के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उसके प्रत्युत्तर में (जून 2021) में बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि का राज्य सरकार द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अंतर्गत क्रमबद्ध विभिन्न ध्यानकेन्द्रित क्षेत्रों में उपयोग किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के तहत अनुमत नहीं थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम ने उसके प्रत्युत्तर (जून 2021) में बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) निधि को खर्च करने के प्रयास किए जाएंगे।

5.5.3.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए कंपनी स्थानीय क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों को जहां वह कार्य करती है, वरीयता देगी। राज्य के सभी चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया। नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर प्रतिवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, स्थानीय एवं अन्य क्षेत्रों में खर्च की गई राशि को अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर वार्षिक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर (जून 2021) में आगामी वर्षों में अपेक्षित प्रावधानों की अनुपालन करने का आश्वासन दिया जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर (जून 2021) में बताया कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व कम है इसलिए नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) में भागीदारी करने के लिए केवल एक विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना उचित नहीं हो सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की उक्त धारा की अवहेलना करता है, अतः नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) निधियों में चिह्नित राशि खर्च करने के लिए कंपनी को उन स्थानीय क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए थी जहां वह व्यवसाय करती है।

5.5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संचालित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों पर निष्कर्ष

5.5.4.1 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर हुआ अपर्याप्त व्यय

राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत् क्षेत्र के अतिरिक्त) जो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर खर्च करने हेतु पात्र थे, उन्होंने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार व्यय नहीं किया। 2014-15 से 2019-20 की अवधि में किए जाने वाले व्यय एवं वास्तविक व्यय का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम-वार विवरण नीचे **तालिका-5.3** में दिया गया है :

तालिका-5.3: 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु किए जाने वाले व्यय एवं किये गए वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	किया जाने वाला व्यय	किया गया व्यय	कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी हेतु अधिक (+)/कम (-) व्यय
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	45.63	68.88	(+)23.25
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	127.55	77.24	(-) 50.31
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	89.01	75.00	(-) 14.01
कुल	**262.19**	**221.12**	**(-) 41.07**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 2014-20 के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति के अनुसार अपेक्षित नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के

लिए किए जाने वाले व्यय के प्रति कम व्यय (₹64.32 लाख) किया तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने ₹23.25 लाख अधिक व्यय किया था।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर में बताया (जून 2021) कि कंपनी ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के अंतर्गत अधिक राशि का अंशदान दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया अंशदान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) व्यय के रूप में अनुमत नहीं था।

5.5.4.2 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधि के तहत अमान्य व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की धारा 135, एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के तहत वित्तीय सहायता/अनुदान, उक्त अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर नहीं दिया जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने आशा किरण विकलांग शिक्षा समिति, बिलासपुर को ₹1.00 लाख (जून 2016) की राशि का दान दिया एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने रेड क्रॉस सोसाइटी को ₹1.00 लाख (जुलाई 2017) एवं गो-सदन, मझवार, जिला मण्डी को ₹0.40 लाख (जनवरी 2020) का दान दिया जो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों के अंतर्गत पात्र नहीं थे। इस प्रकार, 2016-20 के दौरान राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹2.40 लाख का व्यय किया गया, जो अमान्य था।

5.5.4.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने नौ परियोजनाओं (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड -आठ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड -एक) के निष्पादन के लिए बाहरी एजेंसियों को ₹43.99 लाख का अग्रिम प्रदान किया, परन्तु संबंधित एजेंसियों से निष्पादित कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं लिए/प्राप्त किए गए। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रदान किया गया अग्रिम अभीष्ट उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया था।

5.5.4.4 नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति/नीति के अनुमोदन के बिना व्यय

(i) विद्यमान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी) समिति/निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन/संविधान के बिना हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने महासचिव, खेल एवं सांस्कृतिक क्लब, मंडी को ₹0.15 लाख का अग्रिम प्रदान किया (जून 2018) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने ₹1.50 लाख (2016-18) का व्यय किया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति के अनुमोदन के बिना पांच प्रोजेक्ट पर ₹29.59 लाख का व्यय किया।

5.5.5 निगरानी ढांचा

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य के चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने नीति नहीं बनाई) में से राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) ने नीति में निगरानी तंत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया। नीति के अनुसार राज्य के अन्य तीन[74] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था, परन्तु 2018-19 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठक आयोजित नहीं की गई थी एवं वर्ष 2019-20 के दौरान एक बैठक हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी।

5.5.6 रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

अधिनियम की धारा 135 (2) एवं (4) के साथ पठित धारा 134 (3) (ओ) के अनुसार, किसी कंपनी को उसकी बोर्ड रिपोर्ट में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर एक वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित करनी होगी एवं यदि उसकी कोई आधिकारिक

---

[74] *हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड।*

वेबसाइट हो, तो उस पर उसे निर्धारित तरीके में रखना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित का डिस्क्लोज़र करना होगा :

1. डिस्क्लोज़र में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति की विषयवस्तु, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति की संरचना, प्रशासन उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारण सम्मिलित हो।
2. नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व विवरण शामिल हो, कि नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के उद्देश्य एवं नीति की अनुपालना के अनुसार था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) पर वार्षिक रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया एवं राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने इसे आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं दर्शाया।

निष्कर्ष

राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने अधिनियम एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नियमों के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने क्रमशः जून 2016 एवं जुलाई 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति का गठन किया एवं जून 2016 एवं सितंबर 2018 में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति तैयार की। सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड में नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) समिति अस्तित्व में नहीं थी, हालांकि इसका पुनर्गठन (जनवरी 2021) किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड ने अभी तक अपनी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) नीति नहीं बनाई थी। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) ने कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) योजना नहीं बनाई थीं। 2014-20 के दौरान राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नैगमिक-

सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) गतिविधियों हेतु ₹262.19 लाख के अपेक्षित व्यय के प्रति मात्र ₹221.12 लाख का व्यय किया गया था।

राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) नीति में निगरानी तंत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया। नीति के अनुसार, राज्य के सभी तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड) को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था, जबकि 2018-19 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कोई नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) बैठक आयोजित नहीं की गई थी एवं 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। 2014-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित कुल छः बैठकों में से तीन बैठकों में भाग नहीं लिया था।

सिफारिश

- ***राज्य के लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वार्षिक बजट एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) योजना तैयार करें, जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) हेतु आवंटित धन का तदनुसार उपयोग किया जा सके।***
- ***राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत को स्वीकार्य गतिविधियों पर खर्च करने का प्रयास करें।***

अध्याय-VI

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

अध्याय-VI

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

6.1 परिचय

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय लेखांकन मानकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015, द्वारा भारतीय आर्थिक एवं विधिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का सन्दर्भ देते हुए अधिसूचित किया। भारतीय लेखांकन मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप थे जोकि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से मुख्यतः तीन दृष्टिकोणों में भिन्न थे: अर्थात उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप से अधिक तथ्यों एवं बैलेंस शीट पर महत्त्व। 1 अप्रैल 2016 से कम्पनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा इन भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया जाना अनिवार्य है। 31 मार्च 2020 को 39 भारतीय लेखांकन मानक लागू हैं। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय समय-समय पर कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 में संशोधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ अभिसरण रखने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करता है। 39 भारतीय लेखांकन मानकों की सूची **परिशिष्ट 6.1** में दी गई है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य चरण I एवं II में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का अध्ययन करना था जिससे यह आंकलन किया जा सके कि क्या भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाते समय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना की जा रही थीं एवं उनका राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर क्या प्रभाव था।

6.2 भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं:

(i) चरण-I

1 अप्रैल 2016 या उसकी बाद की अवधि से निम्नलिखित कम्पनियों पर भारतीय लेखांकन मानक 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि या उसके बाद के तुलनात्मक आंकड़ों सहित अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

- जिन कम्पनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में हैं एवं उनकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ या उससे अधिक है.

- उपरोक्त के अंतर्गत सम्मिलित कम्पनियों के अतिरिक्त जिन कम्पनियों की कुल नेटवर्थ ₹500 करोड़ या उससे अधिक है।
- होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या ऊपर सम्मिलित कम्पनियों की सहयोगी कम्पनियां।

(ii) चरण-II

1 अप्रैल 2017 या उसकी बाद की अवधि से निम्नलिखित कम्पनियों पर भारतीय लेखांकन मानक 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि या उसके बाद के तुलनात्मक आंकड़ों सहित अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

- जिन कम्पनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या जो भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में हैं एवं जिनकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ से कम है।
- चरण I के अंतर्गत सम्मिलित कम्पनियों के अतिरिक्त गैर सूचीबद्ध कम्पनियां जिनकी नेटवर्थ ₹250 करोड़ या उससे अधिक है परन्तु ₹500 करोड़ से कम हैं.
- होल्डिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम या ऊपर सम्मिलित कम्पनियों की सहयोगी कम्पनियां।

(iii) भारतीय लेखांकन मानकों का स्वेच्छा से अपनाया जाना

कोई भी कंपनी 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के लिए 31 मार्च 2015 या उसके बाद समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरणियों सहित भारतीय लेखांकन मानकों का पालन कर सकती है। हालाँकि, कोई कम्पनी एक बार स्वैच्छिक या अनिवार्य रूप से भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार रिपोर्ट करना आरम्भ करती है, तो वे भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धति पर वापस नहीं लौट सकती।

6.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

31 मार्च 2020 तक कुल 27 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (दो[75] सांविधिक निगमों के अतिरिक्त) थे। इस अध्ययन में राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को शामिल किया गया जिनके द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना (चरण I: तीन[76] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं चरण II: एक[77] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) अपेक्षित था। विवरण नीचे **तालिका-6.1** में दिया गया है:

---

[75] *हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।*

[76] *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।*

[77] *हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।*

तालिका-6.1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने भारतीय लेखांकन मानक अपनाए एवं जिनकी समीक्षा की गई

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अभ्युक्तियाँ
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड	कम्पनी ने 2017-18 से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया, हालाँकि 2016-17 से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाना आवश्यक था।
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के कारण, 2016-17 से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया।
3.	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	भारतीय लेखांकन मानकों को 2016-17 से अपनाया।
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को चरण-II से अपनाया जाना अपेक्षित था, तदनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक 2017-18 से अपनाए।

उपरोक्त में से राज्य के एक विद्युत क्षेत्र का उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड) अपनी ऋण प्रतिभूतियों के लिए मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है एवं इसकी एक सहायक कम्पनी ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड थी। शहरी विकास एवं नगर एवं ग्राम नियोजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निगमित (20 जुलाई 2016) एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम[78] ने स्वैच्छिक आधार पर भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अपना प्रथम वित्तीय विवरण तैयार किया था। अतः इसको डेस्क समीक्षा के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि लेखाओं में सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से भारतीय लेखांकन मानकों में कोई परिवर्तन शामिल नहीं था। भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने के लिए यह अपेक्षित था कि एक इकाई यह जानकारी दे कि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से भारतीय लेखांकन मानकों में संक्रमण शामिल नहीं था।

भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने के लिए यह अपेक्षित था कि एक इकाई यह जानकारी दे कि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन से उसकी बैलेंस शीट, वित्तीय प्रदर्शन एवं नकदी प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है। राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अर्थात हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने अपनी वित्तीय विवरणियों में टिप्पणियों के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। लेखापरीक्षा

[78] *धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।*

ने इन प्रकटीकरणों की डेस्क समीक्षा की एवं इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष इस डेस्क समीक्षा पर आधारित हैं।

6.4 भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने की समीक्षा

भारतीय लेखांकन मानक 101 - एक कम्पनी द्वारा पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है। पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाते समय, वित्तीय परिणामों में भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार उसकी इक्विटी एवं शुद्ध लाभ/हानि एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन भारतीय सिद्धांतों के अनुसार इक्विटी एवं शुद्ध लाभ/हानि का समायोजन होना चाहिए जिससे पूर्व भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन के परिणामस्वरूप बैलेंस शीट एवं लाभ एवं हानि विवरणी में हुए महत्वपूर्ण समायोजनों को हितधारक समझ सकें।

भारतीय लेखांकन मानक 101 का अंतनिर्हित सिद्धांत यह है कि इसे पहली बार अपनाने वाले को इस प्रकार वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए जैसे कि उसने हमेशा भारतीय लेखांकन मानक लागू किए हैं। हालाँकि, इसने भारतीय लेखांकन मानकों के पूर्ण पूर्वव्यापी प्रभाव के सिद्धांत के लिए दो प्रकार के अपवादों की अनुमति दी अर्थात अनिवार्य अपवाद एवं स्वैच्छिक अपवाद। स्वैच्छिक अपवादों (पारगमन की तिथि[79] से लागू) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

पहली बार अपनाने वाला भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण की तिथि को उसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की कोई वस्तु को उसके उचित मूल्य[80] पर मापने का चुनाव कर सकता है एवं इस दिनांक पर उस उचित मूल्य को उसकी मानित लागत[81] मान सकता है या उनकी सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों की रखाव लागत पर मापने का चयन कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी चारों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनके संपत्ति, संयंत्र व उपकरण को रखाव लागत पर मूल्यांकित करने का विकल्प का चयन किया. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने भी लेनदेन की दिनांक पर मूल्य वाली अमूर्त परिसम्पति को मानित मूल्य मानने का विकल्प का चयन किया. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

---

79 *भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण की तारीख सबसे शुरुआती अवधि की शुरुआत है जिसके लिए एक कंपनी पहले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों में भारतीय लेखांकन मानक के तहत पूर्ण तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है। विश्लेषणाधीन कंपनियों के लिए संक्रमण की तिथि 01 अप्रैल 2015 है।*

80 *उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।*

81 *एक निश्चित तिथि पर लागत या मूल्यह्रास लागत के लिए सरोगेट के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि। बाद में मूल्यह्रास या परिशोधन मानता है कि इकाई ने शुरू में दी गई तारीख पर परिसंपत्ति या देयता को मान्यता दी थी और इसकी लागत मानित लागत के बराबर थी।*

ने स्वीकार किया (जून 2021) कि कम्पनी ने लेनदेन की दिनांक पर अपने सभी संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के लिए रखाव लागत जारी रखने का चुनाव किया है एवं लेनदेन की दिनांक पर मूल्य वाली अमूर्त परिसम्पति को मानित मूल्य मानने का विकल्प का चयन किया है।

(ii) भारतीय लेखांकन मानक 27 - एकल वित्तीय विवरण

जब एक कम्पनी पृथक वित्तीय विवरणी तैयार करती है तो, भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुसार यह अपेक्षित होता है कि वह अपनी सहायक कम्पनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं एवं सहयोगियों में निवेश का लेखांकन या तो लागत या भारतीय लेखांकन मानक 109 (वित्तीय विलेखों) के अनुसार करें। यदि पहली बार अपनाने वाला इस तरह के निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुसार लागत पर मापता है तो यह उस निवेश को या तो भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुसार निर्धारित लागत पर या इसके अलग प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट में मानित लागत पर मापेगा। इस तरह के निवेश की मानी गई लागत संक्रमण की तारीख पर या उस तारीख पर सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों पर वहन राशि के अनुसार उचित मूल्य होगी।

लेखापरीक्षा समीक्षा ने इंगित किया कि दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) ने सहायक कम्पनियों में निवेश को रखाव मूल्य पर मापने का चयन किया। अन्य दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कम्पनी होने का कारण) एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की कोई सहायक कम्पनी या संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई या सहायक नहीं थी।

(iii) भारतीय लेखांकन मानक 17 - पट्टे (अब भारतीय लेखांकन मानक 116)

एक कम्पनी मूल्यांकन कर सकती है कि संक्रमण तिथि पर मौजूद व्यवस्था में संक्रमण तिथि पर मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितिओं के आधार पर पट्टा व्यवस्था है, सिवाय वहां जहाँ प्रभाव तत्त्वहीन/अमूर्त हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) ने संक्रमण तिथि से अपनी वित्तीय विवरणियों में भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार पट्टा वर्गीकरण अपनाया, जबकि शेष तीन[82] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय लेखांकन मानक 17 का अनुपालन नहीं किया।

---

[82] *हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।*

6.5 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कर के बाद लाभ, राजस्व, कुल संपत्ति एवं नेटवर्थ के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के समय चयनित विकल्प के आधार पर मूल्य घट या बढ़ सकता है। समीक्षा के लिए चयनित चार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में उपरोक्त लेखा क्षेत्रों पर कार्यान्वयन के प्रभाव की समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

6.5.1 कर के पश्चात् लाभ पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा ने इंगित किया कि भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के मुनाफे में वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड[83] की हानि बढ़ गई थी, जैसा कि नीचे **तालिका-6.2** में दिया गया है।

तालिका-6.2: भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने से कर के पश्चात् लाभ पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	कर के बाद लाभ/हानि में कमी	कर के बाद लाभ/हानि में वृद्धि	निवल प्रभाव लाभ (-) हानि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	(-) 76.82	(-) 144.05	(-) 67.23
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	(-) 0.16	0.70	0.54
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-

ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की जलविद्युत परियोजना का वाणिज्यिक संचालन अभी शुरू होना बाकी है, इसलिए इसने अभी तक अपना पहला लाभ एवं हानि खाता (2019-20 तक) तैयार नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में, भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के कारण लाभ एवं हानि लेखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

---

[83] *2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत के तहत (-)₹44.21 करोड़ की हानि दर्ज की। यद्यपि इसमें भारतीय लेखांकन मानक के तहत समायोजन के पश्चात(-)₹111.44 करोड़ की वृद्धि हुई।*

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कोरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन ने आपत्तियों को स्वीकार (जून 2021) कर लिया है।

6.5.1.1 कर के पश्चात लाभ में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर के पश्चात् लाभ को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के कर के पश्चात् लाभ में ₹0.54 करोड़ की वृद्धि मूलतः चालू पूंजीगत कार्य से आय (₹0.70 करोड़) एवं व्यय (₹0.16 करोड़) के समायोजन के कारण हुई, जिसे विपरीत (रिर्वसल) कर लाभ एवं हानि लेखा में ले लिया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की हानि में ₹ 67.23 करोड़ की वृद्धि अन्य आय में ₹133.18 करोड़ की कमी के कारण रही (भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन से पहले ₹330.39 करोड़ एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत से भारतीय लेखांकन मानकों में पारगमन के बाद ₹197.21 करोड़ के अंतर के कारण) एवं अन्य व्यय में ₹76.82 करोड़ (सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने के कारण ₹247.04 करोड़ एवं भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार ₹170.22 करोड़) की कमी एवं ₹10.87 करोड़ की असाधारण मदों के हटने (रिवर्सल) के कारण हुई।

हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जून 2021) किया।

6.5.2 राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक 18 के तहत 'राजस्व' की परिभाषा में निवल मूल्य प्रतिभागियों से योगदान से संबंधित वृद्धि के अतिरिक्त वे सभी आर्थिक लाभ शामिल हैं जो एक इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होते हैं जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ में वृद्धि होती है। हालांकि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण) के अनुसार राजस्व, प्राप्य या किसी उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से, सेवाओं के प्रतिपादन से एवं अन्य लोगों द्वारा उद्यम के संसाधनों के उपयोग द्वारा प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी एवं लाभांश से नकद का सकल अंतर्वाह या अन्य प्रतिफलों के रूप में परिभाषित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में समीक्षित चार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व का समायोजन किया जैसा कि नीचे **तालिका-6.3** में दिया गया है:

तालिका-6.3: भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के राजस्व पर उद्यम-वार प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	राजस्व में कमी	राजस्व में वृद्धि	निवल प्रभाव
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	(-)149.98	(+)16.80	(-)133.18
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	-	(+)0.70	(+) 0.70
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के राजस्व में वृद्धि/कमी के कारण निम्नानुसार दर्शाए गए हैं:

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के राजस्व में ₹16.80 करोड़ की वृद्धि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अपवादात्मक एवं असाधारण मदों (असाधारण क्रेडिट सहित बाढ़, चक्रवात, आग, आदि के कारण नुकसान के लिए सब्सिडी) को सम्मिलित करने के कारण हुई थी।

(ii) हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के राजस्व में वृद्धि चालू पूंजीगत कार्य से आय के समायोजन के कारण हुई थी जिसे राजस्व में ले लिया गया।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के संबंध में राजस्व में कमी (₹149.98 करोड़) अन्य आय से वापसी (रिवर्सल) के कारण हुई। (पूर्व अवधि आय एवं ब्याज एवं वित्त शुल्क अर्थात मूल्यह्रास का अतिरिक्त प्रावधान- ₹0.03 करोड़, ब्याज एवं वित्त शुल्क का अतिरिक्त प्रावधान- ₹18.25 करोड़, पूर्व अवधि में अन्य अतिरिक्त प्रावधान-₹130.96 करोड़ एवं पूर्व अवधि से संबंधित अन्य आय-₹0.74 करोड़)।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जून 2021) किया।

6.5.3 परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने का प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, भारतीय लेखांकन मानक 38 - अमूर्त परिसंपत्ति, भारतीय लेखांकन मानक 32 - वित्तीय विलेख: प्रस्तुतीकरण, भारतीय लेखांकन मानक 109 - वित्तीय विलेख एवं भारतीय लेखांकन मानक 40 - निवेश परिसंपत्तियों

के तहत, निर्धारित लेखांकन के तरीकों में अंतर के कारण, भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धति की तुलना में भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन से परिसंपत्ति का कुल मूल्य प्रभावित होता है। भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 101 ने पहली बार अपनाने वाले को अपने सभी संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के लिए रखाव मूल्य जारी रखने का चुनाव करने का विकल्प, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण की तिथि पर भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानक के अंतर्गत मापित वित्तीय विवरणों में मान्य है एवं डी-कमीशनिंग देनदारियों के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद संक्रमण की तारीख पर इसकी मानित लागत के रूप में मूल्य वहन करने का विकल्प दिया। इस छूट का उपयोग भारतीय लेखांकन मानक 38 - अमूर्त संपत्ति एवं भारतीय लेखांकन मानक 40 - निवेश संपत्ति के तहत अमूर्त संपत्ति के मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता है।

सामान्यत: स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों से भारतीय लेखांकन मानक में पारगमन पर, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुल परिसंपत्ति के मूल्य पर समायोजन किया। इनमें से एक ने वृद्धि की सूचना दी, दो ने कमी की सूचना दी एवं एक ने भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणास्वरूप कुल परिसंपत्ति के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होने की सूचना दी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कुल परिसंपत्ति पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार प्रभाव नीचे **तालिका-6.4** में दिया गया है:

तालिका-6.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने का कुल परिसंपत्ति पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	कुल परिसंपत्ति के मूल्य में कमी	कुल परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि	निवल प्रभाव
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	(-) 746.10	(+)720.90	(-) 25.20
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	(-) 0.72	-	(-) 0.72
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	(-) 172.18	(+)172.72	(+) 0.54
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	(-) 0.0058	(+)0.0058	-

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 25.20 करोड़) एवं ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 0.72 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में निवल कमी आई। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹0.54 करोड़) की कुल संपत्तियों के निवल मूल्य में वृद्धि देखी गई।

परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी के कुछ महत्वपूर्ण कारण का विवरण नीचे दिया गया है :

6.5.3.1 भारतीय लेखांकन मानक-I के अंतर्गत अपेक्षित पुनर्वर्गीकरण/प्रस्तुतिकरण के कारण परिसंपत्तियों पर प्रभाव

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों (गैर-चालू परिसंपत्तियों) में ₹280.00 करोड़ की वृद्धि इसकी सहायक कंपनी (ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत शामिल करने के कारण थी, जिसे पहले अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दिखाया गया था।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹167.63 करोड़ की वृद्धि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार प्राप्तियों में बिल में न लिए गए राजस्व को छोड़ने के कारण हुई थी।

(iii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में ₹131.20 करोड़ (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड) में वृद्धि न्यायालयों एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा राशियों को शामिल करने के कारण थी जिन्हें पहले अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत लिया गया था।

(iv) हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹36.54 करोड़ की वृद्धि अल्पकालिक ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के कारण हुई।

(v) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के संबंध में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों में ₹265.45 करोड़ की कमी ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों ₹58.33 करोड़, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड से वसूली योग्य राशि ₹69.72 करोड़, वसूली योग्य राशि (अन्य) ₹46.57 करोड़ एवं न्यायालयों आदि में जमा, ₹90.83 करोड़ को वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्य) के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई थी।

(vi) ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की कुल परिसंपत्ति में ₹0.72 करोड़ की कमी, संचालन पूर्व के व्यय (विविध व्यय के अंतर्गत) को सामान्य रिजर्व में ले जाने के कारण थी।

(vii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की चालू परिसंपत्तियों (अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम) में ₹25.20 करोड़ की कमी अन्य वित्तीय देयताओं (स्टाफ का सामान्य भविष्य निधि) के अंतर्गत कर्मचारियों के समायोजित सामान्य भविष्य निधि पर अर्जित एवं देय ब्याज को सम्मिलित नहीं करने के कारण थी।

ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन (अप्रैल 2021) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड दोनों के प्रबंधनों (जून 2021) ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया।

6.5.4 नेटवर्थ पर भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने का प्रभाव

नेटवर्थ (इक्विटी)[84] मालिकों के लिए उसकी इकाई के मूल्य का माप है। भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने पर यह अनिवार्य है कि भारतीय लेखांकन मानकों के पारगमन की तिथि पर आरंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट बनाई जाए। लेखांकन नीतियां जिसे एक इकाई अपने आरंभिक भारतीय लेखांकन मानक बैलेंस शीट में उपयोग करती है, वे उन नीतियों से भिन्न हो सकती हैं जिनका उपयोग उसने सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत समान तिथि के लिए किया था। भारतीय लेखांकन मानक 101 के प्रावधानों के अनुसार - प्रथम बार भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने पर 1 अप्रैल 2015 तक परिसंपत्तियों व देयताओं की ले जाने वाली राशि के बीच किसी भी अंतर की तुलना 31 मार्च 2015 तक सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानकों की बैलेंस शीट में प्रस्तुत की हो, उन्हें भारतीय लेखांकन मानक की बैलेंस शीट में प्रतिधारित कमाई के अंतर्गत नेटवर्थ में मान्यता दी जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ पर भारतीय लेखांकन मानकों के प्रभाव के लेखापरीक्षा के आकलन से पता चला कि दो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नेटवर्थ में वृद्धि/कमी की सूचना दी जैसा कि **तालिका-6.5** में दर्शाया गया है:

तालिका-6.5: भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के नेटवर्थ पर उद्यम-वार प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	नेट वर्थ में कमी	नेट वर्थ में वृद्धि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	(-) 0.72	-
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड		(+) 0.54
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	-	-

[84] *नेटवर्थ = प्रदत्त पूंजी अंश + मुक्त भंडार + प्रतिभूति प्रीमियम खाता – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय एवं बट्टे-खाते में न डालने गए विविध व्यय।*

लेखापरीक्षा में समीक्षा से उपर्युक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवल मूल्य में परिवर्तन के निम्नलिखित कारणों का पता चला:

(i) हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹0.54 करोड़) की नेटवर्थ में वृद्धि भारतीय लेखांकन मानकों के तहत संचित हानियों में कमी के कारण थी।

(ii) ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹0.72 करोड़) की नेटवर्थ में कमी विविध व्यय (व्यय को बट्टे खाते में नहीं डालने के कारण) के समायोजन के कारण थी।

6.6 भारतीय लेखांकन मानकों का अपालन

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित सभी चार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों का अपालन नीचे **तालिका-6.6** में दिया गया है:

तालिका-6.6 : भारतीय लेखा मानकों का अपालन जैसा कि सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित है

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	भारतीय लेखांकन मानक संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2017-18 के दौरान 7, 16, 17, 18, 19, 36 एवं 37 (सात)
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	(i) 2016-17 के दौरान 23 (एक) (ii) 2017-18 के दौरान 23 (एक) (iii) 2018-19 के दौरान 23 (एक)
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18 के दौरान 10, 12, 19, 20, 23, 37, 107, 109 और 113 (नौ)
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	i) 2017-18 के दौरान 8, 19, 33 (तीन) ii) 2018-19 के दौरान 8, 19, 33 (तीन)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने अपने उत्तर में (जून 2021) बताया कि वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। हालांकि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय लेखांकन मानकों के सभी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जो कि सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन में इसे अर्हता भी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ने कहा (जून 2021) कि भारतीय लेखांकन मानक 8 का पालन न करने को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है, हालांकि, भारतीय लेखांकन मानक 19 की अनुपालना करने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानक 33 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2021) कि ऋण की लागत प्रत्यक्ष तौर पर परिसंपत्तियों से सम्बंधित है एवं उन्होंने ऋण लागत की कुल राशि को निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत प्रभारित किया है, हालांकि उन्होंने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है।

निष्कर्ष

भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा में परिवर्तन हुआ, ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन कि तुलना में उचित मूल्यांकन का उपयोग बढ़ा एवं अंतर्निहित लेनदेन के कानूनी रूप की तुलना में सार पर अधिक ध्यान दिया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर के बाद लाभ, राजस्व, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा नेटवर्थ भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने से चरण I व II में प्रभावित हुए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन एवं वित्तीय स्थिति का आंकलन करते समय सम्बंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों में प्रकट किए गए परिवर्तनों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

शिमला
दिनांक: 26 नवम्बर 2021

(ऋतु ढिल्लों)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 दिसम्बर 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 1, 1.4.2, 2.4.1 व 2.5.1)

नवीनतम वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.	उद्यमों के नाम (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियां	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/हानि (-)	कर व ब्याज के पश्चात निवल लाभ(+)/हानि(-)	कर व ब्याज के पूर्व लाभ(+)/ हानि(-)	ब्याज	नियोजित पूंजी	नेटवर्थ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	13	14
क	**कार्यशील सरकारी कम्पनियां**												
	कृषि एवं सम्बद्ध												
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	18.85	13.04	44.42	76.56	(-) 11.29	2.97	3.03	0.06	20.60	7.56
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	38.77	68.76	139.39	62.97	(-) 87.77	(-)1.22	1.61	2.83	19.76	(-)49.00
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2019-20	11.71	23.73	204.29	175.38	(-) 97.45	(-)34.43	(-) 30.82	3.61	(-)62.01	(-)85.74
	योग:			**69.33**	**105.53**	**388.10**	**314.91**	**(-) 196.51**	**(-) 32.68**	(-) **26.18**	**6.50**	**(-) 21.65**	**(-)127.18**
	वित्त												
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2017-18	11.00	15.00	34.58	2.73	7.36	1.07	1.42	0.35	33.36	18.36
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2015-16	2017-18	9.19	0	11.83	0.74	2.00	0.50	0.50	0	11.19	11.19
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2016-17	9.39	11.19	24.31	0.68	(-) 4.77	0.03	0.42	0.39	15.81	4.62
	योग:			**29.58**	**26.19**	**70.72**	**4.15**	**4.59**	**1.60**	**2.34**	**0.74**	**60.36**	**34.17**
	अवसंरचना												
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	25.00	0.00	322.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	25	25
8	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	30.82	0.00	293.54	44.93	50.55	13.90	19.84	0.00	81.37	81.37
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2018-19	0.00034	0.00	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम प्राप्त लेखा टिप्पणी		0.007	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007
	योग:			**55.83**	**0.00**	**828.34**	**44.93**	**50.55**	**13.90**	**19.84**	**0.00**	**106.38**	**106.38**
	विनिर्माण												
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	7.16	2.97	56.02	56.96	32.75	6.97	10.06	0.21	42.88	39.91
	योग:			**7.16**	**2.97**	**56.02**	**56.96**	**32.75**	**6.97**	**10.06**	**0.21**	**42.88**	**39.91**
	सेवा												
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.51	0.00	411.18	1245.96	33.95	1.28	2.18	0.12	37.46	37.46
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	3.72	0.30	61.83	42.31	7.93	1.68	2.37	0.00	11.95	11.65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	13	14
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	9.25	0.00	23.77	30.84	(-)15.24	0.08	0.57	0.02	(-)5.99	(-)5.99
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2015-16	2016-17	12.30	0.00	73.99	90.89	(-)22.08	1.40	2.05	0.31	(-)9.78	(-)9.78
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2018-19	2019-20	0.007	0.00	93.92	0.00	4.19	2.70	2.70	0.00	4.197	4.197
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.18	0.00	3.46	3.04	1.04	(-) 0.48	(-) 0.4779	0.0021	1.22	1.22
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.10	0.00	318.56	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
19	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए											
20	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए		1.00								1.00	1.00
	क्षेत्रवार योग:			**30.07**	**0.30**	**986.71**	**1530.22**	**9.79**	**6.66**	**9.39**	**0.45**	**40.16**	**39.86**
	सकल योग (क)			**191.97**	**134.99**	**2,329.89**	**1,951.17**	**(-) 98.83**	**(-)3.55**	**15.45**	**7.90**	**228.13**	**93.14**
ख	**सांविधिक निगम**												
						वित्त							
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2018-19	99.57	102.16	319.94	2.55	(-)166.56	(-)5.50	2.12	7.62	35.17	(-)66.99
	क्षेत्रवार योग:			**99.57**	**102.16**	**319.94**	**2.55**	**(-)166.56**	**(-)5.50**	**2.12**	**7.62**	**35.17**	**(-)66.99**
						सेवा							
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2018-19	2019-20	779.49	134.33	853.68	792.57	(-)1387.28	(-)154.80	(-)134.90	19.90	(-)473.46	(-)607.79
	क्षेत्रवार योग:			**779.49**	**134.33**	**853.68**	**792.57**	**(-)1387.28**	**(-)154.80**	**(-)134.90**	**19.90**	**(-)473.46**	**(-)607.79**
	सकल योग (ख)			**879.06**	**236.49**	**1,173.62**	**795.12**	**(-)1553.84**	**(-)160.30**	**(-)132.78**	**27.52**	**(-)438.29**	**(-)674.78**
	सकल योग(क + ख)			**1,071.03**	**371.48**	**3,503.51**	**2,746.29**	**(-)1,652.67**	**(-)163.85**	**(-)117.33**	**35.42**	**(-)210.16**	**(-)581.64**
ग	**अकार्यशील सरकारी कम्पनिया**												
						कृषि एवं सम्बद्ध							
1	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	(-)0.04	0.00	(-)0.36	(-)60.51
	योग:			**17.72**	**60.15**	**1.33**	**0.00**	**(-)78.23**	**(-)0.04**	**(-)0.04**	**0.00**	**(-)0.36**	**(-)60.51**
						विनिर्माण							
2	हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	(-)0.01	0.00	(-)4.52	(-)4.52
	योग:			**0.92**	**0**	**0**	**0.00**	**(-)5.44**	**(-)0.01**	**(-)0.01**	**0.00**	**(-)4.52**	**(-)4.52**
						सेवा							
3	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	14.27	0.00	10.49	10.49
	क्षेत्रवार योग:			**1.00**	**0**	**124.35**	**543.97**	**9.49**	**9.49**	**14.27**	**0.00**	**10.49**	**10.49**
	सकल योग(ग)			**19.64**	**60.15**	**125.68**	**543.97**	**(-)74.18**	**9.44**	**14.22**	**0.00**	**5.61**	**(-)54.54**
	सकल योग(क +ख + ग)			**1,090.67**	**431.63**	**3,629.19**	**3,290.26**	**(-)1,726.85**	**(-)154.41**	**(-)103.11**	**35.42**	**(-)204.55**	**(-)636.18**
घ	**विद्युत क्षेत्र**												
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2017-18	2019-20	670.57	4719.12	9209.36	6520.76	(-)1535.06	3.66	460.72	457.06	3854.63	(-)864.49
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	326.44	1145.80	1966.24	18.33	(-)53.06	(-)40.92	(-)31.79	9.13	1419.18	273.38
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	1845.56	1181.72	6414.55	83.36	(-)116.00	(-)79.12	17.11	96.23	2911.28	1729.56
4	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	300.00	1397.91	1746.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1697.91	300.00
	क्षेत्रवार योग:			**3,142.57**	**8,444.55**	**19,336.49**	**6,622.45**	**(-)1,704.12**	**(-)116.38**	**446.04**	**562.42**	**9,883.00**	**1,438.45**
सकल योग राज्य के कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम				**4,233.24**	**8,876.18**	**22,965.68**	**9,912.71**	**(-)3,430.97**	**(-)270.79**	**342.93**	**597.84**	**9,678.45**	**802.27**

परिशिष्ट-II

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 5 व 2.1)

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के नाम, निगमन का माह एवं वर्ष (उनके संक्षिप्त विवरण सहित) को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	क्षेत्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	क्षेत्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)				
कृषि एवं सम्बद्ध				
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	बागवानी	सितम्बर, 1970	कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों को आपूर्ति के लिए कृषि वस्तुओं और अन्य सामग्रियों के निर्माण/व्यापार, सीमेंट, लोहा और इस्पात, बिट्मेन, टायर और ट्यूब आदि का व्यापार करती है।
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	जून, 1974	राज्य के फल उत्पादकों को कटाई उपरांत सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें बाजार से अपनी उपज का सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करना। यह उत्पादकों को सेब की ग्रेडिंग/पैकेजिंग और भंडारण सुविधाओं के अलावा बागवानी आदानों, उपकरणों और उपकरणों की आपूर्ति करती है। कंपनी सभी प्रकार के अधिशेष फलों की खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण व विपणन करती है।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड	वन	मार्च, 1974	कंपनी राज्य के भीतर लकड़ी के दोहन और विपणन; रेजिन का रोजिन, तारपीन के तेल और सहायक उत्पादों में दोहन और प्रसंस्करण तथा उसका विपणन आदि करती है।
वित्त				
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनवरी, 1994	कंपनी राज्य में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है|
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अप्रैल, 1989	कंपनी राज्य में महिला उद्यमियों एवं महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सितम्बर, 1986	राज्य में अल्पसंख्यकों में से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान का कार्य करना; पूर्वोक्त वर्गों और वर्गों के साक्षरता, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल के संवर्धन और सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, उपरोक्त वर्गों और वर्गों के लिए संबंधित डेटा एकत्र, संकलित और प्रकाशित किया जा सके और प्रदान किया जा सके। उपरोक्त वर्गों और वर्गों को वित्तीय सहायता और पेशेवर जानकारी की व्यवस्था करना।
अवसंरचना				
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	जून, 1999	हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़कों, पुलों एवं अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना।
8	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जुलाई, 2016	धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं लागू करना|
9	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जनवरी, 2018	शिमला में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं लागू करना|
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर, 1966	कंपनी संयंत्र और मशीनरी, यंत्रों, उपकरण, रसायन और पदार्थों के विनिर्माण व उत्पादन करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं या उद्यमों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रशासित करती है, जिनसे हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रसार या आगे बढ़ने की संभावना है। यह किसी भी औद्योगिक उद्यम, परियोजना या उद्यमों को सहायता, सहयोग व वित्त प्रदान करती है, लीज होल्ड के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए भूखंड प्रदान करती है। साथ ही, कंपनी निक्षेप कार्यों के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और निगम आदि की ओर से सिविल कार्य करती है।

1	2	3	4	5
विनिर्माण				
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर, 1972	कंपनी देशी शराब, फर्नीचर और फिक्स्चर और रेशम उत्पादों का निर्माण करती है। कंपनी के टर्नओवर का अधिकतम हिस्सा देशी शराब की बिक्री से है।
सेवा				
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं आपूर्ति	नवम्बर, 1966	कंपनी अपने थोक गोदामों के माध्यम से नियंत्रित वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी, दालें, खाद्य तेल, नमक और मिट्टी के तेल) की आपूर्ति के लिए उचित मूल्य की दुकानों/खुदरा दुकानों (स्वयं/अन्य) को राशन के वितरण के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्र/राज्य सब्सिडी वाली योजनाओं के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कार्ड धारक (बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय)। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) और अटल वर्दी योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड	सूचना एवं प्रोद्योगिकी	अक्टूबर,1984	कंपनी के मुख्य कार्य में राज्य में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना शामिल है (विशेषकर राज्य सरकार के विभागों और इसके उद्यमों में); सॉफ्टवेयर का विकास और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद और आपूर्ति; तथा कार्यालय स्वचालन।
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्थशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च, 1974	राज्य के गरीब बुनकरों और कारीगरों के हितों की सहायता करना और उन्हें बढ़ावा देना। निगम राज्य के भीतर व बाहर स्थित एम्पोरिया की अपनी श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षण, डिजाइन इनपुट, कच्चा माल, सुस्त शिल्प को पुनर्जीवित करके और उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करके कारीगरों और बुनकरों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है।
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	सितम्बर, 1972	पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य और राज्य के बाहर गुणवत्तापूर्ण पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के अपने मिशन के साथ आवास, खानपान, परिवहन सुविधाओं और खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा, कंपनी का इंजीनियरिंग विंग सरकारी विभागों, अर्धशासकीय विभागों, स्वायत्त निकायों और निगम आदि के लिए जमा कार्य भी करता है।
16	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड (हिमकोन)		फरवरी, 1977	हिमकोन एक तकनीकी परामर्श संगठन है और कंपनी अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी है तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जाती है। हिमकोन को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रशिक्षण भागीदार स्वीकृत किया गया है। हिमकोन को अखिल भारतीय आधार पर इसके प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
17	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनीकी विकास	सितम्बर, 2015	कंपनी का मुख्य कार्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण और पेशेवर ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रणाली की क्षमता और क्षमता में वृद्धि करना है ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति की बाजार में चल रही मांग को पूरा करने की दृष्टि से कौशल की कमी को पूरा किया जा सके। कंपनी की आय के मुख्य स्रोत केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों का हिस्सा और सावधि जमा रसीदों/बचत खाते पर अर्जित ब्याज थे।
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	शहरी विकास	जून, 2018	शिमला योजना क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं की योजना बनाना एवं क्रियान्वयन करना। इसका उद्देश्य हर घर में पानी और सीवरेज का सार्वभौमिक कवरेज, चौबीस घंटे निरंतर पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को बढ़ावा देना, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और स्वायत्त व पेशेवर संस्थानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत सेवा का वितरण करना है।
19	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड **	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	अप्रैल, 2019	"श्री आनंदपुर साहिब जी (रामपुर गांव) से श्री नैना देवी जी" के बीच "रोपवे सेवा का विकास("परियोजना")", डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन व हस्तांतरण आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी ("पीपीपी") के माध्यम से विकास और संचालन / रखरखाव का कार्य करना।

1	2	3	4	5
20	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एच.पी. लिमिटेड	परिवहन	जुलाई, 2019	राज्य के दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों को रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना, अभिनव परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य में विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना, वैकल्पिक परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य में शहरी हब को कम करना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करना जो राज्य की विकास-यात्रा में योगदान करते हैं।
सांविधिक निगम				
21	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	उद्योग	अप्रैल, 1967	लघु एवं मध्यम उद्योगों को सावधि ऋण उपलब्ध कराकर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। निगम ने 18 अगस्त 2008 को लिए गए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2010 से अपनी उधार गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया है।
22	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितम्बर, 1974	निगम की प्रमुख गतिविधियों में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में बसों का संचालन शामिल है। निगम की अन्य गतिविधियों में बसों, स्पेयर पार्ट्स आदि की खरीद, यात्री करों का संग्रह और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा राज्य के विशेष सड़क कर/यात्री कर जमा करना शामिल है।
अकार्यशील सरकारी कंपनिया				
23	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी, 1987	यह कागज और कागज उत्पाद के निर्माण में शामिल थी|
24	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	उद्योग	अक्टूबर, 1974	यह वस्त्रों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग करती थी तथा 2000-01 से परिसमापनाधीन है|
25	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	आबकारी एवं कराधान	अप्रैल, 2016	राज्य में शराब की बिक्री को चैनलाइज़ करने के उद्देश्य से आबकारी घोषणा के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सीमित कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)				
26	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	एमपीपी एंड पॉवर	दिसम्बर, 2009	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के रूप में 14.06.2010 से पुनर्गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड जिम्मेदार है। राज्य में बिछाई गई ट्रांसमिशन, सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के नेटवर्क के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
27	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	एमपीपी एंड पॉवर	दिसम्बर, 2006	कंपनी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बिजली उत्पादन के विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना और संगठित करना है।
28	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	एमपीपी एंड पॉवर	मार्च, 2003	ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सभी तकनीकी और संगठनात्मक क्षमताओं के साथ एक बिजली पैदा करने वाली उपयोगिता है और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यूएचएल स्टेज- III हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (100 मेगावाट) को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी का योगदान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
29	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	एमपीपी एंड पॉवर	अगस्त, 2008	कंपनी तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के एक अलग किये गए हिस्से के रूप में 27 अगस्त 2008 को अस्तित्व में आई और इसे वर्ष 2010 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी का दर्जा दिया गया। इसे राज्य में विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का निष्क्रमण तथा ट्रांसमिशन मास्टर प्लान के निर्माण / अद्यतन और निष्पादन का कार्य सौंपा गया है।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 5 एवं 1.3.2.1, 2.2)

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में किए गए निवेश व दीर्घकालिक ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राज्य के विद्युत क्षेत्र के एवं विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	इक्विटी व ऋण निवेश का विवरण				हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश (इक्विटी+ ऋण)	अन्य का निवेश (इक्विटी+ ऋण)	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी	कुल ऋण
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण						
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य					
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)										
कृषि एवं सम्बद्ध										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	16.89	1.96	11.56	1.54	28.45	3.50	31.95	18.85	13.10
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.20	7.57	63.57	0.00	94.77	7.57	102.34	38.77	63.57
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00
4	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	0.97	60.15	0.00	76.90	0.97	77.87	17.72	60.15
	योग:	**76.55**	**10.50**	**135.28**	**1.54**	**211.83**	**12.04**	**223.87**	**87.05**	**136.82**
वित्त										
1	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं कारपोरेशन लिमिटेड	14.22	0.00	0.00	22.84	14.22	22.84	37.06	14.22	22.84
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	13.76	0.10	0.00	0.00	13.76	0.10	13.86	13.86	0.00
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	13.09	0.00	0.00	40.73	13.09	40.73	53.82	13.09	40.73
4	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	92.98	6.59	81.78	64.96	174.76	71.55	246.31	99.57	146.74
	योग:	**134.05**	**6.69**	**81.78**	**128.53**	**215.83**	**135.22**	**351.05**	**140.74**	**210.31**
अवसंरचना										
1	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्यगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00
3	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00001	0.00033	0.00	0.00	0.00001	0.00	0.00034	0.00034	0.00
4	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.007	0.00	0	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00
	योग:	**55.82701**	**0.00033**	**0.00**	**0.00**	**55.82701**	**0.00**	**55.82734**	**55.82734**	**0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विनिर्माण										
1	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.04	0.12	2.97	0.00	10.01	0.12	10.13	7.16	2.97
2	हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्ज़ लिमिटेड	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00
योग:		**7.04**	**1.04**	**2.97**	**0.00**	**10.01**	**1.04**	**11.05**	**8.08**	**2.97**
सेवा										
1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्थशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	9.22	0.03	0.00	0.00	9.22	0.03	9.25	9.25	0.00
3	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00
4	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00
5	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.00
6	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00
7	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00
8	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	0.005	0.000	0.00	0.00	0.005	0.00	0.005	0.005	0.00
9	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड	3.72		0.30	0.00	4.02	0.00	4.02	3.72	0.30
10	हिमाचल पथ परिवहन निगम	842.10	15.44	0.00	86.17	842.10	101.61	943.71	857.54	86.17
11	हिमाचल प्रदेश बेवरेज निगम	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
क्षेत्र वार योग:		**872.42**	**16.20**	**0.30**	**86.17**	**872.722**	**102.37**	**975.092**	**888.622**	**86.47**
कुल (सरकारी कंपनियां - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)		**1,145.89**	**34.43**	**220.33**	**216.24**	**1,366.22**	**250.67**	**1616.89**	**1180.32**	**436.57**
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)										
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	756.46	0.00	2,934.03	2,581.96	3,690.49	2,581.96	6272.45	756.46	5515.99
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	300.00	0.00	933.40	0.00	1233.40	1233.40	300.00	933.40
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	862.63	1317.92	2,534.91	20.14	3397.54	1338.06	4735.60	2180.55	2555.05
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	271.50	108.70	1,492.24	98.41	1763.74	207.11	1970.85	380.20	1590.65
क्षेत्र वार योग:		**1890.59**	**1726.62**	**6,961.18**	**3,633.91**	**8,851.77**	**5,360.53**	**14212.31**	**3617.21**	**10595.09**
राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल योग		**3,036.48**	**1,761.05**	**7,181.51**	**3,850.15**	**10,217.99**	**5,611.20**	**15,829.19**	**4,797.53**	**11,031.66**

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 1.6.1)

राज्य सरकार द्वारा 2007-08 से 2019-20 तक राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																				
हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड																				
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	80.11	241.32	242.41	75.76	48.05	202.18	180	193.31	91.25	133.27	137.12	160.00	165.00	**1949.78**
विनेवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-537.15	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	**-1087.15**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज रहित ऋण इक्विटी में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड																				
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00	53.75	**380.20**
विनेवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-108.70	-	-	-	-	-	-	-	-	**-108.70**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज रहित ऋण इक्विटी में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड																				
इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.52	0	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.28	50.00	35.91	**756.46**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज रहित ऋण इक्विटी में परिवर्तित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.11**	**252.32**	**288.11**	**532.28**	**- 547.80**	**257.96**	**219.75**	**- 255.73**	**174.04**	**202.78**	**182.11**	**250.00**	**254.66**	**1890.59**

* *यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निवल संचित हानियों का निवल निवेश/इक्विटी को दर्शाता है।*

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 2.5.4)

01 अप्रेल 1999 व 1999-2000 से 2019-20 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000 तक	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																						
कृषि एवं सम्बद्ध																						
1	**हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.05	-	-	-	-	-	-	**16.89**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	2.54	-	-	6.52	-	-	-	**11.56**
2	**हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड**																					
इक्विटी	10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.20**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	-	-	-	7.00	5.00	-	14.54	3.55	-	8.00	10.00	-	**50.34**
3	**हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	11.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.71**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
																					सकल कुल कृषि एवं सम्बद्ध	**59.80**
																						61.90
वित्त																						
4	**हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**																					
इक्विटी	1.57	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	-	-	0.28	0.54	0.80	0.67	0.54	0.75	1.00	-	**14.22**
ब्याज रहित ऋण	0.01	0.01	-	-	-	-	0.15	-	-	- 0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.07**
5	**हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम**																					
इक्विटी	1.25	-	0.10	0.2214	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	-	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	1.35	**13.76**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
6	**हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम**																					
इक्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	-	1.68	-	**13.09**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
																					सकल कुल वित्त	**41.07**
																						0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
अवसंरचना																						
7	**हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.00**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8	**हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.82**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
9	**धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड**																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00001	-	-	-	**0.00001**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10	**शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड**																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-		**0.007**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
																					सकल कुल अवसंरचना	**55.82**
विनिर्माण																						
11	**हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड**																					
इक्विटी	4.98	-	-	-	-	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**7.04**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
																					सकल कुल विनिर्माण	**7.04**
सेवा																						
12	**हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.52**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
13	**हिमाचल प्रदेश राज्य इलक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.72**
ब्याज रहित ऋण	0.48	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.98**
14	**हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड**																					
इक्विटी	4.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-	4.61	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	**9.22**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
15	**हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम**																					
इक्विटी	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.30**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
16	**हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम**																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007		-	-	-	-	**0.007**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
17	**शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड**																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	**0.05**
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
कार्यालय एवं प्रसासनिक खर्चे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	114.89
18	रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005-
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
19	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50-
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
																						29.322
																					सकल कुल सेवा	1.98
																						114.89
	सांविधिक निगम वित्त																					
20	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम																					
इक्विटी	21.58	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40		92.98
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
																					सकल कुल वित्त	92.98
	सांविधिक निगम सेवा																					
21	हिमाचल पथ परिवहन निगम																					
इक्विटी	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	44.34	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	59.00	79.39	842.10
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					सकल कुल वित्त एवं सेवा	935.08
	अकार्यशील सेवा तथा कृषि एवं सम्बद्ध																					
22																						
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकजिंग इंडियन लिमिटेड																					
इक्विटी	16.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.75
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड																					
इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
ब्याज रहित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					सकल कुल सेवा तथा कृषि एवं सम्बद्ध	17.75
इक्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	38.31	53.97	117.16	34.61	26.94	45.76	67.49	44.93	43.27	48.04	50.80	62.85	81.25	1,145.89
ब्याज रहित ऋण	0.490	1.51	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	- 0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.550	6.52	8.00	10.00	-	63.95
कार्यालय एवं प्रसासनिक खर्चे																					114.89	114.89
योग	300.534	33.99	13.01	12.4314	28.60	16.06	13.74	14.30	40.56	53.87	117.16	34.61	36.44	50.76	70.03	59.47	46.817	54.56	58.80	72.85	196.14	1,324.73

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.2)

वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के सभी कार्यशील/अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में वित्तीय विवरणियों के प्रमाणीकरण के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अवधि को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अवधि
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	अगस्त, 2019
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19 तक नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक और 2016-17 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2018-19 तक नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक और 2013-14 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2018-19 तक नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक और 2015-16 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया।
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	सितम्बर, 2019
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अगस्त, 2019
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अगस्त, 2019
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	सितम्बर, 2019
12	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	सितम्बर, 2019
13	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
14	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
15	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	सितम्बर, 2019
16	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त, 2019
17	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड	सितम्बर, 2019
18	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्थशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	सितम्बर, 2019
19	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	सितम्बर, 2019
20	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	अगस्त, 2019
21	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	सितम्बर, 2019
22	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	सितम्बर, 2019
23	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	अक्टूबर, 2019
24	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	जनवरी, 2020
25	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	सितम्बर, 2019
26	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	अक्टूबर, 2019

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.2)

31 दिसंबर 2020 तक बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्रमांक	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम (सांविधिक निगमों को छोड़कर)
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं कारपोरेशन लिमिटेड
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्थशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
17	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड
18	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
19	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड
20	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिवेल्पमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड
21	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड
23	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
24	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
25	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड
26	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड परिसमापन के अधीन है।

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ परिच्छेद 3.5.1 (i))

राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की गई

क्रमांक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम
1	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18)
4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18)
5	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (2018-19)
6	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)
7	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2018-19)
8	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)
9	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19)
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)
11	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2017-18 व 2018-19)
12	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड (2018-19)
13	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2015-16)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ परिच्छेद 3.6)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनियों द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखांकन मानक की अनुपालना न करने की सूचना दी

क्रमांक	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ गैर-सूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	लेखा मानक/भारतीय लेखांकन मानक की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (2018-19)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	ले0प0 मानक -28 (1)
2	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	ले0प0 मानक -2, 12, 15, 17, 22, 26, 28 and 29 (8)
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	भा0ले0प0 मानक -20, 19, 23, 37,10,113, 109, 113, 12 and 107(10)
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	भा0ले0प0 मानक -8, 19, 33 (3)
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	भा0ले0प0 मानक -101, 18, 19, 16, 17, 36, 37 and 7 (8)
6	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	भा0ले0प0 मानक -23 (1)
7	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	ले0प0 मानक -1, 2, 4, 9, 10, 15, 17, 22, 24, 28 and 29 (11)
8	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	गैर-सूचीबद्ध	सरकार कंपनी	ले0प0 मानक -2, 4, 5, 9, 15, 17,20, 22, 28 and 29 (10)

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.3)

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उनके प्रशासनिक विभाग एवं निगमन का माह/वर्ष दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के निगमन का माह व वर्ष
1	2	3	4
	कृषि एवं सम्बद्ध		
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	बागवानी	सितम्बर, 1970
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	जून, 1974
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	मार्च, 1974
	वित्त		
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्तएवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनवरी, 1994
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अप्रैल, 1989
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सितम्बर, 1996
	अवसंरचना		
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	जून, 1999
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर, 1966
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जुलाई, 2016
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जनवरी, 2018
	विनिर्माण		
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर, 1972

1	2	3	4
सेवा			
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं आपूर्ति	नवम्बर, 1966
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिस विकास कारपोरेशन लिमिटेड	सूचना एवं प्रोधौगिकी	अक्टूबर, 1984
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्थशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	मार्च, 1974
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	सितम्बर,1972
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनिकी शिक्षा	सितम्बर, 2015
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड		फरवरी, 1977
18	शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड	शहरी विकास	जून, 2018
19	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	अप्रैल, 2019
20	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट निगम एचपी लिमिटेड	परिवहन	जुलाई, 2019
विद्युत			
21	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	एम पी पी एंड पॉवर	दिसम्बर, 2009
22	हिमाचल पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	एम पी पी एंड पॉवर	दिसम्बर, 2006
23	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	एम पी पी एंड पॉवर	मार्च, 2003
24	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	एम पी पी एंड पॉवर	अगस्त, 2008
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम			
25	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी, 1987
26	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	आबकारी एवं कराधान	अप्रैल, 2016
27	हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (2000-01 परिसमापन के तहत)	उद्योग	अक्टूबर, 1974

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ परिच्छेद 4.6)

पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर कंपनी सचिव को नियुक्त करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	प्रदत्त पूंजी	क्या कंपनी सचिव की आवश्यकता है (दस करोड़ रुपये या अधिक प्रदत्त पूंजी अंश)	कंपनी सचिव (अंशकालिक/ पूर्णकालिक)
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	18.85	हाँ	अंशकालिक
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2017-18	38.77	हाँ	अंशकालिक
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	11.71	हाँ	पूर्णकालिक
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.00	हाँ	अंशकालिक
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	12.51	हाँ	अंशकालिक
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	13.02	हाँ	अंशकालिक
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	25.00	हाँ	अंशकालिक
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	30.82	हाँ	अंशकालिक
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2015-16	12.3	हाँ	अंशकालिक
10	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	300	हाँ	पूर्णकालिक
11	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	1670.9	हाँ	पूर्णकालिक
12	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	286.45	हाँ	अंशकालिक
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2016-17	653.28	हाँ	पूर्णकालिक
14	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	हाँ	अंशकालिक

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ परिच्छेद 4.9.3)

आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का व इसकी आवृत्ति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान परिचालन में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली	आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संचालन और प्रस्तुत करने की आवृत्ति
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कार्पोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
2	हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	हाँ (2019-20)	वार्षिक
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	नहीं	लागू नहीं
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	हाँ (2016-17)	वार्षिक
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	अर्धवार्षिक
8	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2018-19)	तिमाही
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	हाँ (2019-20)	अर्धवार्षिक
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	अर्धवार्षिक
13	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2018-19)	वार्षिक
14	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	हाँ (2019-20)	वार्षिक
15	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	हाँ (2016-17)	तिमाही
16	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
17	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	अर्धवार्षिक
18	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
19	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
20	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
21	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	हाँ (2016-18)	तिमाही
22	हिमाचल प्रदेश राज्य इलक्ट्रोनिक्स विकास कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
23	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	हाँ (2019-20)	वार्षिक
24	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	हाँ (2019-20)	वार्षिक
25	श्री नैना देवी एंड श्री आन्दपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं
26	रोपवे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट निगम एचपी लिमिटेड	नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ परिच्छेद 5.5.2.1)

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व में अंशदान हेतु पात्र राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए औसत निवल लाभ की वर्ष-वार स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार)	वर्ष के लिए दो प्रतिशत आवंटन किया जाना है	वास्तविक खर्च	अतिरिक्त (+)/ कमी (-)
2014-15	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	598.63	11.97	-	-11.97
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	532.95	10.66	-	-10.66
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	360.29	7.21	-	-7.21
कुल		**1491.87**	**29.84**	**-**	
2015-16	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	499.05	9.98	14	4.02
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	500.86	10.02	-	-10.02
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	588.80	11.78	-	-11.78
कुल		**1588.71**	**31.78**	**14**	
2016-17	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	402.85	8.06	20.97	12.91
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	706.05	14.12	0.25	-13.87
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	721.00	14.42	-	-14.42
कुल		**1829.90**	**36.60**	**21.22**	
2017-18	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	298.27	5.97	33.76	27.79
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	1327.47	26.55	1.25	-25.30
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	864.82	17.30	-	17.30
कुल		**2490.56**	**49.82**	**35.01**	
2018-19	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	262.95	5.26	0.15	-5.11
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	1667.98	33.36	-	-33.36
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	932.74	18.66	-	-18.66
कुल		**2863.67**	**57.28**	**0.15**	
2019-20	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड	219.47	4.39	-	-4.39
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड	1641.78	32.84	75.74	42.90
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	981.73	19.64	75.00	55.36
कुल		**2842.98**	**56.87**	**150.74**	
सकल योग		**13107.69**	**262.19**		

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ परिच्छेद 6.1)

31 मार्च 2020 तक प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानक की सूची

क्रमांक	भारतीय लेखांकन मानक	शीर्षक
1	101	भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना
2	102	शेयर-आधारित भुगतान
3	103	व्यावसायिक संयोजन
4	104	बीमा अनुबंध
5	105	बिक्री और बंद संचालन के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्तियां
6	106	खनिज संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन
7	107	वित्तीय साधन: प्रकटीकरण
8	108	ऑपरेटिंग सेगमेंट
9	109	वित्तीय प्रपत्र
10	110	समेकित आर्थिक विवरण
11	111	संयुक्त व्यवस्था
12	112	अन्य संस्थाओं में रुचियों का प्रकटीकरण
13	113	उचित मूल्य मापन
14	114	नियामक आस्थगित खाते
15	115	ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व
16	116	पट्टों
17	1	वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति
18	2	स्टॉक
19	7	नकदी प्रवाह का विवरण
20	8	लेखांकन नीतियों, लेखा अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियां
21	10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं
22	12	आय कर
23	16	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण
24	19	कर्मचारी लाभ
25	20	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण
26	21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव
27	23	उधार लेने की लागत
28	24	संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
29	27	अलग वित्तीय विवरण
30	28	एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश
31	29	अति मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग
32	32	वित्तीय साधन: प्रस्तुति
33	33	प्रति शेयर आय
34	34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
35	36	संपत्ति की अनुपस्थिति
36	37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
37	38	अमूर्त संपत्ति
38	40	संपत्ति मे निवेश
39	41	कृषि

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in